सबक़ नंबर 1

नमाज़ का तरीक़ा (ह़नफी)

बावुज़ू क़िब्ला-रू इस तरह खड़े हो कि दोनों पांव के पंजों में चार उंगल का फ़ासिला हो , और दोनों हाथ कानों तक ले जाये कि अंगूठे कान की लो से छू जाएं , और उंगलियां न मिली हुई हो ना ख़ूब खुली बल्कि अपनी ह़ालत पर नॉर्मल हो , और हथेलियाँ क़िब्ला की तरफ़ हो और नज़र सज्दे की जगह हो , नियत कर के अल्लाहु अकबर कहता हुआ हाथ नीचे लाए और नाफ़ के नीचे बाँध लें , यूं कि दहनी हथेली की गद्दी बाएं कलाई के सिरे पर हो और बीच की तीन उंगलियां बाएं कलाई की पुश्त पर और अँगूठा और छंगुलिया कलाई के अगल बगल और सना पढ़ें -

سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ ط

फिर तअव्वुज़ पढ़ें -

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْم

पढ़े फिर तस्मिया या’नी :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

के पर अलह़म्द पढ़ने और ख़त्म पर आमीन आहिस्ता कहे , उस के बाद कोई सूरत या तीन आयतें पढ़े या एक आयत जो छोटी तीन आयत के बराबर हो , अब अल्लाहु अकबर कहता हुआ रुकूअ में जाये और घुटनों को हाथ से पकड़े , इस तरह कि हथेलियाँ घुटनों पर हो और उंगलियां ख़ूब फैली हो , न कि यूं कि सब उंगलियां एक तरफ़ हो और न यूं कि चार उंगलियां एक तरफ़ , और अँगूठा एक तरफ़ , फ़क़त अँगूठा और पीठ बिछी हो और सर पीठ के बराबर हो , ऊंचा नीचा न हो और कम से कम तीन बार سبحان ربی العظیم कहे फिर سمع الله لمن حمده कहता हुआ सीधा खड़ा हो जाये और मुन्फरिद हो तो उस के बाद

اللهم ربنا و لک الحمد कहे , फिर अल्लाहु अकबर कहता हुआ सज्दे में जाये , यूं कि पहले घुटने ज़मीन पर रखे फिर हाथ फिर दोनों हाथों के बीच में सर रखे न यूं कि सिर्फ पेशानी छू जाये और नाक की नोक लग जाये , बल्कि पेशानी और नाक की हड्डी जमाए और बाज़ुओं को करवटों और पेट को रानों और रानो को पिंडलियों से जुदा रखे , और दोनों पांव की सब उंगलियों के पेट क़िब्ला रूख हो , और हथेलियाँ बिछी हो , और उंगलियां क़िब्ला-रू हो , और कम अज़ कम तीन बार سبحان ربی الاعلی कहे फिर इस तरह सर उठाए कि पहले पेशानी फिर नाक फिर हाथ और दाहिना क़दम खड़ा कर के उस की उंगलियां क़िब्ला रुख करे और बायां क़दम बिछा कर इस पर ख़ूब सीधा जा बैठ जाये और हथेलियाँ बिछाकर रानों पर घुटनों के पास रखे कि दोनों हाथ की उंगलियां क़िब्ले को हो , फिर अल्लाहु अकबर कहता हुआ सज्दे को जाये और इसी तरह सजदा करे , फिर सर उठाये फिर हाथ को घुटनों पर रखकर पंजो के बल खड़ा हो जाये , अब सिर्फ بسم الله الرحمن الرحیم पढ़ कर क़िराअत शुरूअ़ कर दे फिर इसी तरह रुकूअ़ और सज्दे करके दाहिना क़दम खड़ा कर के बायां क़दम बिछा कर बैठ जाये और

اَلتَّحِیَّاتُ لِلّٰہِ وَ الصَّلَوَاتُ وَ الطَّیِّبٰتُ ط اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ اَیُّهَا النَّبِیُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰہِ وَبَرَكَاتُهٗ ط اَلسَّلَامُ عَلَیْنَا وَعَلٰی عِبَادِ اللّٰہِ الصّٰلِحِیْنَ ط اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰہُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ ط

पढ़े और इस में कोई हर्फ़ कम-ओ-बेश न करे और इस को तशह्हुद कहते हैं
' के क़रीब पहूंचे , दहने हाथ की बीच की उंगली और अंगूठे لاऔर जब कलिमा '
का ह़ल्क़ा बनाए और छंगुलिया और इस के पास वाली को हथैली से मिला दे ,
' पर कलिमे की ऊँगली उठाए मगर उस को जुंबिश न दे और لاऔर लफ़्ज़ '
' पर गिरा दे और सब उंगलियां फ़ौरन सीधी करले , अगर दो से الاकलिमा '
ज़्यादा रकअ़ते पढ़नी हैं , तो उठ खड़ा हो और इसी तरह पढ़े मगर फ़र्ज़ो की इन रकअ़तो में अलह़म्द के साथ सूरत मिलाना ज़रूरी हैं , अब पिछला क़ा'दा जिसके बाद नमाज़ ख़त्म करेगा , इस में तशह्हुद के बाद दुरूद शरीफ

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓی اِبْرٰھِيْمَ وَعَلٰٓی اٰلِ اِبْرٰھِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰھُمَّ

بَارِكْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰٓی اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓی اِبْرٰھِيْمَ وَعَلٰٓی اٰلِ اِبْرٰھِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

पढ़े , फिर कोई सी दुआए मसूरा (क़ुरआन व ह़दीस की दुआ को दुआए मासूरा कहते है) पढ़िए , मसलन ये दुआ पढ़ लीजिये -

اَللّٰھُمَّ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِی الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

ऐ अल्लाह ! (तर्जमा ए कंज़ुल ईमान) ऐ रब हमारे हमें दुनिया में भलाई दे और हमें आख़िरत में भलाई दे और हमें अज़ाबे दोज़ख़ से बचा -

फिर नमाज़ ख़त्म करने के लिए पहले दाएं (सीधे) से कंधे की तरफ़ मुँह कर के اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ कहे , और इसी तरह बाएं (उल्टे) तरफ़ , अब नमाज़ मुकम्मल हो गई -

या अल्लाह के छः हुरूफ़ की निस्बत से नमाज़ की जो शराइत

(१) तहारत :

नमाज़ी का बदन , लिबास और जिस जगह नमाज़ पढ़ रहा है उस जगह का हर किस्म की नजासत से पाक होना ज़रूरी है ।

(2) सित्रे औ़रत :

मर्द के लिये नाफ़ के नीचे से ले कर घुटनों समेत बदन का सारा ह़िस्सा छुपा हुवा होना ज़रूरी है जब कि औ़रत के लिये इन पांच आ'ज़ा : मुंह की टिक्ली , दोनों हथेलियां और दोनों पाउं के तल्वों के इ़लावा सारा जिस्म छुपाना लाज़िमी है , अलबत्ता अगर दोनों हाथ (गिट्टों तक) पाउं (टखनो तक) मुकम्मल ज़ाहिर हों तो एक मुफ़्ता बिही क़ौल पर नमाज़ दुरुस्त है (२) अगर ऐसा बारीक कपड़ा पहना जिस से बदन का वोह ह़िस्सा जिस का नमाज़ में छुपाना फ़र्ज़ है , नज़र आए या जिल्द का रंग ज़ाहिर हो नमाज़ न होगी (3) आजकल बारीक कपड़ों का रवाज बढ़ता जा रहा है , ऐसे बारीक कपड़े का पाजामा पहना हो जिस से

रान या सित्र का कोई ह़िस्सा चमकता हो , इ़लावा नमाज़ के भी पहनना ह़राम है (4) या'नी मोटा कपड़ा जिस से बदन का रंग न चमकता हो , मगर बदन से ऐसा चिपका हुवा हो कि देखने से उ़ज़्व की हैयअत मा'लूम होती हो , ऐसे कपड़े से अगर्चे नमाज़ हो जाएगी , मगर उस उ़ज़्व की तरफ़ दूसरों को निगाह करना जाइज़ नहीं , ऐसा लिबास लोगों के सामने पहनना मनअ है और औरतों के लिये ब दरजए औला मुमा-न-अत है (5) बा'ज़ खवातीन मलमल वगैरा की बारीक चादर नमाज़ में ओढ़ती हैं जिस से बालों की सियाही चमक्ती है या ऐसा लिबास पहनती हैं जिस से आ'ज़ा का रंग नज़र आता है ऐसे लिबास में भी नमाज़ नहीं होती ।

(3) इस्तिक़्बाले क़िब्ला :

या'नी नमाज़ में क़िब्ला या'नी का'बे की तरफ़ मुंह करना - (1) नमाज़ी ने बिला उ़ज़्र जानबूझ कर क़िब्ले से सीना फैर दिया अगरचे फौरन ही क़िब्ले की तरफ हो गया नमाज़ फ़ासिद हो गई और अगर बिला क़स्द फिर गया और बक़दर तीन बार "سبحان الله" कहने के वक्फे से पहले वापस क़िब्ला रुख हो गया तो फ़ासिद न हुई (2) अगर सिर्फ मुंह क़िब्ले से फेरा तो वाजिब हैं कि फ़ौरन क़िब्ले की तरफ मुंह कर ले और नमाज़ न जाएगी मगर बिला उ़ज़्र ऐसा करना मकरूहे तह़रीमी है (३) अगर ऐसी जगह पर हैं जहां क़िब्ले की शनाख्त का कोई ज़रीआ़ नहीं है न कोई ऐसा मुसल्मान है जिस से पूछ कर मा'लूम किया जा सके तो तह़र्री कीजिये या'नी सोचिये और जिधर क़िब्ला होना दिल पर जमे उधर ही रुख कर लीजिये आप के हक में वोही क़िब्ला है (४) तह़र्री कर के नमाज़ पढ़ी बाद में मा'लूम हुवा कि क़िब्ले की तरफ़ नमाज़ नहीं पढ़ी , नमाज़ हो गई लौटाने की ह़ाजत नहीं (५) एक शख्स तह़र्री कर के नमाज़ पढ़ रहा हो दूसरा उस की देखा देखी उसी सम्त नमाज़ पढ़ेगा , तो नहीं होगी दूसरे के लिये भी तह़र्री करने का हुक्म है ।

मश्क़

*- मुकम्मल नमाज़ का तरीक़ा सुनाइए ?

*- इस्तिक़बाले क़िब्ला से किया मुराद है ?

*- मुकम्मल नमाज़ सुनाइए ?

*- वुज़ू होना नमाज़ के लिए शर्त है या नहीं ?

*- तहारत में क्या-क्या चीज़े शामिल है ?

*- चेहरा क़िब्ले से फैरा नमाज़ फ़ासिद होगी या नहीं ?

*- मर्द-ओ-औ़रत का सित्रे औ़रत कितना है बयान करें ?

सबक़ नंबर २

(४) वक़्त :

या'नी जो नमाज़ पढ़नी है उस का वक़्त होना ज़रूरी है म-सलन आज की नमाज़े अस्र अदा करना है तो येह ज़रूरी है कि अस्र का वक़्त शुरूअ़ हो जाए अगर वक़्ते अस्र शुरूअ़ होने से पहले ही पढ़ली तो नमाज़ न होगी (१) उमूमन मसाजिद में निज़ामुल अवक़ात के नक्शे आवेज़ा होते हैं उन में जो मुस्तनद तौकीतदां के मुरत्तब कर्दा और उ़लमाए अहले सुन्नत के मुसद्दक़ा हों उन से नमाज़ों के अवक़ात मा'लूम करने में सहूलत रहती है (२) इस्लामी बहनों के लिये अव्वल वक़्त में नमाज़े फज्र अदा करना मुस्तह़ब है और बाक़ी नमाज़ों में बेहतर यह है कि मर्दो की जमाअ़त का इन्तिज़ार करें जब जमाअ़त हो चुके फिर पढ़ें ।

तीन अवक़ाते मकरूहा :

(१) तुलूए आफ्ताब से ले कर बीस मिनट बाद तक (२) गुरूबे आफ्ताब से बीस मिनट पहले (३) निस्फुन्नहार या'नी ज़हवए कुब्रा से ले कर ज़वाले आफ्ताब तक , इन तीनों अवक़ात में कोई नमाज़ जाइज़ नहीं , न फ़र्ज़ न वाजिब न नफ्ल न क़ज़ा । हाँ , अगर उस दिन की नमाज़े अस्र नहीं पढ़ी थी और मकरूह वक़्त शुरूअ़ हो गया तो पढ़ ले अलबत्ता इतनी ताख़ीर करना ह़राम है ।

दौराने नमाज़ मकरूह वक़्त दाखिल हो जाए तो ?

गुरूबे आफ्ताब से कम से कम २० मिनट क़ब्ल नमाज़े अस्र का सलाम फिर जाना चाहिये जैसा के आ'ला हज़रत इमाम अह़मद रज़ा खान عليہ رحمۃ الرحمن फ़रमाते हैं , " नमाज़े अस्र में जितनी ताख़ीर हो , अफ्ज़ल है जब कि वक़्ते कराहत से पहले पहले खत्म हो जाए , फिर अगर उस ने एह़तियात की और

नमाज़ में तूल दिया कि वक़्ते कराहत वस्ते नमाज़ में आ गया जब भी उस पर ए'तिराज़ नहीं ।"

(५) निय्यत :

निय्यत दिल के पक्के इरादे का नाम है - (१) ज़बान से निय्यत करना ज़रूरी नहीं अलबत्ता दिल में निय्यत हाज़िर होते हुए ज़बान से कह लेना बेहतर है , अ-रबी में कहना भी ज़रूरी नहीं उर्दू वगैरा किसी भी ज़बान में कह सकते हैं (२) निय्यत में ज़बान से कहने का ए'तिबार नहीं या'नी अगर दिल में म-सलन ज़ुहर की निय्यत हो और ज़बान से लफ़्जे अस्र निकला तब भी ज़ुहर की नमाज़ हो गई (३) निय्यत का अदना द-रजा येह है कि अगर उस वक़्त कोई पूछे कि कौन सी नमाज़ पढ़ते हो ? तो फौरन बता दे , अगर ह़ालत ऐसी है कि सोच कर बताएगा तो नमाज़ न हुई (४) फ़र्ज़ नमाज़ में निय्यते फ़र्ज़ भी ज़रूरी है मसलन दिल में येह निय्यत हो कि आज की ज़ुहर की फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ता हूँ (५) असह़ह़ (या'नी दुरुस्त तरीन) येह है कि नफ्ल , सुन्नत और तरावीह़ में मुतलक़न नमाज़ की निय्यत काफ़ी है मगर एह़तियात येह है कि तरावीह़ में तरावीह़ या सुन्नते वक़्त की निय्यत करे और बाक़ी सुन्नतों में सुन्नत या सरकारे मदीना صلی اللہ علیہ وسلم की मुता-ब-अ़त (या'नी पैरवी) की निय्यत करे , इस लिये कि बा'ज़ मशाइख़ رحمهم الله تعالی इन में मुतलक़न नमाज़ की निय्यत को नाकाफ़ी क़रार देते हैं (६) नमाज़े नफ्ल में मुतलक़न नमाज़ की निय्यत काफ़ी है अगर्चे नफ्ल निय्यत में न हो (७) येह निय्यत कि मुंह मेरा क़िब्ला शरीफ़ की तरफ़ है शर्त नहीं (८) इक़्तिदा में मुक़्तदी का इस तरह निय्यत करना भी जाइज़ है कि जो नमाज़ इमाम की है वोही नमाज़ मेरी है (९) नमाज़े जनाज़ा की निय्यत येह है , "नमाज़ अल्लाह عزوجل के लिये और दुआ़ इस मय्यित के लिये" (१०) वाजिब में वाजिब की निय्यत करना ज़रूरी है और इसे मुअ़य्यन भी कीजिये म-सलन ईदुल फित्र , ईदुल अज्हा , नज़्र , नमाज़े बा'दे तवाफ़ (वाजिबुत्तवाफ़) या वोह नफ्ल नमाज़ जिस को जानबूझ कर फ़ासिद

किया हो कि उस की क़ज़ा भी वाजिब हो जाती है (११) सज्दए शुक्र अगर्चे नफ्ल है मगर उस में भी निय्यत ज़रूरी है म-सलन दिल में येह निय्यत हो कि मैं सज्दए शुक्र करता हूँ (१२) सज्दए सह्व में भी "साहिबे नहरुल फ़ाइक़" के नज़्दीक निय्यत ज़रूरी है , या'नी उस वक़्त दिल में येह निय्यत हो कि मैं सज्दए सह्व करता हूँ !

(६) तक्बीरे तह़रीमा :

या'नी नमाज़ को الله اكبر कह कर शुरूअ़ करना ज़रूरी है ।

नमाज़ के फराईज़

बिस्मिल्लाह की सात हुरूफ़ की निस्बत से नमाज़ के सात फराईज़ है -

(१) तक्बीरे तह़रीमा (२) क़ियाम (३) क़िराअत (४) रुकूअ़ (५) सुजूद (६) क़ा'दए अखीरह (७) खुरूजे बिसुनइही

(१) तक्बीरे तह़रीमा :

दर हक़ीक़त तक्बीरे तह़रीमा (या'नी तक्बीरे ऊला) शराइते नमाज़ में से है मगर नमाज़ के अफ़आ़ल से बिल्कुल मिली हुई है इस लिये इसे नमाज़ के फ़राइज़ से भी शुमार किया गया है (१) मुक़्तदी ने तक्बीरे तह़रीमा का लफ्ज़ "अल्लाह" इमाम के साथ कहा मगर “अक्बर" इमाम से पहले ख़त्म कर लिया तो नमाज़ न होगी (२) इमाम को रुकूअ़ में पाया और तक्बीरे तह़रीमा कहता हुवा रुकूअ़ में गया या'नी तक्बीर उस वक़्त ख़त्म हुई कि हाथ बढ़ाए तो घुटने तक पहुंच जाए नमाज़ न होगी , (ऐसे मौक़े पर क़ाइदे के मुताबिक पहले खड़े खड़े तक्बीरे तह़रीमा कह लीजिये इस के बाद अल्लाहु अक्बर कहते हुए रुकूअ़ कीजिये , इमाम के साथ अगर रुकूअ़ में मा'मूली सी भी शिर्कत हो गई तो रकअ़त मिल गई अगर आप के रुकूअ़ में दाखिल होने से क़ब्ल इमाम खड़ा हो गया तो रकअ़त न मिली (३) जो शख्स तक्बीर के तलफ्फुज़ पर क़ादिर न हो

म-सलन गूंगा हो या किसी और वज्ह से ज़बान बन्द हो गई हो उस पर तलफ्फुज़ लाज़िम नहीं , दिल में इरादा काफ़ी है (४) लफ़्ज़े अल्लाह को आल्लाह या अक्बर को आक्बर या अक्बार कहा नमाज़ न होगी बल्कि अगर इन के मा'नए फ़ासिदा समझ कर जानबूझ कर कहे तो काफ़िर है , नमाज़ियों की ता'दाद ज़ियादा होने की सूरत में पीछे आवाज़ पहुंचाने वाले मुकब्बिरों की अक्सरियत इल्म की कमी के बाइस आज कल “अक्बर" को "अक्बार" कहती सुनाई देती है , इस तरह उन की अपनी नमाज़ भी टूटती और उन की आवाज़ पर जो लोग इन्तिक़ालात करते या'नी नमाज़ के अरकान अदा करते हैं उन की नमाज़ भी टूट जाती है , लिहाज़ा बिगैर सीखे कभी मुकब्बिर नहीं बनना चाहिये (5) पहली रकअ़त का रुकूअ़ मिल गया तो तक्बीरे ऊला की फज़ीलत पा गया ।

(२) क़ियाम :

(1) कमी की जानिब क़ियाम की ह़द येह है कि हाथ बढ़ाए तो घुटनों तक न पहुंचे और पूरा क़ियाम येह है कि सीधा खड़ा हो (2) क़ियाम इतनी देर तक है जितनी देर तक क़िराअत है , ब क़-दरे किराअते फ़र्ज़ क़ियाम भी फ़र्ज़ , ब क़दरे वाजिब वाजिब , और ब क़-दरे सुन्नत सुन्नत (3) फ़र्ज , वित्र , ईदैन और सुन्नते फज्र में क़ियाम फ़र्ज़ है , अगर बिला उज़्रे सह़ीह़ कोई येह नमाज़े बैठ कर अदा करेगा तो न होंगी (4) खड़े होने से मह़ज़ कुछ तक्लीफ होना उ़ज़्र नहीं बल्कि क़ियाम उस वक़्त साक़ित होगा कि खड़ा न हो सके या सज्दा न कर सके या खड़े होने या सज्दा करने में ज़ख्म बहता है या खड़े होने में क़तरा आता है या चौथाई सित्र खुलता है या क़िराअत से मजबूर मह़ज़ हो जाता है , यूंही खड़ा हो सकता है मगर उस से मरज़ में ज़ियादती होती है या देर में अच्छा होगा या ना क़ाबिले बरदाश्त तक्लीफ होगी तो बैठ कर पढ़े (5) अगर अ़सा या ख़ादिम या दीवार पर टेक लगा कर खड़ा होना मुम्किन है तो फ़र्ज़ है कि खड़ा हो कर पढ़े (6) अगर सिर्फ इतना खड़ा होना मुम्किन है कि खड़े खड़े

तक्बीरे तह़रीमा कह लेगा तो फ़र्ज़ है कि खड़ा हो कर कह ले और अब खड़ा रहना मुम्किन नहीं तो बैठ जाए ।

मश्क़

*- अवक़ाते मकरूहा कौनसे हैं ?
*- नियत का अदना दर्जा क्या है ?
*- ज़बान से नीयत करना ज़रूरी है ?
*- नमाज़ के फ़राइज़ कौनसे हैं ?
*- तकबीर के अलफ़ाज़ में क्या एह़तियात करनी चाहिए ?
*- कितनी देर क़ियाम फ़र्ज़ है ?
*- किस नमाज़ में क़ियाम फ़र्ज़ नहीं ?
*- मसाजिद में लगे हुए निज़ामुल अवक़ात के सब नक़्शों पर ए'तिमाद कर सकते हैं ?
*- मुतलक़ नमाज़ की नीयत किन किन नमाज़ों में काफ़ी है ?
*- मुक़तदी क्या नीयत करे ?
*- इमाम रुकूअ़ में हो तो मुक़तदी कैसे शामिल हो ?
*- कमी की जानिब क़ियाम की ह़द क्या है पूरा क़ियाम क्या है ?
*- क़ियाम कितनी देर वाजिब है और कितनी देर सुन्नत है
*- क़ियाम कब साक़ित होगा ?

सबक़ नम्बर ३

(3) क़िराअत :

(1) क़िराअत इस का नाम है कि तमाम हुरूफ मख़ारिज से अदा किये जाएं कि हर हर्फ़ गैर से सहीह़ तौर पर मुम्ताज़ (नुमायां) हो जाए ।

(2) आहिस्ता पढ़ने में भी येह ज़रूरी है कि खुद सुन ले ।

(3) अगर हुरूफ़ तो सहीह़ अदा किये मगर इतने आहिस्ता कि खुद न सुना और कोई रुकावट म-सलन शोरो गुल या सिक़्ले समाअ़त (या'नी ऊंचा सुनने का मरज़) भी नहीं तो नमाज़ न हुई ।

(4) अगर्चे खुद सुनना ज़रूरी है मगर येह भी एह़तियात रहे कि सिर्री (या'नी आहिस्ता क़िराअत वाली) नमाज़ों में क़िराअत की आवाज़ दूसरों तक न पहुंचे , इसी तरह तस्बीह़ात वगैरा में भी ख़याल रखिये ।

(5) नमाज़ के इ़लावा भी जहां कुछ कहना या पढ़ना मुक़र्रर किया है इस से भी येही मुराद है कि कम अज़ कम इतनी आवाज़ हो कि खुद सुन सके म-सलन तलाक़ देने , आज़ाद करने या जानवर ज़ब्ह करने के लिये अल्लाह का नाम लेने में इतनी आवाज़ ज़रूरी है कि खुद सुन सके , दुरूद शरीफ़ वगैरा अवराद पढ़ते हुए भी कम अज़ कम इतनी आवाज़ होनी चाहिये कि खुद सुन सके जभी पढ़ना कहलाएगा ।

(6) मुत्लक़न एक आयत पढ़ना फ़र्ज़ की दो रक्अ़तों में और वित्र , सुनन और नवाफ़िल की हर रकअ़त में इमाम व मुन्फ़रिद (या'नी तन्हा नमाज़ पढ़ने वाले) पर फ़र्ज़ है ।

(7) मुक़्तदी को नमाज़ में क़िराअत जाइज़ नहीं न सू-रतुल फ़ातिहा न आयत , न सिर्री (या'नी आहिस्ता क़िराअत वाली) नमाज़ में न जहरी (या'नी बुलन्द आवाज़ से क़िराअत वाली) नमाज़ में , इमाम की क़िराअत मुक़्तदी के लिये भी काफ़ी है ।

(8) फ़र्ज़ की किसी रकअ़त में क़िराअत न की या फ़क़त एक में की नमाज़ फ़ासिद हो गई ।

(9) फर्ज़ों में ठहर ठहर कर क़िराअत करे और तरावीह़ में मु-तवस्सित अन्दाज़ पर और रात के नवाफ़िल में जल्द पढ़ने की इजाज़त है मगर ऐसा पढ़े कि समझ में आ सके या'नी कम से कम मद का जो द-रजा क़ारियों ने रखा है उस को अदा करे वरना ह़राम है , इस लिये के तरतील से (या'नी ठहर ठहर कर) क़ुरआन पढ़ने का हुक्म है , आजकल के अक्सर हुफ्फ़ाज़ इस तरह पढ़ते हैं कि मद का अदा होना तो बड़ी बात है يعلمون تعلمون सिवा किसी लफ़्ज़ का पता नहीं चलता न तस्ह़ीहे़ हुरूफ़ होती बल्कि जल्दी में लफ़्ज़ के लफ़्ज़ खा जाते हैं और इस पर तफ़ाखुर होता है कि फुलां इस क़दर जल्द पढ़ता है , ह़ालांकि इस तरह क़ुरआने मज़ीद पढ़ना ह़राम और सख्त ह़राम है ।

(4) रुकूअ़ :

इतना झुकना कि हाथ बढ़ाए तो घुटने को पहुंच जाए येह रुकूअ़ का अदना द-रजा है , और पूरा येह कि पीठ सीधी बिछा दे , सुल्ताने मक्कए मुकर्रमा, ताजदारे मदीनए मुनव्वरह صلی اللہ علیہ وسلم का फ़रमाने अ़-ज़मत निशान है , अल्लाह बन्दे की उस नमाज़ की तरफ़ नज़र नहीं फ़रमाता जिस में रुकूअ़ व सुजूद के दरमियान पीठ सीधी न करे ।

(5) सुजूद :

(1) सुल्ताने मक्कए मुकर्रमा , ताजदारे मदीनए मुनव्वरह صلی اللہ علیہ وسلم का फ़रमाने अ़-ज़मत निशान है , मुझे हुक्म हुवा कि सात हड्डियों पर सजदा करूं , मुंह और दोनों हाथ और दोनों घुटने और दोनों पन्जे और येह हुक्म हुवा कि कपड़े और बाल न समेटूं ।

(2) हर रकअ़त में दो बार सज्दा फ़र्ज़ है ।

(3) सज्दे में पेशानी जमना ज़रूरी है , जमने के मा'ना येह हैं कि ज़मीन की

सख़्ती महसूस हो अगर किसी ने इस तरह सज्दा किया कि पेशानी न जमी तो सज्दा न होगा ।

(4) किसी नर्म चीज़ म-सलन घास (जैसा कि बाग की हरियाली) रूई या क़ालीन वगैरा पर सज्दा किया तो अगर पेशानी जम गई या'नी इतनी दबी कि अब दबाने से न दबे तो सज्दा हो जाएगा वरना नहीं ।

(5) आज कल मसाजिद में कारपेट बिछाने का रवाज पड़ गया है (बल्कि बा'ज़ जगह तो कारपेट के नीचे मज़ीद फ़ोम भी बिछा देते हैं) कारपेट पर सज्दा करते वक़्त इस बात का ख़ास ख़याल रखना है कि पेशानी अच्छी तरह जम जाए वरना नमाज़ न होगी और नाक की हड्डी न दबी तो नमाज़ मकरूहे तहरीमी वाजिबुल इआदा होगी ।

(6) कमानी दार (या'नी स्प्रिंग वाले) गद्दे पर पेशानी खूब नहीं जमती लिहाज़ा नमाज़ न होगी ।

(6) क़ा'दए अखीरह :

या'नी नमाज़ की रकअतें पूरी करने के बाद इतनी देर तक बैठना कि पूरी तशहहुद (या'नी पूरी अत्तहिय्यात) رسولہ तक पढ़ ली जाए फ़र्ज़ है , चार रकअत वाले फ़र्ज़ में चौथी रकअत के बाद क़ा'दह न किया तो जब तक पांचवीं का सज्दा न किया हो बैठ जाए और अगर पांचवीं का सज्दा कर लिया या फ़ज्र में दूसरी पर नहीं बैठा तीसरी का सज्दा कर लिया या मगरिब में तीसरी पर न बैठा और चौथी का सज्दा कर लिया इन सब सूरतों में फ़र्ज़ बातिल हो गए , मगरिब के इलावा और नमाज़ो में एक रकअत मज़ीद मिला ले ।

(7) खुरूजे बिसुनइही :

या'नी क़ा'दए अखीरह के बाद सलाम या बातचीत वगैरा कोई ऐसा फेल क़स्दन (या'नी इरा-दतन) करना जो नमाज़ से बाहर कर दे , मगर सलाम के इलावा

कोई फे'ल क़स्दन पाया गया तो नमाज़ वाजिबुल इआ़दा होगी और अगर बिला क़स्द कोई इस तरह का फे'ल पाया गया तो नमाज़ बातिल -

मश्क़

*- क़िराअत कितनी फ़र्ज़ है ?

*- क़िराअत कितनी वाजिब है ?

*- क़िराअत में कितनी आवाज़ होना शर्त है ?

*- रुकूअ़ की ता'रीफ क्या है ?

*- खुरूजे बिसुनइही क्या चीज़ है ?

*- पेशानी जमने के हवाले से क्या सज्दे में क्या क्या एह़तियात करनी होगी ?

*- मुक़्तदी क़िराअत करेगा या नहीं ?

*- फर्ज़ों की आखरी दो रकातो में क्या पढ़ेगा ?

*- सजदा कितनी हड्डियों पर करना है ?

सबक़ नम्बर ४

नमाज़ के वाजिबात

“क़ियामत में सबसे पहले नमाज़ का सुवाल होगा" के तीस हुरूफ़ की निस्बत से तक़रीबन 30 वाजिबात

(1) तक्बीरे तह्रीमा में लफ़्ज़ "الله اکبر" कहना (2) फ़र्ज़ों की तीसरी और चौथी रकअ़त के इ़लावा बाक़ी तमाम नमाज़ो की हर रकअ़त में الحمد شرئف पढ़ना , सूरत मिलाना या क़ुरआने पाक की एक बड़ी आयत जो छोटी तीन आयतों के बराबर हो या तीन छोटी आयतें पढ़ना (3) الحمد شرئف का सूरत से पहले पढ़ना (4) الحمد شرئف और के दरमियान "آمین " और "بسم الله الرحمن الرحيم " के इ़लावा कुछ और न पढ़ना (5) क़िराअत के फौरन बा'द रुकूअ़ करना (6) एक सज्दे के बाद बित्तरतीब दूसरा सज्दा करना (7) ता'दीले अरकान या'नी रुकूअ़ , सुजूद , क़ौमा और जल्सा में कम अज़ कम एक बार "سبحان الله" कहने की मिक़्दार ठहरना (8) क़ौमा या'नी रुकूअ़ से सीधा खड़ा होना (बा'ज़ लोग कमर सीधी नहीं करते इस तरह उन का वाजिब छूट जाता है) (9) जल्सा या'नी दो सज्दों के दरमियान सीधा बैठना (बा'ज़ लोग जल्द बाज़ी की वज्ह से बराबर सीधे बैठने से पहले ही दूसरे सज्दे में चले जाते हैं इस तरह उन का वाजिब तर्क हो जाता है चाहे कितनी ही जल्दी हो सीधा बैठना लाज़िमी है वरना नमाज़ मकरूहे तह्रीमी वाजिबुल इआ़दा होगी) (10) क़ा’दए ऊला वाजिब है अगर्चे नमाज़े नफ़्ल हो (दर अस्ल दो नफ़्ल का हर क़ा’दह, "क़ा’दए अखीरह" है और फ़र्ज़ है अगर क़ा’दह न किया और भूल कर खड़ा हो गया तो जब तक उस रकअ़त का सज्दा न कर ले लौट आए और सज्दए सह्व करे , अगर नफ्ल की तीसरी रकअ़त का सज्दा कर लिया तो चार पूरी कर के सज्दए सह्व करे , सज्दए सह्व इस लिये वाजिब हुवा कि अगर्चे नफ़्ल में हर दो रकअ़त के बाद क़ा’दह फ़र्ज़ है मगर तीसरी या पांचवीं रकअ़त का सज्दा करने के बाद क़ा’दए ऊला फ़र्ज़ के बजाए

वाजिब हो गया (11) फ़र्ज़, वित्र और सुन्नते मुअक्कदा में तशहहुद (या'नी अत्तहि़य्यात) के बाद कुछ न बढ़ाना (12) दोनों का'दों में "तशहहुद" मुकम्मल पढ़ना , अगर एक लफ़्ज़ भी छूटा तो वाजिब तर्क हो जाएगा और सज्दए सह्व वाजिब होगा (13) फ़र्ज़, वित्र और सुन्नते मुअक्कदा के क़ा’दए ऊला में तशहहुद के बा'द अगर बे ख़याली में "اللهم صل على محمد" या "اللهم صل على سيدنا" कह लिया तो सज्दए सह्व वाजिब हो गया और अगर जानबूझ कर कहा तो नमाज़ लौटाना वाजिब है (14) दोनों तरफ़ सलाम फैरते वक़्त लफ़्ज़ السلام दोनों बार वाजिब है , लफ़्ज़ عليكم वाजिब नहीं बल्कि सुन्नत है (15) वित्र में तक्बीरे क़ुनूत कहना (16) वित्र में दुआ़ए क़ुनूत पढ़ना (17) ई़दैन की छे तक्बीरें (18) ई़दैन में दूसरी रकअ़त की तक्बीरे रुकूअ़ और इस तक्बीर के लिये लफ़्ज़े " الله اكبر " होना (19) "जहरी नमाज़" म-सलन मगरिब व इशा की पहली और दूसरी रकअ़त और फ़ज्र , जुमुआ़ , ई़दैन , तरावीह़ और र-मज़ान शरीफ़ के वित्र की हर रकअ़त में इमाम को जहर (या'नी इतनी बुलन्द आवाज़ किदूसरे लोग या'नी वोह कि सफे अव्वल में हैं सुन सकें) से क़िराअत करना (20) गैरे जहरी नमाज़ (म-सलन ज़ुहर व अस्र) में आहिस्ता क़िराअत करना (21) हर फ़र्ज़ व वाजिब का उस की जगह होना (22) रुकूअ़ हर रकअ़त में एक ही बार करना (23) सज्दा हर रकअ़त में दो ही बार करना (24) दूसरी रकअ़त से पहले क़ा’दह न करना (25) चार रकअ़त वाली नमाज़ में तीसरी रकअ़त पर क़ा’दह न करना (26) आयते सज्दा पढ़ी हो तो सज्दए तिलावत करना (27) सज्दए सह्व वाजिब हुवा , हो तो सज्दए सह्व करना (28) दो फ़र्ज़ या दो वाजिब या फ़र्ज़ व वाजिब के दरमियान तीन तस्बीह़ की क़दर (या'नी तीन बार “سبحان الله " कहने की मिक़्दार) वक्फा न होना (29) इमाम जब क़िराअत करे ख्वाह बुलन्द आवाज़ से हो या आहिस्ता आवाज़ से मुक़्तदी का चुप रहना (30) क़िराअत के सिवा तमाम वाजिबात में इमाम की पैरवी करना ।

मश्क़

*- नमाज़ के वाजिबात सुनाइए ?

*- कादऐ ऊला क्या है ?

*- कौमे और जलसे में अवाम उमूमन क्या गलती करती है ?

*- कादाए ऊला में अगर اللهم صل على سيدنا या اللهم صل على محمد कह दिया तो क्या हुक्म है ?

सबक़ नंबर ५

तक्बीरे तह़रीमा की सुन्नतें

(1) तक्बीरे तह़रीमा के लिये हाथ उठाना (2) हाथों की उंग्लियां अपने हाल पर छोड़ना, या'नी न बिल्कुल मिलाइये न इन में तनाव पैदा कीजिये (3) हथेलियों और उंग्लियों का पेट क़िब्ला रू होना (4) तक्बीर के वक़्त सर न झुकाना (5) तक्बीर शुरूअ़ करने से पहले ही दोनों हाथ कानों तक उठा लेना (6) तक्बीरे क़ुनूत और ई़दैन में भी येही सुन्नतें हैं (8) इमाम का बुलन्द आवाज़ से الله اكبر (9) سمع الله لمن حمده और (10) सलाम कहना (ह़ाजत से ज़ियादा बुलन्द आवाज़ करना मकरूह है) (11) तक्बीर के फ़ौरन बा'द हाथ बांध लेना सुन्नत है (बा'ज़ लोग तक्बीरे ऊला के बाद हाथ लटका देते हैं या कोहनियां पीछे की तरफ़ झुलाने के बाद हाथ बांधते हैं उन का येह फेल सुन्नत से हट कर है)

क़ियाम की सुन्नतें

(12) मर्द नाफ़ के नीचे सीधे हाथ की हथेली उल्टे हाथ की कलाई के जोड़ पर , छंगुलिया और अंगूठा कलाई के अगल बगल और बाक़ी उंग्लियां हाथ की कलाई की पुश्त पर रखे (13) पहले सना (14) फिर तअ़व्वुज़ या'नी اعوذ بالله من الشيطان الرجيم पढ़ना (15) फिर तस्मिया या'नी بسم الله الرحمن الرحيم पढ़ना (16) इन तीनों को एक दूसरे के फौरन बाद कहना (17) इन सब को आहिस्ता पढ़ना (18) आमीन कहना (19) इस को भी आहिस्ता कहना (20) तक्बीरे ऊला के फ़ौरन बा'द सना पढ़ना (नमाज़ में तअ़व्वुज़ व तस्मिया क़िराअत के ताबेअ़ हैं और मुक़्तदी पर क़िराअत नहीं लिहाज़ा तअ़व्वुज़ व तस्मिया भी मुक़्तदी के लिये सुन्नत नहीं , हाँ जिस मुक़्तदी की कोई रकअ़त फ़ौत हो गई हो वोह अपनी बाक़ी रकअ़त अदा करते वक़्त इन दोनों को पढ़े (21) तअ़व्वुज़ सिर्फ पहली रकअ़त में है और (22) तस्मिया हर रकअ़त के शुरूअ़ में सुन्नत है।

रुकूअ़ की सुन्नतें

(23) रुकूअ़ के लिये الله اکبر कहना (24) रुकूअ़ में तीन बार سبحان ربی العظیم कहना (25) मर्द का घुटनों को हाथ से पकड़ना और (26) उंग्लियां खूब खुली रखना (27) रुकूअ़ में टांगें सीधी रखना (बा'ज लोग कमान की तरह टेढ़ी कर लेते हैं येह मकरूह है) (28) रुकूअ़ में पीठ अच्छी तरह बिछी हो हत्ता कि अगर पानी का प्याला पीठ पर रख दिया जाए तो ठहर जाए (29) रुकूअ़ में सर ऊंचा नीचा न हो पीठ की सीध में हो , सरकारे मदीना صلی الله علیہ وسلم फ़रमाते हैं , "उस की नमाज़ नाकाफ़ी है (या'नी कामिल नहीं) जो रुकूअ़ व सुजूद में पीठ सीधी नहीं करता , सरकारे मदीना صلی الله علیہ وسلم फ़रमाते हैं, "रुकूअ़ व सुजूद को पूरा करो कि खुदा عزوجل की क़स्नम ! मैं तुम्हें अपने पीछे से देखता हूं।" (30) बेहतर येह है कि कहता हुवा रुकूअ़ को जाए या'नी जब रुकूअ़ के लिये झुकना शुरूअ़ करे और ख़त्मे रुकूअ़ पर तक्बीर ख़त्म करे , इस मसाफ़त को पूरा करने के लिये अल्लाह के ل को बढ़ाए अक्बर की ب वगैरा किसी ह़र्फ को न बढ़ाए , अगर आल्लाह या आक्बर या अक्बार कहा तो नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी ।

क़ौमा की सुन्नतें

(31) रुकूअ़ से जब उठे तो हाथ लटका दीजिये (32) रुकूअ़ से उठने में इमाम के लिये سمع الله لمن حمده कहना (33) मुक़्तदी के लिये اللهم ربنا و لک الحمد कहना (34) मुन्फरिद (या'नी तन्हा नमाज़ पढ़ने वाले) के लिये दोनों कहना सुन्नत है ربنا لک الحمد कहने से भी सुन्नत अदा हो जाती है मगर "ربنا" के बाद "و" होना बेहतर है "اللهم" होना इस से बेहतर, और दोनों होना और ज़ियादा बेहतर है या'नी اللهم ربنا و لک الحمد कहिये (35) मुन्फरिद سمع الله لمن حمده कहता हुवा रुकूअ़ से उठे जब सीधा खड़ा हो चुके तो अब اللهم ربنا و لک الحمد कहे ।

सज्दे की सुन्नतें

(36) सज्दे में जाने के लिये और (37) सज्दे से उठने के लिये الله اکبر कहना (38) सज्दे में कम अज़ कम तीन बार سبحان ربی الاعلی कहना (39) सज्दे में हथेलियां ज़मीन पर रखना (40) हाथों की उंग्लियां मिली हुई क़िब्ला रुख रखना (41) सज्दे में जाएं तो ज़मीन पर पहले घुटने फिर (42) हाथ फिर (43) नाक , फिर (44) पेशानी रखना (45) जब सज्दे से उठे तो इस का उलट करना या'नी (46) पहले पेशानी , फिर (47) नाक , फिर (48) हाथ , फिर (49) घुटने उठाना (50) मर्द के लिये सज्दे में सुन्नत येह है कि बाज़ू करवटों से और (51) राने पेट से जुदा हों (52) कलाइयां ज़मीन पर न बिछाइये हाँ जब सफ़ में हों तो बाज़ू करवटों से जुदा न रखिये (53) सज्दे में दोनों पाउं की दसों उंग्लियों का पेट इस तरह ज़मीन पर लगाइये के दसों उंग्लियां क़िब्ला रुख रहें ।

जल्से की सुन्नतें

दोनों सज्दों के बीच में बैठना इसे जल्सा कहते हैं (5४) जल्से में सीधा क़दम खड़ा कर के उल्टा क़दम बिछा कर उस पर बैठना (5५) सीधे पाउं की उंग्लियां क़िब्ला रुख करना (5६) दोनों हाथ रानों पर रखना।

दूसरी रकअ़त के लिये उठने की सुन्नतें

(5७) जब दोनों सज्दे कर लें तो दूसरी रकअ़त के लिये पन्जों के बल (5८) घुटनों पर हाथ रख कर खड़ा होना सुन्नत है , हाँ कमज़ोरी या पाउं में तक्लीफ वगैरा मजबूरी की वज्ह से ज़मीन पर हाथ रख कर खड़े होने में ह़रज नहीं ।

मश्क़

*- तक्बीरे तःरीमा की कितनी सुन्नतें है उन में से पाँच बयान करें ?

*- कौमे से उठते हुए इमाम व मुक़्तदी क्या कहेंगे ?

*- हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم ने किन की नमाज़ को नाकाफी फ़रमाया है ?

*- जलसे में बेक्ठने का क्या तरीक़ा है ?

सबक़ नंबर ६

क़ा'दह की सुन्नतें

(५९) मर्द का दूसरी रकअ़त के सज्दों से फ़ारिग हो कर बायां पाउं बिछा कर (60) दोनों सुरीन उस पर रख कर बैठना और (61) सीधा क़दम खड़ा रखना (62) सीधे पाउं की उंग्लियां क़िब्ला रुख करना (63) सीधा हाथ सीधी रान पर और (64) उल्टा हाथ उल्टी रान पर रखना (65) उंग्लियां अपनी ह़ालत पर या'नी नॉर्मल छोड़ना कि न ज़ियादा खुली हुईं न बिल्कुल मिली हुईं (66) उंग्लियों के कनारे घुटनों के पास होना , घुटने पकड़ना न चाहिए (६७) अत्तह़िय्यात में शहादत पर इशारा करना , इस का तरीक़ा येह है कि छंगुलिया और पास वाली को बन्द कर लीजिये , अंगूठे और बीच वाली का हल्का बांधिये और "ला" पर कलिमे की उंगली उठाइये इस को इधर उधर मत हिलाइये और "इल्ला" पर रख दीजिये और सब उंग्लियां सीधी कर लीजिये (68) दूसरे का'दे में भी इसी तरह बैठिये जिस तरह पहले में बैठे थे और तशह्हुद भी पढ़िये (69) तशह्हुद के बाद दुरूद शरीफ़ पढ़िये , दुरूदे इब्राहीमी पढ़ना अफ़ज़ल है (70) नवाफिल और सुन्नते गैर मुअक्कदा के क़ा'दए ऊला में भी तशह्हुद के बाद दुरूद शरीफ़ पढ़ना सुन्नत है (७१) दुरूद शरीफ़ के बाद दुआ़ पढ़ना ।

सलाम फैरने की सुन्नतें

(72) इन अल्फ़ाज़ के साथ दो बार सलाम फैरना : السلام علیکم ورحمۃ اللہ (73) पहले सीधी तरफ़ , फिर (74) उल्टी तरफ़ मुंह फैरना (75) इमाम के लिये दोनों सलाम बुलन्द आवाज़ से कहना सुन्नत है मगर दूसरा पहले की निस्बत कम आवाज़ से कहे (76) पहली बार के सलाम में सलाम कहते ही इमाम नमाज़ से बाहर हो गया अगर्चे علیکم न कहा हो उस वक़्त अगर कोई शरीके जमाअ़त हो तो इक़्तिदा सह़ीह़ न हुई हाँ अगर सलाम के बाद इमाम ने सज्दए सह्व किया

बशर्ते कि उस पर सज्दए सब हो तो इक़्तिदा सह़ीह़ हो गई (77) इमाम दाहिने सलाम में खिताब से उन मुक़्तदियों की निय्यत करे जो दाहिनी तरफ़ हैं और बाएं से बाईं तरफ़ वालों की मगर ओ़रत की निय्यत न करे अगर्चे शरीके जमाअ़त हो नीज़ दोनों सलामों में किरामन कातिबीन और उन मलाएका की निय्यत करे जिन को अल्लाह ने हिफ़ाज़त के लिये मुक़र्रर किया और निय्यत में कोई अ़दद मुअ़य्यन न करे (78) मुक़्तदी भी हर तरफ़ के सलाम में उस तरफ़ वाले मुक़्तदियों और उन मलाएका की निय्यत करे नीज़ जिस तरफ़ इमाम हो उस तरफ़ के सलाम में इमाम की भी निय्यत करे और अगर इमाम उस के मह़ाज़ी (या'नी ठीक सामने की सीध में) हो तो दोनों सलामों में इमाम की भी निय्यत करे और मुन्फरिद सिर्फ उन फ़िरिश्तों ही की निय्यत करे (79) मुक़्तदी के तमाम इन्तिक़ालात इमाम के साथ होना ।

सलाम फैरने के बा'द की सुन्नतें

(80) सलाम के बाद इमाम के लिये सुन्नत येह है कि दाई तरफ रुख कर ले , दाईं तरफ़ अफ़्ज़ल है और मुक़्तदियों की तरफ रुख कर के भी बैठ सकता है जब कि आख़िरी सफ़ तक भी कोई इस के सामने (या'नी इस के चेहरे की सीध में) नमाज़ न पढ़ता हो (81) मुन्फ़रिद बिगैर रुख बदले अगर वहीं दुआ़ मांगे तो

सुन्नते बा'दिय्या की सुन्नतें

(82) जिन फ़ों के बाद सुन्नतें हैं उन में बा'दे फ़र्ज़ कलाम न करना चाहिये अगर्ने सुन्नतें हो जाएंगी मगर सवाब कम होगा और सुन्नतों में ताख़ीर भी मकरूह है इसी तरह बड़े बड़े अवरादो वजाइफ़ की भी इजाज़त नहीं (83) (फर्ज़ों के बा'द) क़ब्ले सुन्नत मुख़्तसर दुआ़ पर क़नाअ़त चाहिये वरना सुन्नतों का सवाब कम हो जाएगा (84) सुन्नत व फ़र्ज़ के दरमियान कलाम करने से असह़ह़ (या'नी दुरुस्त तरीन) येही है कि सुन्नत बातिल नहीं होती अलबत्ता

सवाब कम हो जाता है , येही हुक्म हर उस काम का है जो मुनाफ़िये तह़रीमा है (85) सुन्नतें वहीं न पढ़िये बल्कि दाएं बाएं, आगे पीछे हट कर पढ़िये या घर कर अदा कीजिये ।

सुन्नतों का एक अहम मस्अला

जो इस्लामी भाई सुन्नते क़ब्लिय्या या सुन्नते बा'दिय्या पढ़ कर आ-मदो रफ़्त और बातचीत में लग जाते हैं वोह सरकारे आ'ला हज़रत رضی اللہ عنہ के इस फ़तवा मुबा-रका से दर्स हासिल करें चुनान्चे एक इस्तिफ़्ता के जवाब में इर्शाद है , "सुन्नते क़ब्लिय्या में औला अव्वल वक़्त है बशर्ते कि फ़र्ज़ व सुन्नत के दरमियान कलाम या कोई फे'ल मुनाफ़िये नमाज़ न करे , और सुन्नते बा'दिय्या में मुस्तह़ब फर्ज़ों से इत्तिसाल है मगर येह कि मकान पर आ कर पढ़े तो फ़स्ल में ह़रज नहीं , लेकिन अजनबी अफ़आ़ल से फ़स्ल न चाहिये येह फ़स्ल सुन्नते क़ब्लिय्या व बा'दिय्या दोनों के सवाब को साक़ित और इन्हें तरीक़ए मस्नूना से खारिज करता है ।

आगे बयान कर्दा 85 सुन्नतों में ज़िम्नन इस्लामी बहनों के लिये भी सुन्नतें हैं इन के लिये "आ़इशा सिद्दीक़ा" के दस हरूफ़ की निस्बत से 10 सुन्नतें

(1) इस्लामी बहन के लिये तक्बीरे तह़रीमा और तक्बीरे कुनूत में सुन्नत यह है कि कन्धों तक हाथ उठाए (2) क़ियाम में औ़रत और खुन्सा (या'नी हीजड़ा) उल्टे हाथ की हथेली सीने पर छाती के नीचे रख कर उस की पुश्त पर सीधी हथेली रखे (3) इस्लामी बहन के लिये रुकूअ़ में घुटनों पर हाथ रखना और उंग्लियां कुशादा न करना सुन्नत है (4) रुकूअ़ में थोड़ा झुके या'नी सिर्फ इतना कि हाथ घुटनों तक पहुंच जाएं पीठ सीधी न करे और घुटनों पर ज़ोर न दे फ़क़त हाथ रख दे और हाथों की उंग्लियां मिली हुई रखे और पाउं झुके हुए रखे

मर्दों की तरह खूब सीधे न कर दे (5) सिमट कर सज्दा करे या'नी बाज़ू करवटों से (6) पेट रानों से (7) राने पिंडलियों से और (8) पिंडलियां ज़मीन से मिला दे (9) दूसरी रकअ़त के सज्दों से फ़ारिग हो कर दोनों पाउं सीधी जानिब निकाल दे और (10) उल्टी सुरीन पर बैठे -

"सदक़े या रसूलल्लाह" के 14 हुरूफ़ की निस्बत से नमाज़ के तक़रीबन 14 मुस्तह़ब्बात

(1) निय्यत के अल्फ़ाज़ ज़बान से कह लेना (जब कि दिल में निय्यत हाज़िर हो वरना तो नमाज़ होगी ही नहीं) (2) क़ियाम में दोनों पन्जों के दरमियान चार उंगल का फ़ासिला होना (3) क़ियाम की ह़ालत में सज्दे की जगह (4) रुकूअ़ में दोनों क़दमों की पुश्त पर, (5) सज्दे में नाक की तरफ़, (6) क़ा'दह में गोद की तरफ़ (7) पहले सलाम में सीधे कन्धे की तरफ़ और (8) दूसरे सलाम में उल्टे कन्धे की तरफ़ नज़र करना (9) मुन्फरिद को सज्दों में तीन बार से ज़ियादा (मगर ताक़ अ़दद म-सलन पांच , सात , नौ) तस्बीह़ कहना (10) “हिल्या" वगैरा में हज़रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन मुबारक رضی اللہ عنہ वगैरा से है कि इमाम के लिये तस्बीह़ात पांच बार कहना मुस्तह़ब है (11) जिस को खांसी आए उस के लिये मुस्तह़ब है कि जब तक मुम्किन हो न खांसे (12) जमाही आए तो मुंह बन्द किये रहिये और न रुके तो होंट दांत के नीचे दबाइये , अगर इस तरह भी न रुके तो क़ियाम में सीधे हाथ की पुश्त से और गैरे क़ियाम में उल्टे हाथ की पुश्त से मुंह ढांप लीजिये , जमाही रोकने का बेहतरीन तरीक़ा येह है कि दिल में ख़याल कीजिये कि सरकारे मदीना صلی اللہ علیہ وسلم और दीगर अम्बिया علیہم السلام को जमाही कभी नहीं आती थी फौरन रुक जाएगी (13) जब मुकब्बिर حی علی الفلاح कहे तो इमाम व मुक़्तदी सब का खड़ा हो जाना (14) सज्दा ज़मीन पर बिला हाइल होना ।

मश्क़

*- अगर किसी ने नमाज़ की निय्यत ज़बान सी की हो उस का क्या हुक्म है ?

*- सुन्नतों का अहम मसला बयान करे ?

*- नवाफिल और सुन्नत गैरे मुअक्कदा की कादऐ ऊला में भी तशह्हुद की बाद दुरूद शरीफ पढ़ने का क्या हुक्म है ?

*- इमाम व मुक़्तदी का नमाज़ की लिए कब खड़ा होना सुन्नत है ?

सबक़ नंबर ७

मुफ्सिदाते नमाज़

“भाइयो नमाज़ के मुफ्सिदात सीखना फ़र्ज़ है" के उन्तीस हुरूफ की निस्बत से नमाज़ तोड़ने वाली 29 बातें

(1) बात करना (2) किसी को (3) सलाम का जवाब देना (4) छींक का जवाब देना (नमाज़ में खुद को छींक आए तो ख़ामोश रहे) अगर الحمد لله कह लिया तब भी ह़रज नहीं और अगर उस वक़्त हम्द न की तो फ़ारिग हो कर कहे (5) खुश खबरी सुन कर जवाबन الحمد لله कहना (6) बुरी खबर (या किसी की मौत की ख़बर) सुन कर انا لله و انا اليہ راجعون कहना (Lal) (7) अज़ान का जवाब देना (8) अल्लाह का नाम सुन कर जवाबन جلا جلالہ कहना (9) सरकारे मदीना صلی اللہ علیہ وسلم का इस्मे गिरामी सुन कर जवाबन दुरूद शरीफ़ पढ़ना म-सलन صلی اللہ علیہ وسلم कहना (अगर جلا جلالہ या صلی اللہ علیہ وسلم जवाब की निय्यत से न कहा तो नमाज़ न टूटी)

नमाज़ में रोना

(10) दर्द या मुसीबत की वज्ह से येह अल्फ़ाज़ “आह", "ऊह" "उफ़", "तुफ़" निकल गए या आवाज़ से रोने में ह़र्फ पैदा हो गए नमाज़ फ़ासिद हो गई , अगर रोने में सिर्फ आंसू निकले आवाज व हरूफ नहीं निकले तो ह़रज नहीं , अगर नमाज़ में इमाम के पढ़ने की आवाज़ पर रोने लगा और "अरे", "नअ़म", "हां" ज़बान से जारी हो गया तो कोई ह़रज नहीं कि येह खुशूअ़ के बाइस है और अगर इमाम की खुश इल्ह़ानी के सबब येह अल्फ़ाज़ कहे तो नमाज़ टूट गई ।

नमाज़ में खांसना

(11) मरीज़ की ज़बान से बे इख्तियार आह ! , ऊह निकला नमाज़ न टूटी यूं ही छींक , जमाही , खांसी , डकार वगैरा में जितने हुरूफ मजबूरन निकलते हैं मुआ़फ हैं (12) फूंकने में अगर आवाज़ न पैदा हो तो वोह सांस की मिस्ल है और नमाज़ फ़ासिद नहीं होती मगर क़स्दन फूंकना मकरूह है और अगर दो ह़र्फ पैदा हों जैसे उफ़, तुफ़ तो नमाज़ फ़ासिद हो गई (13) खंकारने में जब दो हुरूफ़ ज़ाहिर हों जैसे अख़ तो मुफ्सिद है , हाँ ! अगर उ़ज़्र या सह़ीह़ मक़्सद हो म-सलन तबीअ़त का तक़ाज़ा हो या आवाज़ साफ़ करने के लिये हो या इमाम को लुक्मा देना मक्सूद हो या कोई आगे से गुज़र रहा हो उस को मु-तवज्जेह करना हो इन वुजूहात की बिना पर खांसने में कोई मुज़ा-यक़ा नहीं।

दौराने नमाज़ देख कर पढ़ना

(14) मुस्हफ़ शरीफ़ से या किसी कागज़ से या मेहराब वगैरा में लिखा हुवा देख कर क़ुरआन शरीफ़ पढ़ना (हाँ , अगर याद पर पढ़ रहे हैं और मुस्हफ़ शरीफ़ या मेहराब वगैरा पर सिर्फ नज़र है तो ह़रज नहीं , अगर किसी काग़ज़ वगैरा पर आयात लिखी हैं उसे देखा और समझा मगर पढ़ा नहीं इस में भी कोई मुज़ायक़ा नहीं) (15) इस्लामी किताब या इस्लामी मज़मून दौराने नमाज़ जानबूझ कर देखना और इरा-दतन समझना मकरूह है दुन्यवी मज़मून हो तो ज़ियादा कराहिय्यत है , लिहाज़ा नमाज़ में अपने क़रीब किताबें या तह़रीर वाले पेकेट और शोपिंग बेग , मोबाइल फ़ोन या घड़ी वगैरा इस तरह रखिये कि उन की लिखाई पर नज़र न पड़े या इन पर रूमाल वगैरा उढ़ा दीजिये , नीज़ दौराने नमाज़ सुतून वगैरा पर लगे हुए स्टीकर्ज़ , इश्तिहार और फ्रेमों वगैरा पर नज़र डालने से भी बचिये ।

अ़-मले कसीर की तारीफ़

(16) अ़-मले कसीर नमाज़ को फ़ासिद कर देता है जब कि न नमाज़ के आ'माल से हो न ही इस्लाहे नमाज़ के लिये किया गया हो , जिस काम के

करने वाले को दूर से देखने से ऐसा लगे कि येह नमाज़ में नहीं है बल्कि अगर गुमान भी गालिब हो कि नमाज़ में नहीं तब भी अ़-मले कसीर है और अगर दूर से देखने वाले को शको शुबह है कि नमाज़ में है या नहीं तो अ़-मले क़लील है और नमाज़ फ़ासिद न होगी ।

दौराने नमाज़ लिबास पहनना

(17) दौराने नमाज़ कुरता या पाजामा पहनना या तहबन्द बांधना (18) दौराने नमाज़ सित्र खुल जाना और इसी ह़ालत में कोई रुक्न अदा करना या तीन बार कहने की मिक़्दार वक्फा गुज़र जाना ।

नमाज़ में कुछ निगलना

(19) मा'मूली सा भी खाना या पीना म-सलन तिल बिगैर चबाए निगल लिया । या कतरा मुंह में गिरा और निगल लिया (20) नमाज़ शुरूअ़ करने से पहले ही कोई चीज़ दांतों में मौजूद थी उसे निगल लिया तो अगर वोह चने के बराबर या इस से ज़ियादा थी तो नमाज़ फ़ासिद हो गई और अगर चने से कम थी तो मकरूह (21) नमाज़ से क़ब्ल कोई मीठी चीज़ खाई थी अब उस के अज्ज़ा मुंह में बाक़ी नहीं सिर्फ लुआ़बे दहन में कुछ असर रह गया है उस के निगलने से नमाज़ फ़ासिद न होगी (22) मुंह में शकर वगैरा हो कि घुल कर ह़ल्क़ में पहुंचती है नमाज़ फ़ासिद हो गई (23) दांतों से खून निकला अगर थूक गालिब है तो निगलने से फ़ासिद न होगी वरना हो जाएगी (ग-लबे की अलामत येह है कि अगर ह़ल्क़ में मज़ा मह़सूस हुवा तो नमाज़ फ़ासिद हो गई , नमाज़ तोड़ने में ज़ाएक़े का ए'तिबार है और वुज़ू टूटने में रंग का लिहाज़ा वुज़ू उस वक़्त टूटता है जब थूक सुर्ख हो जाए और अगर थूक ज़र्द है तो वुज़ू बाक़ी है)

दौराने नमाज़ क़िब्ले से इन्ह़िराफ़

(24) बिला ऊ़ज़्र सीने को सम्ते का'बा से 45 द-रजा या इस से ज़ियादा फैरना मुफ्सिदे नमाज़ है , अगर ऊ़ज़्र से हो तो मुफ़्सिद नहीं म-सलन ह़दस (या'नी वुज़ू टूट जाने) का गुमान हुवा और मुंह फैरा ही था कि गुमान की ग-लती ज़ाहिर हुई तो अगर मस्जिद से खारिज न हुवा हो नमाज़ फ़ासिद न होगी ।

नमाज़ में सांप मारना

(25) सांप बिच्छू को मारने से नमाज़ नहीं टूटती जब कि न तीन क़दम चलना पड़े न तीन ज़र्बे की ह़ाजत हो वरना फ़ासिद हो जाएगी सांप बिच्छू को मारना उस वक़्त मुबाह है जब कि सामने से गुज़रे और ईज़ा देने का खौफ़ हो , अगर तक्लीफ़ पहुंचाने का अन्देशा न हो तो मारना मकरूह है (26) पै दर पै तीन बाल उखेड़े या तीन जूएं मारी या एक ही जूं को तीन बार मारा नमाज़ जाती रही और अगर पै दर पै न हो तो नमाज़ फ़ासिद न हुई मगर मकरूह है !

नमाज़ में खुजाना

(27) एक रुक्न में तीन बार खुजाने से नमाज़ फ़ासिद हो जाती है या'नी यूं कि खुजा कर हाथ हटा लिया फिर खुजाया फिर हटा लिया येह दो बार हुवा अगर अब इसी तरह तीसरी बार किया तो नमाज़ जाती रहेगी , अगर एक बार हाथ रख कर चन्द बार ह़रकत दी तो येह एक ही मरतबा खुजाना कहा जाएगा ।

अल्लाहु अकबर कहने में ग-लतियां

(28) तक्बीराते इन्तिक़ालात में अल्लाहु अकबर को दराज़ किया या'नी "आल्लाह" या "आक्बर" कहा या " के बाद अलिफ़ बढ़ाया या'नी "अक्बार" कहा तो नमाज़ फ़ासिद हो गई और अगर तक्बीरे तह़रीमा में ऐसा हुवा तो नमाज़ शुरूअ़ ही न हुई अक्सर मुकब्बिर (या'नी जमाअ़त में इमाम की तकबीरात पर जोर से तक्बीरें कह कर आवाज़ पहुंचाने वाले) येह ग-लतियां ज़ियादा करते हैं और यूं अपनी और दूसरों की नमाज़े गारत करते हैं , लिहाज़ा जो इन अह़काम

को अच्छी तरह न जानता हो उसे मुकब्बिर नहीं बनना चाहिये (29) क़िराअत या अज़कारे नमाज़ में ऐसी ग-लती जिस से मा'ना फ़ासिद हो जाएं नमाज़ फ़ासिद हो जाती है ।

मश्क़

*- अमले कसीर की तारीफ क्या है ?

*- नमाज़ में कुछ निगलना कैसा ?

*- नमाज़ में दुरूदे पाक पढना कैसा ?

*- नमाज़ में खुजाने का क्या हुक्म है ?

*- दांतों के दरमियाँ कुछ फंसा हो तो नमाज़ में निगलना कैसा ?

सबक़ नंबर ८

“पक्का नमाज़ी बिला शक जन्नतुल फ़िरदौस का हक़दार है" के बत्तीस हरूफ़ की निस्बत से नमाज़ के 32 मकरूहाते तह़रीमा

(1) दाढ़ी , बदन या लिबास के साथ खेलना (2) कपड़ा समेटना जैसा कि आज कल बा'ज़ लोग सज्दे में जाते वक़्त पाजामा वगैरा आगे या पीछे से उठा लेते हैं , अगर कपड़ा बदन से चिपक जाए तो एक हाथ से छुड़ाने में ह़रज नहीं ।

कन्धों पर चादर लटकाना

(3) सदल या'नी कपड़ा लटकाना , म-सलन सर या कन्धे पर इस तरह से चादर या रूमाल वगैरा डालना कि दोनों कनारे लटक्ते हों हाँ अगर एक कनारा दूसरे कन्धे पर डाल दिया और दूसरा लटक रहा है तो ह़रज नहीं (4) आज कल बा'ज़ लोग एक कन्धे पर इस तरह रूमाल रखते हैं कि इस का एक सिरा पेट पर लटक रहा होता है और दूसरा पीठ पर , इस तरह नमाज़ पढ़ना मकरूहे तह़रीमी है (5) दोनों आस्तीनों में से अगर एक आस्तीन भी आधी कलाई से ज़ियादा चढ़ी हुई हो तो नमाज़ मकरूहे तह़रीमी होगी ।

तबई ह़ाजत की शिद्दत

(6) पेशाब , पाख़ाना या रीह की शिद्दत होना अगर नमाज़ शुरूअ़ करने से पहले ही शिद्दत हो तो वक़्त में वुस्अ़त होने की सूरत में नमाज़ शुरूअ़ करना ही गुनाह है , हाँ ! अगर ऐसा है कि फ़रागत और वुज़ू के बाद नमाज़ का वक़्त ख़त्म हो जाएगा तो नमाज़ पढ़ लीजिये और अगर दौराने नमाज़ येह ह़ालत पैदा हुई तो अगर वक़्त में गुन्जाइश हो तो नमाज़ तोड़ देना वाजिब है अगर इसी तरह पढ़ ली तो गुनहगार होंगे ।

नमाज़ में कंकरियां हटाना

(7) दौराने नमाज़ कंकरियां हटाना मकरूहे तह़रीमी है , हज़रते सय्यिदुना जाबिर رضی اللہ عنہ फ़रमाते हैं, मैंने दौराने नमाज़ कंकरी छूने से मु-तअ़ल्लिक़ बारगाहे रिसालत صلی اللہ علیہ وسلم में सुवाल किया , इर्शाद हुवा, “एक बार , और अगर तू इस से बचे तो सियाह आंख वाली सो 100 ऊंटनियों से बेहतर है , हाँ अगर सुन्नत के मुताबिक सज्दा अदा न हो सकता हो तो एक बार हटाने की इजाज़त और अगर बिगैर हटाए वाजिब अदा न होता हो तो हटाना वाजिब है चाहे एक बार से ज़ियादा की ह़ाजत पड़े ।

उंग्लियां चटख़ाना

(8) नमाज़ में उंग्लियां चटख़ाना -

खा-तमुल मुहक्क्क़ीन हज़रते अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी رحمۃ اللہ تعالی علیہ फ़रमाते हैं , इब्ने माजह की रिवायत है कि सरकारे मदीना صلی اللہ علیہ وسلم ने फ़रमाया, "नमाज़ में अपनी उँग्लियां न चटखाया करो

(9) तश्बीक या'नी एक हाथ की उंग्लियां दूसरे हाथ की उंग्लियों में डालना ।

सरकारे मदीना صلی اللہ علیہ وسلم ने फ़रमाया, "जो मस्जिद के इरादे से निकले तो तश्बीक या'नी एक हाथ की उंग्लियां दूसरे हाथ की उंग्लियों में न डाले बेशक वोह नमाज़ (के हुक्म) में है , नमाज़ के लिये जाते वक़्त और नमाज़ के इन्तिज़ार में भी येह दोनों चीजें मकरूहे तह़रीमी हैं ।

कमर पर हाथ रखना

(10) कमर पर हाथ रखना नमाज़ के इ़लावा भी कमर पर (या'नी दोनों पहलूओं के वस्त में) हाथ नहीं रखना चाहिये , अल्लाह के महबूब صلی اللہ علیہ وسلم फ़रमाते हैं, "कमर पर हाथ रखना जहन्नमियों की राहत है ।

आस्मान की तरफ़ देखना

(11) निगाह आस्मान की तरफ़ उठाना , अल्लाह के महबूब صلی اللہ علیہ وسلم फ़रमाते हैं, “क्या हाल है उन लोगों का जो नमाज़ में आस्मान की तरफ़ आंखें उठाते हैं इस से बाज़ रहें या उन की आंखें उचक ली जाएंगी " इधर उधर मुंह फैर कर देखना , चाहे पूरा मुंह फैरा या थोड़ा , मुंह फैरे बिगैर सिर्फ आंखें फिरा कर इधर उधर बे ज़रूरत देखना मकरूहे तन्ज़ीही है और नादिरन किसी ग-रज़े सहीह़ के तहूत हो तो ह़रज नहीं ।

सरकारे मदीना , सुल्ताने बा क़रीना , क़रारे क़ल्बो सीना , फैज़ गन्जीना صلی اللہ علیہ وسلم फ़रमाते हैं, "जो बन्दा नमाज़ में है अल्लाह عزوجل की रह़मते खास्सा उस की तरफ़ मु-तवज्जेह रहती है जब तक इधर उधर न देखे , जब उस ने अपना मुंह फैरा उस की रहमत भी फिर जाती है ।"

(1२) मर्द का सज्दे में कलाइयां बिछाना (1३)

किसी शख्स के मुंह के सामने नमाज़ पढ़ना , दूसरे शख्स को भी नमाज़ी की तरफ़ मुंह करना ना जाइज़ व गुनाह है कोई पहले से चेहरा किये हुए हो और अब कोई उस के चेहरे की तरफ रुख कर के नमाज़ शुरूअ़ करे तो नमाज़ शुरूअ़ करने वाला गुनहगार हुवा और इस नमाज़ी पर कराहत आई वरना चेहरा करने वाले पर गुनाह व कराहत है , जो लोग जमाअ़त का सलाम फिर जाने के बा'द अपने ऐन पीछे नमाज़ पढ़ने वाले की तरफ़ चेहरा कर के उस को देखते हैं या पीछे जाने के लिये उस की तरफ़ मुंह कर के खड़े हो जाते हैं कि येह सलाम फैरे तो निकलूं , या नमाज़ी के ठीक सामने खड़े हो कर या बैठ कर ए'लान करते , दर्स देते , बयान करते हैं येह सब तौबा करें (1४) नमाज़ में नाक और मुंह छुपाना (1५) बिला ज़रूरत खन्कार (या'नी बल्गम वगैरा) निकालना (1६) क़स्दन जमाही लेना , अगर खुद ब खुद आए तो ह़रज नहीं मगर रोकना मुस्तह़ब है , अल्लाह के महबूब صلی اللہ علیہ وسلم फ़रमाते हैं, "जब नमाज़ में किसी को जमाही आए तो जहां तक हो सके रोके कि शैतान मुंह में दाखिल हो जाता है।" (1७) उल्टा क़ुरआने मज़ीद पढ़ना (म-सलन पहली रकअ़त में " تبت

يدا" पढ़ी और दूसरी में اذا جاء (1८) किसी वाजिब को तर्क करना म-सलन "क़ौमा" और "जल्सा" में पीठ सीधी होने से पहले ही रुकूअ़ या दूसरे सज्दे में चला जाना , इस गुनाह में मुसलमानों की अच्छी खासी ता'दाद मुलव्वस नज़र आती है , याद रखिये ! जितनी भी नमाज़े इस तरह पढ़ी होंगी सब का लौटाना वाजिब है (१९) "क़ियाम" के इ़लावा किसी और मौक़ा पर क़ुरआने मज़ीद पढ़ना (२०) क़िराअत रुकूअ़ में पहुंच कर ख़त्म करना (२१) इमाम से पहले मुक़्तदी का रुकूअ़ व सुजूद वगैरा में चला जाना इससे पहले सर उठाना (२२) दूसरा कपड़ा होने के बावजूद सिर्फ पाजामा या तहबन्द में पढ़ना (२३) किसी आने वाले शनासा की ख़ातिर इमाम का नमाज़ को तूल देना अगर उस की नमाज़ पर इआ़नत (मदद) के लिये एक दो तस्बीह़ की क़दर तूल दिया तो ह़रज नहीं (२४) ज़मीने मगसूबा (या'नी ऐसी ज़मीन जिस पर ना जाइज़ कब्ज़ा किया हो) या (२५) पराया खेत जिस में ज़राअत मौजूद है या (२६) जुते हुए खेत में या (२७) क़ब्र के सामने जब कि क़ब्र और नमाज़ी के बीच में कोई चीज़ ह़ाइल न हो नमाज़ पढ़ना (२८) कुफ्फार के इबादत खानों में नमाज़ पढ़ना बल्कि इन में जाना (२९) कुरते वगैरा के बटन खुले होना जिस से सीना खुला रहे मकरूहे तह़रीमी है हाँ अगर नीचे कोई और कपड़ा है जिस से सीना नहीं खुला तो मकरूहे तन्ज़ीही है (31) जानदार की तस्वीर वाला लिबास पहन कर नमाज़ पढ़ना मकरूहे तह़रीमी है नमाज़ के इ़लावा भी ऐसा कपड़ा पहनना जाइज़ नहीं (32) नमाज़ी के सर पर या'नी छत पर या सज्दे की जगह पर या आगे या दाएं या बाएं जानदार की तस्वीर आवेज़ां होना मकरूहे तह़रीमी है और पीछे होना भी मकरूह है मगर गुज़श्ता सूरतों से कम , अगर तस्वीर फ़र्श पर है और उस पर सज्दा नहीं होता तो कराहत नहीं अगर तस्वीर गैर जानदार की है जैसे पहाड़ दरिया वगैरा तो इस में कोई मुज़ायक़ा नहीं , इतनी छोटी तस्वीर हो जिसे ज़मीन पर रख कर खड़े हो कर देखें तो आ'ज़ा की तफ्सील न दिखाई दे (जैसा के उमूमन तवाफ़े का'बा के मन्ज़र की तस्वीरें बहुत छोटी होती हैं येह

तसावीर) नमाज़ के लिये बाइसे कराहत नहीं हैं , हाँ , तवाफ़ की भीड़ में एक भी चेहरा वाज़ेह हो गया तो मुमा-न-अत बाक़ी रहेगी , चेहरे के इ़लावा म-सलन हाथ , पाउं , पीठ , चेहरे का पिछला ह़िस्सा या ऐसा चेहरा जिस की आंखें , नाक , होंट वग़ैरा सब आ'ज़ा मिटे हुए हों ऐसी तसावीर में कोई ह़रज नहीं ।

मश्क़

*- सदल किसे कहते है ?

*- नमाज़ में उँगलियाँ चटखाना कैसा ?

*- नमाज़ में इधर उधर देखना कैसा ?

*- किस किस जगह मकरूहे तह़रीमी है ?

*- नमाज़ में तस्वीर का क्या हुक्म है तफ्सीली तौर बयान करें ?

सबक़ नंबर ९

"या रब ! तेरी पसन्द की नमाज़ पढ़ने की सआ़दत मिले" के तेंतीस हरूफ़ की निस्बत से नमाज़ के 33 मकरूहाते तन्ज़ीहा

(1) दूसरे कपड़े मुयस्सर होने के बावजूद कामकाज के लिबास में नमाज़ पढ़ना , मुंह में कोई चीज़ लिये हुए होना , अगर इस की वज्ह से क़िराअत ही न हो सके या ऐसे अल्फ़ाज़ निकलें कि जो क़ुरआने पाक के न हों तो नमाज़ ही फ़ासिद हो जाएगी (2) सुस्ती से नंगे सर नमाज़ पढ़ना , नमाज़ में टोपी या इमामा शरीफ़ गिर पड़ा तो उठा लेना अफ़ज़ल है जबकि अ़-मले कसीर की ह़ाजत न पड़े वरना नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी। और बार बार उठाना पड़े तो छोड़ दें और न उठाने से खुशूओ खुज़ूअ़ मक़्सूद हो तो न उठाना अफ़ज़ल है अगर कोई नंगे सर नमाज़ पढ़ रहा हो या उस की टोपी गिर पड़ी हो तो उस को दूसरा शख्स टोपी न पहनाए (3) रुकूअ़ या सज्दे में बिला ज़रूरत तीन बार से कम तस्बीह़ कहना (अगर वक़्त तंग हो या ट्रेन चल पड़ने के ख़ौफ़ से हो तो ह़रज नहीं , अगर मुक़्तदी तीन तस्बीह़ात न कहने पाया था कि इमाम ने सर उठा लिया तो इमाम का साथ दे) (4) नमाज़ में पेशानी से ख़ाक या घास छुड़ाना , हाँ अगर इन की वज्ह में ध्यान बटता हो तो छुड़ाने में ह़रज नहीं (5) सज्दे वगैरा में उंग्लियां क़िब्ले से फैर देना (6) मर्द का सज्दे में रान को पेट से चिपका देना (7) नमाज़ में हाथ या सर के इशारे से सलाम का जवाब देना ज़बान से जवाब देना मुफ्सिदे नमाज़ है (8) नमाज़ में बिला उ़ज़्र चार जानू या'नी चोकड़ी मार कर बैठना (9) अंगड़ाई लेना और (10) इरादतन खांसना, खन्कारना अगर तबीअ़त चाहती हो तो ह़रज नहीं (11) सज्दे में जाते हुए घुटने से पहले बिला उ़ज़्र हाथ ज़मीन पर रखना (12) उठते वक़्त बिला उ़ज़्र हाथ से क़ब्ल घुटने ज़मीन से उठाना (13) रुकूअ़ में सर को पीठ से ऊंचा नीचा करना (14) नमाज़ में सना , तअ़व्वुज़ , तस्मिया और आमीन ज़ोर से कहना (16)

रुकूअ़ में घुटनों पर और (17) सज्दों में ज़मीन पर हाथ न रखना (18) दाएं बाएं झूमना और तरावुह या'नी कभी दाएं पाउं पर और कभी बाएं पाउं पर जोर देना येह सुन्नत है और सज्दे के लिये जाते हुए सीधी तरफ़ ज़ोर देना और उठते वक़्त उल्टी तरफ़ ज़ोर देना मुस्तहब है (19) नमाज़ में आंखें बन्द रखना , हाँ अगर खुशूअ़ आता हो तो आंखें बन्द रखना अफ़ज़ल है (20) जलती आग के सामने नमाज़ पढ़ना शमअ़ या चराग सामने हो तो ह़रज नहीं (21) ऐसी चीज़ के सामने नमाज़ पढ़ना जिस से ध्यान बटे म-सलन ज़ीनत और लह्वो लइब वगैरा (22) नमाज़ के लिये दौड़ना (23) आम रास्ता (24) कूड़ा डालने की जगह (25) मज़्बह़ या'नी जहां जानवर ज़ब्ह किये जाते हों वहां (26) इस्तबल या'नी घोड़े बांधने की जगह (27) गुस्ल खाना (28) मवेशी ख़ाना खुसूसन जहां ऊंट बांधे जाते हों (29) इस्तिन्जा खाने की छत और (30) सहरा में बिला सुतरा के जब कि आगे से लोगों के गुज़रने का इम्कान हो , इन जगहों पर नमाज़ पढ़ना (31) बिगैर उ़ज़्र हाथ से मक्खी मच्छर उड़ाना (नमाज़ में जूं या मच्छर ईज़ा देते हों तो पकड़ कर मार डालने में कोई ह़रज नहीं जब कि अ़-मले कसीर से न हो) (32) हर वोह अ़-मले क़लील जो नमाज़ी के लिये मुफीद हो जाइज़ है और जो मुफीद न हो वोह मकरूह (33) उल्टा कपड़ा पहनना या ओढ़ना ।

हाफ़ आस्तीन में नमाज़ पढ़ना कैसा ?

आधी आस्तीन वाला कुरता या कमीस पहन कर नमाज़ पढ़ना मकरूहे तन्ज़ीही है जब कि उस के पास दूसरे कपड़े मौजूद हों , हज़रते सदरुश्शरीअह मुफ्ती मुहम्मद अमजद अली आ'जमी फ़रमाते हैं : "जिस के पास कपड़े मौजूद हों और सिर्फ नीम आस्तीन (या'नी आधी आस्तीन) या बनियान पहन कर नमाज़ पढ़ता है तो कराहते तन्ज़ीही है और कपड़े मौजूद नहीं तो कराहत भी नहीं" मुफ्तिये आ'जम पाकिस्तान हज़रते क़िब्ला मुफ्ती वक़ालीन कादिरी र-ज़वी علیہ رحمۃ اللہ القوی फ़रमाते हैं , हाफ़ आस्तीन वाला कुरता , कमीस या शर्ट कामकाज करने

वाले लिबास में शामिल हैं (कि कामकाज वाला लिबास पहन कर इन्सान मुअज्ज़ज़ीन के सामने जाते हुए कतराता है) इस लिये जो हाफ़ आस्तीन वाला कुरता पहन कर दूसरे लोगों के सामने जाना गवारा नहीं करते , उन की नमाज़ मकरूहे तन्ज़ीही है और जो लोग ऐसा लिबास पहन कर सब के सामने जाने में कोई बुराई मह़सूस नहीं करते, उन की नमाज़ मकरूह नहीं ।

कुफ्र पर ख़ातिमे का खौफ़

इफ्तार पार्टियों , दावतों , नियाज़ो और ना'त ख्वानियों वगैरा की वज्ह से फ़र्ज़ नमाज़ों की मस्जिद की जमाअ़ते ऊला (या'नी पहली जमाअ़त) तर्क करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं , यहां तक कि जो लोग घर या हॉल या बंगले के कम्पाउन्ड वगैरा में तरावीह़ की जमाअ़त क़ाइम करते हैं और क़रीब मस्जिद मौजूद है तो उन पर वाजिब है कि पहले फ़र्ज़ रकअ़तें जमाअ़ते ऊला के साथ मस्जिद में अदा करें , जो लोग बिला उज़्रे शर-ई बावुज़ूदे कुदरत फ़र्ज़ नमाज़ मस्जिद में जमाअ़ते ऊला के साथ अदा नहीं करते उन को डर जाना चाहिये कि सरकारे मदीना , राहते कल्बो सीना , फैज़ गन्जीना , साहि़बे मुअत्तर पसीना - صلی اللہ علیہ وسلم का फ़रमाने इब्रत निशान है , "जिस को येह पसन्द हो कि कल अल्लाह तआ़ला से मुसल्मान हो कर मिले तो वोह इन पांच नमाज़ो (की जमाअ़त) पर वहां पाबन्दी करे जहां अज़ान दी जाती है क्यूं कि अल्लाह ने तुम्हारे नबी صلی اللہ علیہ وسلم के लिये सु-नने हुदा मशरूअ की और येह (बा जमाअ़त) नमाज़े भी सु-नने हुदा से हैं और अगर तुम अपने नबी की सुन्नत छोड़ दोगे तो गुमराह हो जाओगे" इस हदीसे मुबारक से इशारा मिलता है कि जमाअ़ते ऊला की पाबन्दी करने वाले का ख़ातिमा बिलखैर होगा और जो बिला शर-ई़ मजबूरी के मस्जिद की जमाअ़ते ऊला तर्क करता है उस के लिये معاذ اللہ कुफ्र पर ख़ातिमे का खौफ़ है , जो लोग खवा म्ख्वा सुस्ती की वजह से पूरी जमाअ़त हासिल नहीं करते वो तवज्जो फरमायें , कि मेरे आक़ा आ'ला ह़ज़रत इमामे अहले सुन्नत मौलाना शाह अह़मद रज़ा खान علیہ رحمۃ الرحمن फरमाते

है , बहरुर्राइक़ में है , कुनिया में है अगर अज़ान सुनकर दुखूले मस्जिद (या'नी मस्जिद में दाखिल होने के लिए) इक़ामत का इन्तिज़ार करता है तो गुनाहगार होगा , फतावा रजविया के उसी सफ्हे पर है : जो शख्स अज़ान सुन कर घर में इक़ामत का इन्तिज़ार करता है , उस की शहादत या'नी गवाही क़ुबूल नहीं , मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! जो इक़ामत तक मस्जिद में नहीं आ जाता , बा'ज़ फु-क़हा ए किराम की नज़्दीक वो गुनहगार और मर्दूदुश्शहादह या'नी गवाही के लिए नालाइक़ है , तो बिला उ़ज़्र घर में जमाअ़त क़ाइम करता , या बगैर जमाअ़त नमाज़ पढता या नमाज़ ही नहीं पढ़ता तो उस का क्या ह़ाल होगा !

मश्क़

*- मकरूहाते तन्ज़ीही बयान करें ?

*- अमले क़लील क्या है , इसका क्या हुक्म है ?

*- हाफ आस्तीन में नमाज़ पढ़ना कैसा ?

*- नमाज़ में चार ज़ानू बैठ सकते है ?

सबक़ नंबर १०

"या रसूले पाक"

के तेरह हुरूफ़ की निस्बत से नमाज़े वित्र के 13 म-दनी फूल

(1) नमाज़े वित्र वाजिब है (2) अगर येह छूट जाए तो इस की क़ज़ा लाज़िम है (3) वित्र का वक़्त इशा के फ़र्ज़ के बाद से सुब्हे सादिक़ तक है (4) जो सो कर उठने पर क़ादिर हो उस के लिये अफ़ज़ल है कि पिछली रात में उठ कर पहले तहज्जुद अदा करे फिर वित्र (5) इस की तीन रकअ़तें हैं (6) इस में क़ा'दए ऊला वाजिब है सिर्फ तशहहुद पढ़ कर खड़े हो जाइये (7) तीसरी रकअ़त में क़िराअत के बाद तक्बीरे क़ुनूत कहना वाजिब है (8) जिस तरह तक्बीरे तह़रीमा कहते हैं इसी तरह पहले हाथ कानों तक उठाइये फिर कहिये (9) फिर हाथ बांध कर दुआ़ए क़ुनूत पढ़िये ।

सज्दए सह्व का बयान

(1) वाजिबाते नमाज़ में से अगर कोई वाजिब भूले से रह जाए या फ़राइज़ व वाजिबाते नमाज़ में भूले से ताखीर हो जाए तो सज्दए सह्व वाजिब हैं (2) अगर सज्दए सह्व वाजिब होने के बावजूद न किया तो नमाज़ लौटाना वाजिब है (3) जानबूझ कर वाजिब तर्क किया तो सज्दए सह्व काफ़ी नहीं बल्कि नमाज़ दोबारा लौटाना वाजिब है (4) कोई ऐसा वाजिब तर्क हुवा जो वाजिबाते नमाज़ से नहीं बल्कि इस का वुजूब अम्रे खारिज से हो तो सज्दए सह्व वाजिब नहीं म-सलन ख़िलाफे तरतीब क़ुरआने पाक पढ़ना तर्के वाजिब और गुनाह है मगर इस का तअ़ल्लुक़ वाजिबाते नमाज़ से नहीं बल्कि वाजिबाते तिलावत से है लिहाज़ा सज्दए सह्व नहीं अलबत्ता इस से तौबा करे (5) फ़र्ज़ तर्क हो जाने से नमाज़ जाती रहती है सज्दए सब से इस की तलाफ़ी नहीं हो सकती लिहाज़ा दोबारा पढ़िये (6) सुन्नतें या मुस्तह़ब्बात म-सलन "सना" , "तअ़व्वुज़" , "तस्मिया' , "आमीन" , तक्बीराते इन्तिक़ालात और तस्बीह़ात के तर्क से सज्दए

सह्व वाजिब नहीं होता , नमाज़ हो गई मगर दोबारा पढ़ लेना मुस्तह़ब है भूल कर तर्क किया हो या जानबूझ कर (7) नमाज़ में अगर्चे दस वाजिब तर्क हुए सह्व के दो ही सज्दे सब के लिये काफ़ी हैं (8) ता'दीले अरकान (म-सलन रुकूअ़ के बाद सीधा खड़ा होना या दो सज्दो के दरमियान एक बार سبحان الله कहने की मिक़दार सीधा बेठना भूल गए , सज्दए सह्व वाजिब है (10) क़िराअत वगैरा किसी मौक़अ पर सोचने में तीन मर्तबा سبحان الله कहने का वक्फ़ा गुज़र गया सज्दए सह्व वाजिब हो गया (11) सज्दए सह्व के बाद भी अत्तह़िय्यात पढ़ना वाजिब है अत्तह़िय्यात पढ़ कर सलाम फैरिये और बेहतर येह है कि दोनों का'दों में दुरूद शरीफ़ भी पढ़िये (12) इमाम से सह्व हुवा और सज्दए सह्व किया तो मुक़्तदी पर भी सज्दा वाजिब है (13) अगर मुक़्तदी से ब ह़ालते इक़्तिदा सह्व वाक़ेअ़ हुवा तो सज्दए सब वाजिब नहीं और नमाज़ लौटाने की भी ह़ाजत नहीं , निहायत अहम मस्अला कसीर इस्लामी भाई ना वाकिफ़िय्यत की बिना पर अपनी नमाज़ ज़ाएअ़ कर बैठते हैं लिहाज़ा येह मस्अला खूब तवज्जोह से पढ़िये (14) मस्बूक़ (या'नी जो एक या कई रकअ़तें फ़ौत होने के बाद नमाज़ में शामिल हुवा) को इमाम के साथ सलाम फैरना जाइज़ नहीं अगर क़स्दन फैरेगा तो नमाज़ जाती रहेगी और अगर भूल कर इमाम के साथ बिला वक़्फ़ा फ़ौरन सलाम फैरा तो ह़रज नहीं लेकिन येह नादिर सूरत है और अगर भूल कर सलाम इमाम के कुछ भी बा'द फैरा तो खड़ा हो जाये अपनी नमाज़ पूरी कर के सज्दए सह्व करे (15) मस्बूक़ इमाम के साथ सज्दए सह्व करे अगर्चे उस के शरीक होने से पहले ही इमाम को सह्व हुवा और अगर इमाम के साथ सज्दए सह्व न किया और अपनी बक़िय्या पढ़ने खड़ा हो गया तो आख़िर में सज्दए सह्व करे और इस मस्बूक़ से अपनी नमाज़ में भी सह्व हुवा तो आखिर के येही सज्दे इस इमाम वाले सह्व के लिये भी काफ़ी हैं (16) क़ा'दए ऊला में तशह्हुद के बा'द इतना पढ़ा اللهم صل على محمد तो सज्दए सब वाजिब है इस की वज्ह येह नहीं कि दुरूद शरीफ़ पढ़ा बल्कि

इस की वज्ह येह है कि तीसरी रक्अत के क़ियाम में ताखीर हुई , लिहाज़ा अगर इतनी देर तक ख़ामोश रहा जब भी सज्दए सह्व वाजिब है ।

मश्क़

*- वित्र कब पढ़ना अफज़ल है ?

*- जान बूझ कर वाजिब तर्क किया हो तो क्या हुक्म है ?

*- मुक़्तदी ने भूल कर इमाम के साथ सलाम फेर दिया तो क्या नमाज़ टूट गयी ?

*- अगर सज्दए सह्व करना भी भूल जाये तो क्या हुक्म है ?

*- मुक़्तदी से वाजिब छूट गया तो क्या सज्दए सह्व करेगा ?

सबक़ नम्बर ११

नमाज़ी के आगे से गुज़रने के बारे में अह़काम

(1) मैदान और बड़ी मस्जिद में नमाज़ी के क़दम से मौज़ए सुजूद तक गुज़रना ना जाइज़ है , मौज़ए सुजूद से मुराद येह है कि क़ियाम की ह़ालत में सज्दे की जगह नज़र जमाए तो जितनी दूर तक निगाह फैले वोह मौज़ए सुजूद है , उस के दरमियान से गुज़रना जाइज़ नहीं , मौज़ए सुजूद का फ़ासिला अन्दाज़न क़दम से ले कर तीन गज़ तक है लिहाज़ा मैदान में नमाज़ी के क़दम के तीन गज़ के बाद से गुज़रने में ह़रज नहीं (2) मकान और छोटी मस्जिद में नमाज़ी के आगे अगर सुतरा (या'नी आड़) न हो तो क़दम से दीवारे क़िब्ला तक कहीं से गुज़रना जाइज़ नहीं (3) नमाज़ी के आगे सुतरा या'नी कोई आड़ हो तो उस सुतरे के बाद से गुज़रने में कोई ह़रज नहीं (4) सुतरा कम अज़ कम एक हाथ (या'नी तक़रीबन आधा गज़) ऊंचा और उंगली बराबर मोटा होना चाहिये जब तरफ़ हो (5) इमाम का सुतरा मुक़्तदी के लिये भी सुतरा है , या'नी इमाम के आगे सुतरा हो तो अगर कोई मुक़्तदी के आगे से गुज़र जाए तो गुनहगार न होगा (6) दरख्त , आदमी और जानवर वगैरा का भी सुतरा हो सकता है (7) आदमी को इस ह़ालत में सुतरा किया जाए कि उस की पीठ नमाज़ी की तरफ हो (अगर नमाज़ पढ़ने वाले के ऐन रुख की तरफ़ किसी ने मुंह किया तो अब कराहत नमाज़ी पर नहीं उस मुंह करने वाले पर है , लिहाज़ा इमाम के सलाम फैरने के बा'द मुड़ कर पीछे देखने में एह़तियात ज़रूरी है , कि आप के ऐन पीछे की जानिब अगर कोई अपनी बक़िय्या नमाज़ पढ़ रहा होगा और उस की तरफ़ आप अपना मुंह करेंगे तो गुनहगार होंगे) (8) एक शख्स नमाज़ी के आगे से गुज़रना चाहता है अगर दूसरा शख्स उसी को आड़ बना कर उस के चलने की रफ्तार के ऐन मुताबिक उस के साथ ही साथ गुज़र जाए तो पहला शख्स गुनहगार हुवा और दूसरे के लिये येही पहला शख्स सुतरा भी बन गया (9)

नमाज़े बा जमाअ़त में अगली सफ़ में जगह होने के बावजूद किसी ने पीछे नमाज़ शुरूअ़ कर दी तो आने वाला उस की गरदन फलांगता हुवा जा सकता है कि उस ने अपनी हुरमत अपने आप खोई (10) अगर कोई इस क़दर ऊंची जगह पर नमाज़ पढ़ रहा है कि गुज़रने वाले के आ'ज़ा नमाज़ी के सामने नहीं हुए तो गुज़रने वाला गुनहगार नहीं (11) दो शख्स नमाज़ी के आगे से गुज़रना चाहते हैं इस का तरीक़ा येह है में से एक नमाज़ी के सामने पीठ कर के खड़ा हो जाए अब इस को आड़ बना कर दूसरा गुज़र जाए , फिर दूसरा पहले की पीठ के पीछे नमाज़ी की तरफ पीठ कर के खड़ा हो जाए , अब पहला गुज़र जाए फिर वोह दूसरा जिधर से आया था उसी तरफ़ हट जाए (12) कोई नमाज़ी के आगे से गुज़रना चाहता है तो नमाज़ी को इजाज़त है कि वोह उसे गुज़रने से रोके ख्वाह "سبحان الله" कहे या जहर (या'नी बुलन्द आवाज़ से) क़िराअत करे या हाथ या सर या आंख के इशारे से मनअ़ करे , इस से ज़ियादा की इजाज़त नहीं , म-सलन कपड़ा पकड़ कर झटक्ना या मारना बल्कि अगर अ़-मले कसीर हो गया तो नमाज़ ही जाती रही (13) तस्बीह़ व इशारा दोनों को बिला ज़रूरत जम्अ़ करना मकरूह है (14) औ़रत के सामने से गुजरे तो औ़रत तस्फ़ीक़ से मनअ़ करे या'नी सीधे हाथ की उंग्लियां उल्टे हाथ की पुश्त पर मारे अगर मर्द ने तस्फ़ीक़ की और औ़रत ने तस्बीह़ कही तो नमाज़ फ़ासिद न हुई मगर ख़िलाफ़े सुन्नत हुवा (15) तवाफ़ करने वाले को दौराने तवाफ़ नमाज़ी के आगे से गुज़रना जाइज़ है !

मश्क़

*- क्या दरख़्त आदमी और जानवर वगैरा का भी सुतरा हो सकता है ?

*- तवाफ़ करने वाले को दोराने तवाफ़ नमाज़ी के आगे से गुज़रने का क्या हुक्म है ?

*- नमाज़ी गुज़रने वाले को कैसे मनअ करेगा ?

सबक़ नंबर १२

शराइते इमामत

मसला : मर्द गैरे मा'ज़ूर के इमाम के लिये छे शर्ते हैं :-
(1) सहीहुल अक़ीदा मुसल्मान होना (2) बालिग होना (3) आ़किल होना (4) मर्द होना (5) क़िराअत सह़ीह़ होना (6) मा'ज़ूर न होना।

शराइते इक़्तिदा

इक़्तिदा की 13 शराइत है :
(1) निय्यत (2) इक़्तिदा और इस निय्यते इक़्तिदा का तह़रीमा के साथ होना या तक्बीरे तह़रीमा से पहले होना बशर्ते कि पहले होने की सूरत में कोई अजनबी काम निय्यत व तह़रीमा में जुदाई करने वाला न हो (3) इमाम व मुक़्तदी दोनों का एक मकान में होना (4) दोनों की नमाज़ एक हो या इमाम की नमाज़ , नमाज़े मुक़्तदी को अपने ज़िम्न में लिये हुए हो (5) इमाम की नमाज़ का मज़हबे मुक़्तदी पर सह़ीह़ होना और (6) इमाम व मुक़्तदी दोनों का इसे सह़ीह़ समझना (7) शराइत की मौजू-दगी में औ़रत का मह़ाज़ी (बराबर) न होना (इसकी तफसील बहारे शरीअ़त में मज़कूर है) (8) मुक़्तदी का इमाम से मुक़द्दम न होना (9) इमाम के इन्तिक़ालात का इ़ल्म होना (10) इमाम का मुकीम या मुसाफ़िर होना मा'लूम हो (11) अरकान की अदाएगी में शरीक होना (12) अरकान की अदाएगी में मुक़्तदी इमाम के मिस्ल हो या कम (13) यूंही शराइत में मुक़्तदी का इमाम से ज़ाइद न होना।

(इमामत का ज़ियादा हक़दार कौन है)

मसला : सब से ज़ियादा मुस्तह़िक़्क़े इमामत वो शख्स है जो नमाज़ व तहारत के अह़काम को सब से ज़ियादा जानता हो , अगरचे बाक़ी उ़लूम में पूरी महारत न रखता हो , बशर्ते के इतना क़ुरआन याद हो कि बतौरे मस्नून पढ़े और

सही़ह़ पढता हो , या’नी हुरूफ़ मखारिज से अदा करता हो और मज़हब की कुछ खराबी न रखता हो , और फवाहि़श से बचता हो उसके बाद वो शख्स जो तजवीद (किराअ़त) का ज़ियादा इ़ल्म रखता हो , और उसके मुवाफ़िक़ अदा करता हो , अगर कई शख्स इन बातों में बराबर हो , तो वो कि ज़ियादा वरअ़ रखता हो या’नी ह़राम तो ह़राम शुबहात से भी बचता हो , उस में भी बराबर हो , तो ज़ियादा उम्र वाला या’नी जिस को ज़ियादा ज़माना इस्लाम में गुज़रा , उस में भी बराबर हो तो जिस के अखलाक़ ज़ियादा अच्छे हो , उसमे भी बराबर हो तो ज़ियादा वजाहत वाला या’नी तहज्जुद गुज़ार के तहज्जुद की कसरत से आदमी का चेहरा ज़ियादा खूबसूरत हो जाता है , फिर ज़ियादा खूबसूरत फिर ज़ियादा हसब वाला फिर वो के बऐ’तबार नसब के ज़ियादा शरीफ हो , फिर ज़ियादा मालदार फिर ज़ियादा इ़ज़्ज़त वाला , फिर वो जिस के कपड़े ज़ियादा सुथरे हो , गर्ज़ चंद शख्स बराबर के हो , तो उनमे जो शर-ई़ तरजीह रखता हो , ज़ियादा हक़दार है और अगर तरजीह न हो तो क़ुरआ डाला जाये जिस के नाम का क़ुरआ निकले वो इमामत करे या उनमे से जमाअ़त जिस को मुन्तखब करे वो इमाम हो और जमाअ़त में इख्तिलाफ हो तो जिस तरफ ज़ियादा लोग हो वो इमाम हो और अगर जमाअ़त ने गैरे ऊला को इमाम बनाया तो बुरा किया मगर गुनाहगार न हुए -

मसला : इमाम मुअय्यन ही इमामत का हक़दार है , अगरचे हाज़िरीन में कोई उस से ज़ियादा इल्म और ज़ियादा तजवीद वाला हो , यानी जब के वो इमाम जामेअ शराइत इमाम हो , वरना वो इमामत का अहल ही नहीं , बी बेहतर होना दरकिनार -

मश्क़

*- मर्द गैरे माज़ूर के इमाम के लिए कितनी शर्तें है ?

*- अरकान की अदा में मुक़्तदी इमाम के मिस्ल हो या कम हो ?

*- इमामत का ज़ियादा हक़दार कौन है ?

*- इमाम की नमाज़ मज़्हबे मुक़्तदी पर सही़ह़ होना इसका क्या मतलब है ?

*- शराइत में मुक़्तदी का इमाम से ज़ाइद न होना इसकी वज़ाहत फरमा दें ?

सबक़ नंबर १३

जमाअ़त की फ़ज़ाइल

हदीस : निसाई व इब्ने ख़ुज़ैमा अपनी सहीह़ में उसमान رضی اللہ عنہ से रावी कि फ़रमाते हैं صلی اللہ علیہ وسلم "जिस ने कामिल वुज़ू किया फिर नमाज़ फ़र्ज़ के लिए चला और इमाम के साथ पढ़ी उस के गुनाह बख्श दिए जाएंगे -
हदीस : तबरानी अबू उमामा رضی اللہ عنہ से रावी कि हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم फ़रमाते हैं "अगर ये नमाज़ जमाअ़त से पीछे रह जाने वाला जानता कि इस जाने वाले के लिए क्या है ? तो घसीटता हुआ हाज़िर होता -
हदीस : तिरमिज़ी अनस رضی اللہ عنہ से रावी , कि फ़रमाते है , صلی اللہ علیہ وسلم "जो अल्लाह के लिए चालीस दिन बा जमाअ़त पढ़े और तकबीरे ऊला पाए उस के लिए दो आज़ादिया लिख दी जाएँगी एक नार से दूसरी निफ़ाक़ से , इब्ने माजा की रिवायत हज़रत उमर बिन खत्ताब رضی اللہ عنہ से है कि हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم फ़रमाते हैं “जो शख़्स चालीस राते मस्जिद में जमाअ़त के साथ पढ़े कि इशा की तकबीरे ऊला फौत न हो , अल्लाह तआ़ला उस के लिए दोज़ख़ से आज़ादी लिख देगा” -

जमात के मसाइल

अहकामे फिक्हिय्या : आक़िल , बालिग़ , हुर , क़ादिर पर जमाअ़त वाजिब है , बिला उ़ज़्र एक-बार भी छोड़ने वाला गुनहगार और मुस्तहिक्के सख़्त सज़ा है , और कई बार तर्क करे तो फ़ासिक़ मर्दूदुश्शहादह और उस को सख़्त सज़ा दी जाएगी , अगर पड़ोसीयों ने सुकूत किया तो वो भी गुनहगार हुए -

मसला : जुमआ व ईदैन में जमाअ़त शर्त है , और तरावीह में सुन्नते किफाया , के मोहल्ले की सब लोगों ने तर्क की तो सब ने बुरा किया और कुछ लोगों ने काइम कर ली तो बाकियों की सर से जमा अत साकित हो गयी , और रमजान

के वित्र में मुस्तहब है , नवाफिल और अलावा रमज़ान के वित्र में अगर तदाई के तौर पर हो तो मकरूह है , तदाई की ये माना है कि तीन से ज़ियादा मुक़्तदी हो , सूरज गहन में जमा अत सुन्नत है और चाँद गहन में तदाई की साथ मकरूह -

मुक़्तदी की चार किस्मे है

(१) मुदरिक (२) लाहिक़ (३) मस्बूक़ (४) लाहिक़ मस्बूक़

मुदरिक : मुदरिक उसे कहते है , जिस ने अव्वल रकअत से तशह्हुद तक इमाम के साथ पढ़ी अगरचे पहली रकअत में इमाम के साथ रुकूअ ही में शरीक हो -

लाहिक़ : वो के इमाम के साथ पहली रकअत में इक्तिदा की मगर बादे इक्तिदा उसकी कुल रकअते या बाज़ फौत हो गयी , ख्वाह उ़ज़्र से फौत हो , जेसे गफलत या भीड़ की वजह से या रुकूअ सुजूद करने न पाया , या नमाज़ में उसे हदस हो गया या मुकीम ने मुसाफिर की पीछे इक्तिदा की या नमाज़े खौफ में पहले गिरोह को जो रकअत इमाम के साथ न मिली ख्वाह बिला उ़ज़्र फौत हो , जैसे इमाम से पहले रुकूअ सुजूद कर लिया फिर उस का इआदा भी न किया तो इमाम की दूसरी रकअत उसकी पहली रकअत होगी और तीसरी दूसरी और चौथी तीसरी और आखिर में एक रकअत पढ़नी होगी -

मस्बूक़ : वो है कि बाज़ रकअते पढ़ने के शामिल हो और आखिर तक शामिल रहा -

लाहिक़ मस्बूक़ : वो है , जिस की कुछ रकअतें शुरूअ़ की न मिली , फिर शामिल होने के बाद लाहिक़ हो गया -

मश्क़

*- कौनसी नमाज़ जमाअ़त के बगैर पढनी नहीं जा सकती ?

*- मुदरिक , लाहिक़ , मस्बूक़ , लाहिक़ मस्बूक़ की ता'रीफात व हुक्म बयान करें ?

*- वित्र की जमाअ़त का क्या हुक्म है ?

सबक़ नंबर १४

दूसरा हिस्सा

किताबुत्ताहारत

वुज़ू का तरीक़ा (ह-नफ़ी)

का'बतुल्लाह शरीफ़ की तरफ़ मुंह कर के ऊंची जगह बैठना मुस्तहब है , वुज़ू के लिये निय्यत करना सुन्नत है , निय्यत न हो तब भी वुज़ू हो जाएगा मगर सवाब नहीं मिलेगा , निय्यत दिल के इरादे को कहते हैं , दिल में निय्यत होते हुए ज़बान से भी कह लेना अफ़्ज़ल है लिहाज़ा ज़बान से इस तरह निय्यत कीजिये कि मैं हुक्मे इलाही عزوجل बजा लाने और पाकी हासिल करने के लिये वुज़ू कर रहा हूं , कह लीजिये कि येह भी सुन्नत है , बल्कि بسم الله والحمد لله कह लीजिये कि जब तक बा वुज़ू रहेंगे फ़िरिश्ते नेकियां लिखते रहेंगे , अब दोनों हाथ तीन तीन बार पहुंचों तक धोइये , (नल बन्द कर के) दोनों हाथों की उंग्लियों का खिलाल भी कीजिये , कम अज़ कम तीन तीन बार दाएं बाएं ऊपर नीचे के दांतों में मिस्वाक कीजिये और हर बार मिस्वाक को धो लीजिये , हुज्जतुल इस्लाम हज़रते सय्यिदुना इमाम मुहम्मद बिन मुहम्मद बिन मुहम्मद गज़ाली علیہ رحمۃ اللہ الولی फ़रमाते हैं : "मिस्वाक करते वक़्त नमाज़ में क़ुरआने मजीद की क़िराअत और ज़िक्रुल्लाह عزوجل के लिये मुंह पाक करने की निय्यत करनी चाहिये , अब सीधे हाथ के तीन चुल्लू पानी से (हर बार नल बन्द कर के) इस तरह तीन कुल्लियां कीजिये कि हर बार मुंह के हर पुर्ज़े पर (हल्क़ के किनारे तक) पानी बह जाए , अगर रोज़ा न हो तो गर-गरा भी कर लीजिये , फिर सीधे ही हाथ के तीन चुल्लू (अब हर बार आधा चुल्लू पानी काफ़ी है) से (हर बार नल बन्द कर के) तीन बार नाक में नर्म गोश्त तक पानी चढ़ाइये और अगर रोज़ा न हो तो नाक की जड़ तक पानी पहुंचाइये , अब (नल बन्द कर

के) उल्टे हाथ से नाक साफ़ कर लीजिये और छोटी उंगली नाक के सूराखों में डालिये , तीन बार सारा चेहरा इस तरह धोइये कि जहां से आदतन सर के बाल उगना शुरूअ़ होते हैं वहां से ले कर ठोड़ी के नीचे तक और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक हर जगह पानी बह जाए , अगर दाढ़ी है और एह़राम बांधे हुए नहीं हैं तो (नल बन्द करने के बाद) इस तरह खिलाल कीजिये कि उंग्लियों को गले की तरफ़ से दाखिल कर के सामने की तरफ़ निकालिये फिर पहले सीधा हाथ उंग्लियों के सिरे से धोना शुरूअ़ कर के कोहनियों समेत तीन बार धोइये , इसी तरह फिर उलटा हाथ धो लीजिये , दोनों हाथ आधे बाज़ू तक धोना मुस्तह़ब है , अक्सर लोग चुल्लू में पानी ले कर पहुंचे से तीन बार छोड़ देते हैं कि कोहनी तक बहता चला जाता है इस तरह करने से कोहनी और कलाई की करवटों पर पानी न पहुंचने का अन्देशा है लिहाज़ा बयान कर्दा तरीके पर हाथ धोइये , अब चुल्लू भर कर कोहनी तक पानी बहाने की ह़ाजत नहीं बल्कि (बिगैर इजाज़ते सहीहा ऐसा करना) येह पानी का इसराफ़ है , अब (नल बन्द कर के) सर का मस्ह इस तरह कीजिये कि दोनों अंगूठों और कलिमे की उंग्लियों को छोड़ कर दोनों हाथ की तीन तीन उंग्लियों के सिरे एक दूसरे से मिला लीजिये और पेशानी के बाल या खाल पर रख कर खींचते हुए गुद्दी तक इस तरह ले जाइये कि हथेलियां सर से जुदा रहें , फिर गुद्दी से हथेलियां खींचते हुए पेशानी तक ले आइये , कलिमे की उंग्लियां और अंगूठे इस दौरान सर पर बिल्कुल मस नहीं होने चाहिएं , फिर कलिमे की उंग्लियों से कानों की अन्दरूनी सतह का और अंगूठों से कानों की बाहरी सतह का मस्ह कीजिये और छुंग्लियां (या'नी छोटी उंग्लियां) कानों के सूराखों में दाखिल कीजिये और उंग्लियों की पुश्त से गरदन के पिछले हिस्से का मस्ह कीजिये , बा'ज़ लोग गले का और धुले हुए हाथों की कोहनियों और कलाइयों का मस्ह करते हैं येह सुन्नत नहीं है , सर का मस्ह करने से क़ब्ल टोंटी अच्छी तरह बन्द करने की आदत बना लीजिये बिला वज्ह नल खुला छोड़ देना या अधूरा बन्द करना कि

पानी टपक कर ज़ाएअ होता रहे इसराफ़ व गुनाह है , पहले सीधा फिर उलटा पाउं हर बार उंग्लियों से शुरूअ़ कर के टखनो के ऊपर तक बल्कि मुस्तह़ब है कि आधी पिंडली तक तीन तीन बार धो लीजिये , दोनों पाउं की उंग्लियों का ख़िलाल करना सुन्नत है , (खिलाल के दौरान नल बन्द रखिये) इस का मुस्तह़ब तरीक़ा येह है कि उल्टे हाथ की छंगुलिया से सीधे पाउं की छंगुलिया का ख़िलाल शुरूअ़ कर के अंगूठे पर ख़त्म कीजिये और उल्टे ही हाथ की छंगुलिया से उल्टे पाउं के अंगूठे से शुरूअ़ कर के छंगुलिया पर ख़त्म कर लीजिये ।

हुज्जतुल इस्लाम हज़रते सय्यिदुना इमाम मुह़म्मद बिन मुह़म्मद बिन मुह़म्मद ग़ज़ाली علیہ رحمۃ اللہ الولی फ़रमाते हैं : हर उच्च धोते वक़्त यह उम्मीद करता रहे कि मेरे इस उज्च के गुनाह निकल रहे हैं ।

लफ़्ज़ "अल्लाह" के चार हुरूफ की निस्बत से वुज़ू के चार फ़राइज़

(१) चेहरा धोना (२) कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना (३) चौथाई सर का मस्ह करना (४) टखनों समेत दोनों पाउं धोना ।

मश्क़

⁎- वुज़ू के फ़राइज़ कितने और कौनसे है ?

⁎- वुज़ू का तरीका बयान करें ?

⁎- मस्ह का तरीक़ा बयान करें ?

⁎- टखना और कोहनी किस को कहते है ?

⁎- चुल्लू में पानी लेकर पहुंचे से तीन बार छोड़ देना कैसा ?

⁎- वुज़ू में नियत क्या करें ?

⁎- चेहरा कहा से कहा तक धोना है ?

सबक़ नंबर १५

गुस्ल का तरीक़ा (ह-नफ़ी)

बिगैर ज़बान हिलाए दिल में इस तरह निय्यत कीजिये कि मैं पाकी हासिल करने के लिये गुस्ल करता हूं , पहले दोनों हाथ पहुंचों तक तीन तीन बार धोइये , फिर इस्तिन्जे की जगह धोइये ख्वाह नजासत हो या न हो , फिर जिस्म पर अगर कहीं नजासत हो तो उस को दूर कीजिये फिर नमाज़ का सा वुज़ू कीजिये मगर पाउं न धोइये , हाँ अगर चौकी वगैरा पर गुस्ल कर रहे हैं तो पाउं भी धो लीजिये , फिर बदन पर तेल की तरह पानी चुपड़ लीजिये , खुसूसन सर्दियों में (इस दौरान साबुन भी लगा सकते हैं) फिर तीन बार सीधे कन्धे पर पानी बहाइये , फिर तीन बार उल्टे कन्धे पर , फिर सर पर और तमाम बदन पर तीन बार , फिर गुस्ल की जगह से अलग हो जाइये , अगर वुज़ू करने में पाउं नहीं धोए थे तो अब धो लीजिये , नहाने में क़िब्ला रुख न हों , तमाम बदन पर हाथ फैर कर मल कर नहाइये , ऐसी जगह नहाना चाहिये जहां किसी की नज़र न पड़े अगर येह मुम्किन न हो तो मर्द अपना सित्र (नाफ़ से ले कर दोनों घुटनों समेत) किसी मोटे कपड़े से छुपा ले , मोटा कपड़ा न हो तो हस्बे ज़रूरत दो या तीन कपड़े लपेट ले क्यूं कि बारीक कपड़ा होगा तो पानी से बदन पर चिपक जाएगा और معاذ الله घुटनों या रानों वगैरा की रंगत ज़ाहिर होगी , अ़ौरत को तो और भी ज़ियादा एह़तियात की ह़ाजत है , दौराने गुस्ल किसी किस्म की गुफ़्त-गू मत कीजिये , कोई दुआ़ भी न पढ़िये , नहाने के बाद तोलिये वगैरा से बदन पोंछने में ह़रज नहीं , नहाने के बाद फौरन कपड़े पहन लीजिये , अगर मकरूह वक़्त न हो तो दो रकअ़त नफ़्ल अदा करना मुस्तह़ब है ।

गुस्ल के तीन फ़राइज़

(1) कुल्ली करना 2) नाक में पानी चढ़ाना (3) तमाम ज़ाहिर बदन पर पानी बहाना ।

कुल्ली करना :

मुंह में थोड़ा सा पानी ले कर पच कर के डाल देने का नाम कुल्ली नहीं बल्कि मुंह के हर पुर्जे , गोशे , होंट से हल्क़ की जड़ तक हर जगह पानी बह जाए , इसी तरह दाढ़ों के पीछे गालों की तह में , दांतों की खिड़कियों और जड़ों और ज़बान की हर करवट पर बल्कि ह़ल्क़ के कनारे तक पानी बहे , रोज़ा न हो तो गर-गरा भी कर लीजिये कि सुन्नत है , दांतों में छालिया के दाने या बोटी के रेशे वगैरा हों तो उन को छुड़ाना ज़रूरी है , हाँ अगर छुड़ाने में ज़रर (या'नी नुक्सान) का अन्देशा हो तो मुआ़फ है , गुस्ल से क़ब्ल दांतों में रेशे वगैरा मह़सूस न हुए और रह गए नमाज़ भी पढ़ ली बा'द को मालूम होने पर छुड़ा कर पानी बहाना फ़र्ज़ पहले जो नमाज़ पढ़ी थी वोह हो गई , जो हिलता दांत मसाले से जमाया गया या तार से बांधा गया और तार या मसाले के नीचे पानी न पहुंचता हो तो मुआ़फ़ है , जिस तरह की एक कुल्ली गुस्ल के लिये फ़र्ज़ है इसी तरह की तीन कुल्लियां वुज़ू के लिये सुन्नत है !

(२) नाक में पानी चढ़ाना :

जल्दी जल्दी नाक की नोक पर पानी लगा लेने से काम नहीं चलेगा बल्कि जहां तक नर्म जगह है या'नी सख़्त हड्डी के शुरूअ़ तक धुलना लाज़िमी है और येह यूं हो सकेगा कि पानी को सूंघ कर ऊपर खींचिये , येह ख़याल रखिये कि बाल बराबर भी जगह धुलने से न रह जाए वरना गुस्ल न होगा , नाक के अन्दर अगर रीठ सूख गई है तो उस का छुड़ाना फ़र्ज़ है , नीज़ नाक के बालों का धोना भी फ़र्ज़ है ।

(3) तमाम ज़ाहिरी बदन पर पानी बहाना :

सर के बालों से ले कर पाउं के तल्वों तक जिस्म के हर पुर्जे और हर हर रोंगटे पर पानी बह जाना ज़रूरी है , जिस्म की बा'ज़ जगहें ऐसी हैं कि अगर एह़तियात न की तो वोह सूखी रह जाएंगी और गुस्ल न होगा ।

नजासतो की अक्साम

नजासत की दो किस्में हैं : (1) नजासते गलीज़ा (2) नजासते ख़फ़ीफ़ा

मश्क़

*- गुस्ल के फ़राइज़ कितने है ?

*- गुस्ल का सुन्नत तरीका क्या बयान कर दीजिये ?

*- गुस्ल में कुल्ली कैसी हो ?

*- दांतों में छालिया के दाने या बोटी के रेशे हो पता न चला नमाज़ पढ़ ली क्या हुक्म है ?

सबक़ नंबर १६

नजासते गलीज़ा

(1) इन्सान के बदन से जो ऐसी चीज़ निकले कि उस से गुस्ल या वुज़ू वाजिब हो नजासते गलीज़ा है जैसे पाख़ाना, पेशाब, बहता ख़ून , पीप , मुंह भर कै , हैज़ व निफ़ास व इस्तिह़ाजे का ख़ून , मनी , मज़ी , वदी (२) जो ख़ून ज़ख़्म से बहा न हो पाक है (3) दुखती आंख से जो पानी निकले, नजासते गलीज़ा है , यूंही नाफ़ या पिस्तान से दर्द के साथ पानी निकले , नजासते गलीज़ा है (४) खुश्की के हर जानवर का बहता ख़ून , मुर्दार का गोश्त और चर्बी , (या'नी जिस जानवर में बहता ख़ून होता है वोह अगर बिगैर ज़ब्हे शर-ई के मर जाए तो मुर्दार है , नीज़ मजूसी या बुत परस्त या मुरतद का ज़बीहा भी मुरदार है अगर्चे उस ने हलाल जानवर म-सलन बकरी वगैरा को "بسم الله اكبر" पढ़ कर ज़ब्ह किया हो उस , का गोश्त पोस्त (चमड़ा) , सब नापाक हो गया , हाँ ! मुसल्मान ने ह़राम जानवर को भी अगर शर-ई तरीके से ज़ब्ह कर लिया तो उस का गोश्त पाक है अगर्चे खाना ह़राम है , सिवा खिन्ज़ीर के कि वोह नजिसुल ऐन है किसी तरह पाक नहीं हो सकता (5) ह़राम चौपाए जैसे कुत्ता , शेर , लोमड़ी , बिल्ली , चूहा , गधा , खच्चर , हाथी और सुवर का पाखाना , पेशाब और घोड़े की लीद और (6) हर हलाल चौपाए का पाखाना जैसे गाय भैस का गोबर , बकरी ऊंट की मेंगनी और (7) जो परन्दा कि ऊंचा न उड़े उस की बीट जैसे मुर्गी और बत (बतख) छोटी हो ख्वाह बड़ी , और (8) हर किस्म की शराब और नशा लाने वाली ताड़ी और सेंधी और (9) सांप का पाखाना पेशाब और (10) उस जंगली सांप और मेंडक का गोश्त जिन में बहता खून होता है अगरचे ज़ब्ह किये गए हों , यूंही उन की खाल अगचे पका (या'नी सुखा) ली गई हो और (11) सुवर का गोश्त और हड्डी और बाल अगरचे ज़ब्द किया गया हो येह सब नजासते गलीज़ा हैं (12) छिपकली या गिरगिट का खून नजासते

गलीज़ा है (13) हाथी के सूंड की रुतूबत और शेर , कुत्ते , चीते और दूसरे दरिन्दे चौपायों का लुआ़ब (थूक) नजासते गलीज़ा है ।

दूध पीते बच्चों का पेशाब नापाक है

अक्सर अवाम में जो येह मशहूर है कि दूध पीते बच्चे चूंकि खाना नहीं खाते इस लिये उन का पेशाब नापाक नहीं होता , येह गलत है , दूध पीते बच्चे और बच्ची का पेशाब पाखाना भी नजासते गलीज़ा है , इसी तरह अगर दूध पीते बच्चे ने दूध डाल दिया अगर मुंह भर है तो नजासते गलीज़ा है ।

नजासते गलीज़ा का हुक्म

नजासते गलीज़ा का हुक्म येह है कि अगर कपड़े या बदन पर एक दिरहम से ज़ियादा लग जाए तो उस का पाक करना फ़र्ज़ है , बिगैर पाक किये अगर नमाज़ पढ़ ली तो नमाज़ न होगी , और इस सूरत में जान बूझ कर नमाज़ पढ़ना सख़्त गुनाह है , और अगर नमाज़ को हलका जानते हुए इस तरह नमाज़ पढ़ी तो कुफ्र है -

नजासते गलीज़ा अगर दिरहम के बराबर कपड़े या बदन पर लगी हुई हो तो उस का पाक करना वाजिब है अगर बिगैर पाक किये नमाज़ पढ़ ली तो नमाज़ मकरूहे तहरीमी होगी और ऐसी सूरत में कपड़े या बदन को पाक कर के दोबारा नमाज़ पढ़ना वाजिब है , जान बूझ कर इस तरह नमाज़ पढ़नी गुनाह है , अगर नजासते गलीज़ा दिरहम से कम कपड़े या बदन पर लगी हुई है तो उस का पाक करना सुन्नत है अगर बिगैर पाक किये नमाज़ पढ़ ली तो नमाज़ हो जाएगी , मगर खिलाफे सुन्नत , ऐसी नमाज़ को दोहरा लेना बेहतर है ।

दिरहम की मिक़्दार की वजाहत

नजासते गलीज़ा का दिरहम या उस से कम या ज़ियादा होने से मुराद येह है कि नजासते गलीज़ा अगर गाढ़ी हो म-सलन पाखाना , लीद वगैरा तो दिरहम

से मुराद वज्न में साढ़े चार माशा (4.374 ग्राम) है , लिहाज़ा अगर नजासत दिरहम से ज़ियादा या कम है तो उस से मुराद वज़्न में साढ़े चार माशे से कम या ज़ियादा होना है और अगर नजासते गलीज़ा पतली हो जैसे पेशाब वगैरा तो दिरहम से मुराद लम्बाई चौड़ाई है या'नी हथेली को खूब फैला कर हमवार रखिये और उस पर आहिस्तगी से इतना पानी डालिये कि इस से ज़ियादा पानी न रुक सके, अब जितना पानी का फैलाव है उतना बड़ा दिरहम समझा जाएगा -

किसी कपड़े या बदन पर चन्द जगह नजासते गलीज़ा लगी और किसी जगह दिरहम के बराबर नहीं , मगर मजमूआ दिरहम के बराबर है , तो दिरहम के बराबर समझी जाएगी और ज़ाइद है तो ज़ाइद , नजासते ख़फ़ीफ़ा में भी मज्मूए ही पर हुक्म दिया जाएगा ।

नजासते खफ़ीफ़ा

जिन जानवरों का गोश्त हलाल है , (जैसे गाय , बैल , भैंस , बकरी , ऊंट वगैरहा) उन का पेशाब , नीज़ घोड़े का पेशाब और जिस परिन्द का गोश्त ह़राम है , ख्वाह शिकारी हो या नहीं , (जैसे कव्वा , चील , शिकरा , बाज़) उस की बीट नजासते ख़फ़ीफ़ा है ।

नजासते खफ़ीफ़ा का हुक्म

नजासते ख़फ़ीफ़ा का हुक्म येह है कि कपड़े के जिस हिस्से या बदन के जिस उज्व में लगी है अगर उस की चौथाई से कम है तो मुआफ़ है , म-सलन आस्तीन में नजासते ख़फ़ीफ़ा लगी हुई है तो अगर आस्तीन की चौथाई से कम है या दामन में लगी है तो दामन की चौथाई से कम है या इसी तरह हाथ में लगी है तो हाथ की चौथाई से कम है तो मुआफ़ है या'नी इस सूरत में पढ़ी गई नमाज़ हो जाएगी और अलबत्ता अगर पूरी चौथाई में लगी हो तो बिगैर पाक किये नमाज़ न होगी ।

खून आलूद ज़मीन पाक करने का तरीक़ा

बच्चे या बड़े ने ज़मीन पर पेशाब पाखाना कर दिया या ज़ख्म वगैरा से खून या पीप या जानवर ज़ब्ह करते वक़्त निकला हुवा खून ज़मीन पर गिर गया और बिगैर पानी के वैसे ही किसी कपड़े वगैरा से पूंछ लिया , सूखने और नजासत का असर ख़त्म हो जाने के बाद वोह ज़मीन पाक हो गई , उस पर नमाज़ पढ़ सकते हैं -

गोबर से लीपी हुई ज़मीन

जो ज़मीन गोबर से लीसी या लीपी गई अगरचे वोह सूख जाए फिर भी ऐन उस ज़मीन पर नमाज़ जाइज़ नहीं , अलबत्ता ऐसी ज़मीन जो गोबर से लीसी या लीपी गई हो , उस के सूख जाने के बाद उस पर कोई मोटा कपड़ा बिछा कर नमाज़ पढ़ी तो नमाज़ दुरुस्त होगी ।

जिन परन्दों की बीट पाक है

(1) चिमगादड़ की बीट और पेशाब दोनों पाक हैं -

(२) जो हलाल परन्दे ऊंचे उड़ते हैं , जैसे (चिड़िया) , कबूतर , मैना , मुर्गाबी वगैरा इन की बीट पाक है -

पेशाब की बारीक छींटें

पेशाब की निहायत बारीक छीटें सूई की नोक बराबर की बदन या कपड़े पर पड़ जाएं , तो कपड़ा और बदन पाक रहेगा -

मश्क़

*- नजासत की कितनी किस्में है और उनका हुक्म क्या है ?

*- हलाल जानवरों के पेशाब का क्या हुक्म है ?

*- किन परिंदों की बीट पाक है ?

*- मुरदार की क्या तारीफ़ क्या है ?

*- दिरहम की मिक़दार क्या है ?

*- मुर्गी चिड़िया कबूतर की बीट का क्या हुक्म है ?

*- जो ज़मीन गोबर से लेसी या लीपी गयी हो उस पर नमाज़ पढ़ना कैसा ?

*- पेशाब की निहायत बारीक छींटें सुई की नौक बराबर कपड़े पर गिर गयी क्या हुक्म है ?

सबक़ नंबर १७

पतली नजासत वाला कपड़ा पाक करने के मु-तअ़ल्लिक़ 6 म-दनी फूल

(1) अगर नजासत रक़ीक़ (या'नी पतली जैसे पेशाब वगैरा) हो तो तीन मर्तबा धोने और तीनों मर्तबा ब कुव्वत (या'नी पूरी ताकत से) निचोड़ने से पाक होगा और कुव्वत के साथ निचोड़ने के येह मा'ना हैं कि वोह शख्स अपनी ताकत भर इस तरह निचोड़े कि अगर फिर निचोड़े तो उस से कोई कतरा न टपके , अगर कपड़े का खयाल कर के अच्छी तरह नहीं निचोड़ा तो पाक न होगा (2) अगर धोने वाले ने अच्छी तरह निचोड़ लिया मगर अभी ऐसा है कि अगर कोई दूसरा शख्स जो ताक़त में उस से ज़ियादा है निचोड़े तो दो एक बूंद टपक सकती है तो उस (पहले निचोड़ने वाले) के हक में पाक और दूसरे के हक़ में नापाक है , इस दूसरे की ताकत का (पहले के हक़ में) ए'तिबार नहीं , हाँ अगर येह धोता और इसी क़दर निचोड़ता (जिस क़दर पहले वाले ने निचोड़ा था) तो पाक न होता (3) पहली और दूसरी मर्तबा निचोड़ने के बाद हाथ पाक कर लेना बेहतर है और तीसरी बार निचोड़ने से कपड़ा भी पाक हो गया और हाथ भी , और जो कपड़े में इतनी तरी रह गई हो कि निचोड़ने से एक आध बूंद टपकेगी तो कपड़ा और हाथ दोनों नापाक हैं (4) पहली या दूसरी बार हाथ पाक नहीं किया , और उस की तरी से कपड़े का पाक ह़िस्सा भीग गया तो येह भी नापाक हो गया फिर अगर पहली बार के निचोड़ने के बा'द भीगा है तो उसे दो मर्तबा धोना चाहिये और दूसरी मर्तबा निचोड़ने के बाद हाथ की तरी से भीगा है तो एक मर्तबा धोया जाए , यूंही अगर उस कपड़े से जो एक मर्तबा धो कर निचोड़ लिया गया है , कोई पाक कपड़ा भीग जाए तो येह दो बार धोया जाए और अगर दूसरी मर्तबा निचोड़ने के बाद उस से वोह कपड़ा भीगा तो एक बार धोने से पाक हो जाएगा (5) कपड़े को तीन मर्तबा धो कर हर मर्तबा खूब निचोड़ लिया है कि अब निचोड़ने से न टपकेगा फिर उस को लटका दिया और उस से

पानी टपका तो येह पानी पाक है और अगर खूब नहीं निचोड़ा था तो येह पानी नापाक है (६) येह ज़रूरी नहीं कि एक दम तीनों बार धोएं बल्कि अगर मुख़्तलिफ़ वक्तों बल्कि मुखलिफ़ दिनों में येह ता'दाद पूरी की जब भी पाक हो जाएगा - बहते नल के नीचे धोने में निचोड़ना शर्त नहीं फ़तावा अम्जदिया जिल्द 1 सफ़हा 35 में है कि येह (या'नी तीन मर्तबा धोने और निचोड़ने का) हुक्म उस वक़्त है जब थोड़े पानी में धोया हो , और अगर हौजज़े कबीर (या'नी दह दर दह या इस से बड़े हौज़ , नहर , नदी , समुन्दर वगैरा) में धोया हो या (नल , पाइप या लोटे वगैरा के ज़रीए) बहुत सा पानी उस पर बहाया या (दरिया वगैरा) बहते पानी में धोया तो निचोड़ने की शर्त नहीं ।

बहते पानी में पाक करने में निचोड़ना शर्त नहीं

फु-कहाए किराम رحمهم الله السلام फ़रमाते हैं : दरी या टाट या कोई नापाक कपड़ा बहते पानी में रात भर पड़ा रहने दें पाक हो जाएगा और अस्ल येह है कि जितनी देर में येह ज़न्ने गालिब हो जाए कि पानी नजासत को बहा ले गया पाक हो गया कि बहते पानी से पाक करने में निचोड़ना शर्त नहीं -

पाक नापाक कपड़े साथ धोने का मस्अला

अगर बाल्टी या कपड़े धोने की मशीन में पाक कपड़ों के साथ एक भी नापाक कपड़ा पानी के अन्दर डाल दिया तो सारे हीकपड़े नापाक हो जाएंगे और बिला ज़रूरते शरइय्या ऐसा करना जाइज़ नहीं है , चुनान्चे मेरे आका आ'ला हज़रत , इमामे अहले सुन्नत , मौलाना शाह इमाम अह़मद रज़ा खान علیہ رحمۃ الرحمن फ़तावा र-ज़विय्या (मुखर्रजा) जिल्द अव्वल सफ़हा 792 पर फ़रमाते हैं : "बिला ज़रूरत पाक शै को नापाक करना ना जाइज़ व गुनाह है " जिल्द 4 (मुखर्रजा) सफ़हा 585 पर फ़रमाते हैं : "जिस्म व लिबास बिला ज़रूरते शरइय्या नापाक करना और येह ह़राम है " "अल बह़ुर्राइक" में है : “पाक चीज़ को नापाक करना ह़राम है " लिहाज़ा ज़रूरी है कि पाक व नापाक कपड़े जुदा जुदा धोएं ,

अगर साथ ही धोना है तो नापाक कपड़े का नजासत वाला ह़िस्सा एह़तियात के साथ पहले पाक कर लीजिये फिर बेशक दीगर मैले कपड़ों के हमराह एक साथ वॉशिंग मशीन में उस को भी धो लीजिये ।

नापाक कपड़े पाक करने का आसान तरीक़ा

कपड़े पाक करने का एक आसान तरीक़ा येह भी है कि बाल्टी में नापाक कपड़े डाल कर ऊपर से नल खोल दीजिये , कपड़ों को हाथ या किसी सलाख वगैरा से इस तरह डबोए रखिये कि कहीं से कपड़े का कोई ह़िस्सा पानी के बाहर उभरा हुवा न रहे , जब बाल्टी के ऊपर से कपड़े का कोई हिस्सा पानी के बाहर उभरा हुवा न रहे , जब बाल्टी के ऊपर से उबल कर इतना पानी बह जाए कि ज़न्ने गालिब आ जाए कि पानी नजासत को बहा कर ले गया होगा तो अब वोह कपड़े और बाल्टी का पानी नीज़ हाथ या सलाख का जितना हिस्सा पानी के अन्दर था सब पाक हो गए जब कि कपड़े वगैरा पर नजासत का असर बाक़ी न हो , इस अमल के दौरान येह एहतियात ज़रूरी है कि पाक हो जाने के ज़न्ने गालिब से कब्ल नापाक पानी का एक भी छींटा आप के बदन या किसी और चीज़ पर न पड़े , बाल्टी या बरतन का ऊपरी कनारा या अन्दरूनी दीवार का कोई हिस्सा नापाक पानी वाला है और ज़मीन इतनी हमवार नहीं कि बाल्टी के हर तरफ़ से पानी उभर के निकले और मुकम्मल कनारे वगैरा धुल जाएं तो ऐसी सूरत में किसी बरतन के जरीए या जारी पानी के नल के नीचे हाथ रख कर उस से बाल्टी वगैरा के चारों तरफ़ इस तरह पानी बहाइये कि कनारे और बकिय्या अन्दरूनी हिस्से भी धुल कर पाक हो जाएं मगर येह काम शुरूअ ही में कर लीजिये कहीं पाक कपड़े दोबारा नापाक न कर बैठें !

वोशिंग मशीन में कपड़े पाक करने का तरीका

वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल कर पहले पानी भर लीजिये और कपड़ों को हाथ वगैरा से पानी में दबा कर रखिये ताकि कोई हिस्सा उभरा हुवा न रहे , ऊपर

का नल खुला रखिये अब निचला सूराख भी खोल दीजिये , इस तरह ऊपर नल से पानी आता रहेगा और निचले सूराख से बहता रहेगा जब ज़न्ने गालिब आ जाए कि पानी नजासत को बहा ले गया होगा तो कपड़े और मशीन के अन्दर का पानी पाक हो जाएगा जब कि नजासत का असर कपड़ों वगैरा पर बाक़ी न हो , ज़रूरतन मशीन के ऊपरी कनारे वगैरा मज्कूरा तरीके पर शुरूअ़ ही में धो लेने चाहिएं ।

नल के नीचे कपड़े पाक करने का तरीक़ा

मज़कूरा तरीके पर पाक करने के लिये बाल्टी या बरतन ही ज़रूरी नहीं , नल के नीचे हाथ में पकड़ कर भी पाक कर सकते हैं म-सलन रूमाल नापाक हो गया , तो बेसिन में नल के नीचे रख कर इतनी देर तक पानी बहाइये कि ज़न्ने गालिब आ जाए कि पानी नजासत को बहा कर ले गया होगा तो पाक हो जाएगा , बड़ा कपड़ा या उस का नापाक ह़िस्सा भी इसी तरीके पर पाक किया जा सकता है , मगर येह एह़तियात ज़रूरी है कि नापाक पानी के छींटे आप के कपड़े , बदन और अतराफ़ में दीगर जगहों पर न पड़ें ।

कारपेट पाक करने का तरीक़ा

कारपेट (CARPET) का नापाक ह़िस्सा एक बार धो कर लटका दीजिये यहां तक कि पानी टपकना मौक़ूफ़ हो जाए फिर दोबारा धो कर लटकाइये ह़त्ता कि पानी टपकना बन्द हो जाए फिर तीसरी बार इसी तरह धो कर लटका दीजिये जब पानी टपकना बन्द हो जाएगा तो कारपेट पाक हो जाएगा -

चटाई , चमड़े के चप्पल और मिट्टी के बरतन वगैरा जिन चीज़ों में पतली नजासत जज़्ब हो जाती हो इसी तरीके पर पाक कीजिये , ऐसा नाज़ुक कपड़ा कि निचोड़ने से फट जाने का अन्देशा हो वोह भी इसी तरह पाक कीजिये , अगर नापाक कारपेट या कपड़ा वगैरा बहते पानी में (म-सलन दरिया , नहर में या पाइप या टूंटी के जारी पानी के नीचे) इतनी देर तक रख छोड़ें कि ज़न्ने

गालिब हो जाए कि पानी नजासत को बहा कर ले गया होगा तब भी पाक हो जाएगा , कारपेट पर बच्चा पेशाब कर दे तो उस जगह पर पानी के छींटे मार देने से वोह पाक नहीं होता , याद रहे ! एक दिन के बच्चे या बच्ची का पेशाब भी नापाक होता है ।

मश्क़

*- पतली नजासत वाला पकड़ा पाक करने का तरीका क्या है ?

*- कारपेट पाक करने का तरीका क्या है ?

*- वाशिंग मशीन में कपड़े पाक करने का तरीक़ा क्या है ?

*- नापाक कपड़े पाक करने का आसन तरीका क्या है ?

*- बहते पानी कपड़े धोने में क्या आसानी है ?

सबक़ नंबर १८

क़ज़ा नमाज़ों का तरीक़ा (हनफ़ी)

अगर नमाज़ पढ़ना भूल जाए तो.....?

ताजदारे रिसालत , शहन्शाहे नुबुव्वत , पैकरे जूदो सखावत सरापा रहमत صلی اللہ علیہ وسلم ने इर्शाद फ़रमाया : जो नमाज़ से सो जाए या भूल जाए तो जब याद आए पढ़ ले कि वोही उस का वक़्त है -

फु-कहाए किराम رحمہم اللہ السلام फ़रमाते हैं : सोते में या भूले नमाज़ क़ज़ा हो गई तो उस की क़ज़ा पढ़नी फ़र्ज़ है अलबत्ता क़ज़ा का गुनाह उस पर नहीं मगर बेदार होने और याद आने पर अगर वक्ते मकरूह मो न हो तो उसी वक़्त पढ़ ले ताख़ीर मकरूह है ।

इत्तिफ़ाक़न आंख न खुली तो.......?

फ़तावा र-ज़विय्या में है : जब जाने कि अब सोया तो नमाज़ जाती रहेगी उस वक़्त सोना हलाल नहीं मगर जब कि किसी जगा देने वाले पर ए'तिमाद हो @ ऐसे वक़्त में सोया कि आदतन वक़्त में आंख खुल जाती और इत्तिफ़ाक़न न खुली तो गुनहगार नहीं ।

मजबूरी में अदा का सवाब मिलेगा या नहीं ?

आंख न खुलने की वज्ह से नमाज़े फज्र "क़ज़ा" हो जाने की सूरत में "अदा" का सवाब मिलेगा या नहीं , इस ज़िम्न में मेरे आका आ'ला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत , वलिय्ये ने'मत , अज़ीमुल ब-र-कत , अज़ीमुल मर्तबत , परवानए शम्ए रिसालत , मुजद्दिदे दीनो मिल्लत , हामिये सुन्नत , माहिये बिदअत , आलिमे शरीअत , पीरे तरीक़त , बाइसे खैरो ब-र-कत , इमामे इश्को महब्बत , हज़रते अल्लामा मौलाना अलहाज अल हाफ़िज़ अल कारी शाह इमाम अहमद रज़ा खान علیہ رحمۃ الرحمن फ़तावा र-ज़विय्या जिल्द 8 सफ़हा 161 पर फ़रमाते

हैं : रहा अदा का सवाब मिलना येह अल्लाह के इख्तियार में है , अगर वोह जानेगा कि इस ने अपनी जानिब से कोई तक्सीर (कोताही) न की , सुब्ह तक जागने के कस्द से बैठा था और बे इख्तियार आंख लग गई तो ज़रूर उस पर गुनाह नहीं , रसूलुल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم फ़रमाते हैं : नींद की सूरत में कोताही नहीं , कोताही उस शख्स की है जो (जागते में) नमाज़ न पढ़े हत्ता कि दूसरी नमाज़ का वक़्त आ जाए ।

रात के आखिरी हिस्से में सोना कैसा ?

नमाज़ का वक़्त दाखिल हो जाने के बाद सो गया फिर वक़्त निकल गया और नमाज़ क़ज़ा हो गई तो कत्अन गुनहगार हुवा जब कि जागने पर सह़ीह़ ए'तिमाद या जगाने वाला मौजूद न हो बल्कि फ़ज्र दुखूले वक़्त से पहले भी सोने की इजाज़त नहीं हो सकती जब कि अक्सर ह़िस्सा रात का जागने में गुज़रा और ज़न्ने गालिब है कि अब सो गया तो वक़्त में आंख न खुलेगी

अदा, कज़ा और वाजिबुल इआ़दा की ता'रीफ़

जिस चीज़ का बन्दों को हुक्म है उसे वक़्त में बजा लाने को अदा कहते हैं और वक़्त ख़त्म होने के बाद अमल में लाना क़ज़ा है और अगर उस हुक्म के बजा लाने में कोई ख़राबी पैदा हो जाए तो उस खराबी को दूर करने के लिये वोह अमल दोबारा बजा लाना इआ़दा कहलाता है , वक़्त के अन्दर अन्दर अगर तह़रीमा बांध ली तो नमाज़ क़ज़ा न हुई बल्कि अदा है , मगर नमाज़े फ़ज्र , जुमुआ़ और ई़दैन में वक़्त के अन्दर सलाम फिरना लाज़िमी है वरना नमाज़ न होगी , बिला उजे शर-ई़ नमाज़ क़ज़ा कर देना सख़्त गुनाह है , इस पर फ़र्ज़ है कि उस की क़ज़ा पढ़े और सच्चे दिल से तौबा भी करे , तौबा या हज्जे मक्बूल से انشاء اللہ عزوجل ताख़ीर का गुनाह मुआ़फ़ हो जाएगा , तौबा उसी वक़्त सह़ीह़ है जब कि क़ज़ा पढ़ ले उस को अदा किये बिगैर तौबा किये जाना तौबा नहीं कि जो नमाज़ इस के जिम्मे थी उस को न पढ़ना तो अब भी बाक़ी है और

जब गुनाह से बाज न आया तो तौबा कहां हुई ?
हज़रते सय्यिदुना इब्ने अब्बास رضی اللہ عنہما से रिवायत है , ताजदारे रिसालत , शहन्शाहे नुबुव्वत , पैकरे जूदो सखावत , सरापा रहमत صلی اللہ علیہ وسلم ने इर्शाद फ़रमाया : गुनाह पर क़ाइम रह कर तौबा करने वाला उस की मिस्ल है जो अपने रब से ठठ्ठा (या'नी मज़ाक) करता है।

तौबा के तीन रुक्न हैं

सदरुल अफ़ाज़िल हज़रते अल्लामा सय्यद मुहम्मद नईमुद्दीन मुरादआबादी علیہ رحمۃ اللہ الھادی फ़रमाते हैं : "तौबा के तीन रुक्न हैं : (1) ए'तिराफे जुर्म (2) नदामत (3) अज्मे तर्क (या'नी इस गुनाह को छेड़ने का पुख्ता अहद) , अगर गुनाह क़ाबिले तलाफ़ी है तो उस की तलाफ़ी भी लाज़िम , म-सलन तारिके सलात (या'नी नमाज़ तर्क कर देने वाले) की तौबा के लिये नमाज़ों की क़ज़ा भी लाज़िम है ।"

सोते को नमाज़ के लिये जगाना वाजिब है

कोई सो रहा है या नमाज़ पढ़ना भूल गया है तो जिसे मालूम है उस पर वाजिब है कि सोते को जगा दे और भूले हुए को याद दिला दे , (वरना गुनहगार होगा) , याद रहे ! जगाना या याद दिलाना उस वक़्त वाजिब होगा जब कि जन्ने गालिब हो कि येह नमाज़ पढेगा वरना वाजिब नहीं ।

जल्द से जल्द क़ज़ा पढ़ लीजिये

जिस के ज़िम्मे क़ज़ा नमाज़े हों उनका जल्द से जल्द पढ़ना वाजिब है , मगर बाल बच्चो की परवरिश और अपनी ज़रूरियात की फराहमी के सबब ताखीर जाइज़ है लिहाज़ा कारोबार भी करता रहे और फुर्सत का जो वक़्त मिले उस में क़ज़ा पढता रहे यहाँ तक के पूरी हो जाये -

छुप कर क़ज़ा पढ़िए

क़ज़ा नमाज़ें छुप कर पढ़िए लोगों पर (या घर वालो बलके क़रीबी दोस्त पर भी) उस का इज़हार न कीजिये (मसलन ये मत कहा कीजिये के मेरी आज की फज्र क़ज़ा हो गयी या में क़ज़ाए उमरी पढ़ रहा हूँ वगैरा) के गुनाह का इज़हार भी मकरूहे तहरीमी व गुनाह है -

अगर लोगों की मौजूदगी में वित्र पढ़ें तो तक्बीरे कुनूत की लिय हाथ न उठाये-

जुमुअतुल वदाअ में क़ज़ाए उमरी

रमज़ानुल मुबारक की आखरी जुमऐ में बाज़ लोग बा जमाअ़त क़ज़ाए उमरी पढ़ते है और ये समझते है कि उम्र भर की क़ज़ाए इसी एक नमाज़ से अदा हो गयी ये बातिल महज़ है -

उम्र भर की क़ज़ा का हिसाब

जिस ने कभी नमाज़ें ही न पढ़ी हों और अब तौफीक़ हुई और क़ज़ाए उमरी पढ़ना चाहता है वो जब से बालिग़ हुआ है उस वक़्त से नमाज़ों का हिसाब लगाये और तारीखे बुलूग भी नहीं मालूम तो एहतियात इसी में है कि हिजरी सिन के हिसाब से औरत नो साल की ईएमआर से और मर्द बारह साल की उम्र से नमाज़ों का हिसाब लगाये -

क़ज़ा पढ़ने में तरतीब

क़ज़ाए उमरी में यूँ भी कर सकते है कि पहले तमाम फज्रें अदा कर लीं फिर तमाम ज़ुहर की नमाज़ें उसी तरह अस्र , मगरिब और इशा -

मश्क़

*- रात के आखिरी हिस्से में सोना कैसा ?

*- नमाज़ छोड़ने वाले की तौबा कैसे क़ुबूल होगी ?

*- सोते को नमाज़ की लिए जगाना कब वाजिब है ?

*- अदा , क़ज़ा और वाजिबुल इआदा की तारीफ क्या है ?

*- क़ज़ाए उमरी का हिसाब कैसे लगाया जायेगा ?

*- तौबा के रुक्न कितने और कौन कौन से है ?

सबक़ नंबर १९

क़ज़ाए उम्री का तरीक़ा (ह-नफ़ी)

क़ज़ा हर रोज़ की बीस रकअ़तें होती हैं , दो फ़र्ज़ फज्र के , चार ज़ुहर , चार अस्र , तीन मगरिब , चार इशा के और तीन वित्र , निय्यत इस तरह कीजिये , म-सलन : "सब से पहली फज्र जो मुझ से क़ज़ा हुई उस को अदा करता हूं।" हर नमाज़ में इसी तरह निय्यत कीजिये , जिस पर ब कसरत क़ज़ा नमाज़ें हैं वोह आसानी के लिये अगर यूं भी अदा करे तो जाइज़ है कि हर रुकूअ़ और हर सज्दे में तीन तीन बार سبحان ربی العظیم ، سبحان ربی الاعلیकी जगह सिर्फ एक एक बार कहे , मगर येह हमेशा और हर तरह की नमाज़ में याद रखना चाहिये कि जब रुकूअ़ में पूरा पहुंच जाए उस वक़्त का "सीन" शुरूअ़ करे और जब का "मीम" ख़त्म कर चुके उस वक़्त रुकूअ़ से सर उठाए , इसी तरह सज्दे में भी करे , एक तख़्फ़ीफ़ (या'नी कमी) तो येह हुई और दूसरी येह कि फ़र्ज़ों की तीसरी और चौथी रकअ़त में अल्हम्द शरीफ़ की जगह फ़क़त "سبحن اللہ" तीन बार कह कर रुकूअ़ कर , मगर वित्र की तीनों रक्अ़तों में अल हम्द शरीफ़ और सूरत दोनों ज़रूर पढ़ी जाएं , तीसरी तख्फीफ़ (या'नी कमी) येह कि क़ा'दए अख़ीरा में तशहहुद या'नी अत्तहिय्यात के बाद दोनों दुरूदों और दुआ़ की जगह सिर्फ "اللھم صل علی محمد و آلہ" कह कर सलाम फेर दे , चौथी तख्फीफ़ (या'नी कमी) येह कि वित्र की तीसरी रकअ़त में दुआ़ए क़ुनूत की जगह اللہ اکبر कह कर फ़क़त एक बार या तीन बार "رب اغفر لی" कहे -

याद रखिये ! तख़्फ़ीफ़ (या'नी कमी) के इस तरीके की आदत हरगिज़ न बनाइये , मा'मूल की नमाज़े सुन्नत के मुताबिक़ ही पढ़िये और इन में फ़राइज़ व वाजिबात के साथ साथ सुनन और मुस्तहब्बात व आदाब की भी रिआयत कीजिये ।

नमाज़े क़स्र की क़ज़ा

अगर हालते सफ़र की क़ज़ा नमाज़ हालते इक़ामत में पढ़ेंगे तो कर ही पढ़ेंगे और हालते इक़ामत की क़ज़ा नमाज़ हालते सफ़र में पढ़ेंगे तो पूरी पढ़ेंगे या'नी कसर नहीं करेंगे ।

ज़मानए इरतिदाद की नमाज़े

जो शख्स معاذ الله عزوجل मुरतद हो गया फिर इस्लाम लाया तो ज़मानए इरतिदाद की नमाज़ों की क़ज़ा नहीं और मुरतद होने से पहले ज़मानए इस्लाम में जो नमानें जाती रही थीं उन की क़ज़ा वाजिब है -

दाई बच्चे की पैदाइश के वक़्त नमाज़ पढ़ेगी तो बच्चे के मर जाने का अन्देशा है , नमाज़ क़ज़ा करने के लिये येह उ़ज़्र (या'नी मजबूरी) है , बच्चे का सर बाहर आ गया और निफ़ास से पेश्तर वक़्त ख़त्म हो जाएगा तो इस ह़ालत में भी उस की मां पर नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है न पढ़ेगी तो गुनहगार होगी , किसी बरतन में बच्चे का सर रख कर जिस से उस को नुक्सान न पहुंचे नमाज़ पढ़े मगर इस तरकीब से पढ़ने में भी बच्चे के मर जाने का अन्देशा हो तो ताखीर मुआ़फ़ है , बा'दे निफ़ास इस नमाज़ की क़ज़ा पढ़े ।

मरीज़ को नमाज़ कब मुआ़फ़ है ?

ऐसा मरीज़ कि इशारे से भी नमाज़ नहीं पढ़ सकता अगर येह ह़ालत पूरे छे वक़्त तक रही तो इस ह़ालत में जो नमाज़े फौत हुई उन की क़ज़ा वाजिब नहीं -

उम्र भर की नमाज़े दोबारा पढ़ना

जिस की नमाज़ों में नुक्सान व कराहत हो वोह तमाम उम्र की नमानें फेरे तो अच्छी बात है और कोई खराबी न हो तो न चाहिये और करे तो फ़ज्र व अस्र के बाद न पढ़े और तमाम रकअ़तें भरी पढ़े और वित्र में क़ुनूत पढ़ कर तीसरी के बाद का'दा कर के , फिर एक और मिलाए कि चार हो जाएं ।

क़ज़ा का लफ़्ज़ कहना भूल गया तो ?

आ’ला हज़रत , इमामे अहले सुन्नत , मौलाना शाह अह़मद रज़ा खान عليہ رحمۃ الرحمن फ़रमाते हैं : हमारे उ-लमा तसरीह फ़रमाते हैं : क़ज़ा ब निय्यते अदा और अदा ब निय्यते क़ज़ा दोनों सह़ीह़ हैं ।

क़ज़ा नमाज़े नवाफ़िल की अदाएगी से बेहतर

फतावा शामी में है : क़ज़ा नमाज़े नवाफ़िल की अदाएगी से बेहतर से बेहतर और अहम हैं मगर सुन्नते मुअक्कदा , नमाज़े चाश्त , सलातुत्तस्बीह और वोह नमाज़े जिन के बारे में अहादीसे मुबा-रका मरवी हैं या'नी जैसे तहिय्यतुल मस्जिद , अस्र से पहले की चार रक्त (सुन्नते गैर मुअक्कदा) और मगरिब के बा'द छे रकअ़तें (पढ़ी जाएंगी) , याद रहे ! क़ज़ा नमाज़ की बिना पर सुन्नते मुअक्कदा छोड़ना जाइज़ नहीं , अलबत्ता सुन्नते गैर मुअक्कदा और हदीसों में वारिद शुदा मख्सूस नवाफिल पढ़े तो सवाब का हक़दार है मगर इन्हें न पढ़ने पर कोई गुनाह नहीं, चाहे ज़िम्मे क़ज़ा नमाज़ हो या न हो ।

फज्र व अस्र के बाद नवाफिल नहीं पढ़ सकते

नमाज़े फज्र और अस्र के बाद वो तमाम नवाफिल अदा करना मकरूहे तहरीमी है , जो क़सदन हो अगरचे तहिय्यातुल मस्जिद हो , और हर वो नमाज़ (भी नहीं पढ़ सकते) जो गैर की वजह से लाज़िम हो , मसलन नज़र और तवाफ़ के नवाफिल और हर वो नमाज़ जिस को शुरूअ़ किया फिर उसे तोड़ डाला , अगरचे वो फज्र और अस्र की सुन्नतें ही क्यों न हो -

क़ज़ा के लिए कोई मुअय्यन नहीं उम्र में जब (भी) पढ़ेगा , बरियुज्ज़मा हो जायेया , मगर तुलूअ व गुरूब और ज़वाल के वक़्त नमाज़ नहीं पढ़ सकता कि उन वक्तों में नमाज़ जाइज़ नहीं -

ज़ुहर की चार सुन्नतें रह जाएं तो क्या करे ?

अगर ज़ुहर के फ़र्ज़ पहले पढ़ लिये तो दो रकअ़त सुन्नते बा दिया अदा करने चुनान्चे सरकारे आ'ला हज़रत علیہ رحمۃ الرحمن फ़रमाते हैं : ज़ुहर की पहली चार सुन्नतें जो फ़र्ज़ से पहले न पढ़ी हों तो बा'दे फ़र्ज़ बल्कि मज़हबे अरजह़ (या'नी पसन्दीदा तरीन मज़हब) पर बा'द (दो रकअत) सुन्नते बा'दिया के पढ़ें बशर्ते कि हुनूज़ (या'नी अभी) वक्ते ज़ुहर बाक़ी हो ।

फज्र की सुन्नतें रह जाएं तो क्या करे ?

सुन्नतें पढ़ने से अगर फज्र की जमाअ़त फ़ौत हो जाने का अन्देशा हो तो बगैर पढ़े शामिल हो जाए , मगर सलाम फेरने के बाद पढ़ना जाइज़ नहीं , तुलूए आफ्ताब के कम अज़ कम बीस मिनट बाद से ले कर ज़हूवए कुब्रा तक पढ़ ले कि मुस्तह़ब है , इस के बाद मुस्तह़ब भी नहीं ।

क्या मगरिब का वक़्त थोड़ा सा होता है ?

मगरिब की नमाज़ का वक़्त गुरूबे आफ्ताब ता इब्तिदाए वक्ते इशा होता है। येह वक़्त मकामात और तारीख के ए'तिबार से घटता बढ़ता रहता है मसलन बाबुल मदीना कराची में निज़ामुल अवक़ात के नक्शे के मुताबिक़ मगरिब का वक़्त कम अज़ कम एक घन्टा 18 मिनट होता है , फु-कहाए किराम رحمہم اللہ السلام फ़रमाते हैं : रोज़े अब्र (यानी जिस दिन बादल छाए हों उस) के सिवा मगरिब में हमेशा ता'जील (या'नी जल्दी) मुस्तह़ब है और दो रकअ़त से ज़ाइद की ताख़ीर मकरूहे तन्ज़ीही और अगर बिगैर उ़ज़्र सफ़र व मरज़ वगैरा इतनी ताख़ीर की, कि सितारे गुथ गए तो मकरूहे तह़रीमी ।

मश्क़

*- क़ज़ा रोज़ की कितनी रकअते होती है ?

*- क्या मगरिब का वक़्त थोड़ा सा होता है ?

*- फज्र की सुन्नतें रह जाये तो क्या करे ?

*- क़ज़ा का लफ्ज़ कहना भूल गया तो ?

*- मरीज़ को नमाज़ कब मुआ़फ है ?

*- जिस पर बहुत सारी क़ज़ा नमाज़ें हो जल्दी अदा करने के लिए क्या तरीका है ?

*- ज़ुहर की चार सुन्नतें रह जाये तो क्या करें ?

*- किस वक़्त क़ज़ा नमाज़ नहीं पढ़ सकता ?

सबक़ नंबर २०

तरावीह़ की क़ज़ा का क्या हुक्म है ?

जब तरावीह़ फौत हो जाए तो उस की क़ज़ा नहीं , न जमाअ़त से न तन्हा और अगर कोई क़ज़ा पढ़ भी लेता है तो येह जुदागाना नफ्ल हो जाएंगे , तरावीह़ से इन का तअ़ल्लुक न होगा।

नमाज़ का फ़िदया

जिन के रिश्तेदार फौत हुए हों वोह इस मज़मून का ज़रूर मुता-लआ फरमाएं

मय्यित की उम्र मा'लूम कर के इस में से नौ साल औ़रत के लिये और बारह साल मर्द के लिये ना बालिगी के निकाल दीजिये , बाक़ी जितने साल बचे उन में हिसाब लगाइये कि कितनी मुद्दत तक वोह (या'नी मरहूम) बे नमाज़ी रहा या बे रोज़ा रहा , या कितनी नमाज़े या रोज़े उस के जिम्मे क़ज़ा के बाक़ी हैं , ज़ियादा से ज़ियादा अन्दाज़ा लगा लीजिये बल्कि चाहें तो ना बालिगी की उम्र के बा'द बक़िय्या तमाम उम्र का हिसाब लगा लीजिये , अब फी नमाज़ एक एक स-द-कए फ़ित्र खैरात कीजिये , एक स-द-कए फ़ित्र की मिक़्दार 2 किलो से 80 ग्राम कम गेहूं या उस का आटा या उस की रक़म है और एक दिन की छे नमाज़े हैं पांच फ़र्ज़ और एक वित्र वाजिब , म-सलन 2 किलो से 80 ग्राम कम गेहूं की रकम 12 रुपै हो तो एक दिन की नमाज़ों के 72 रुपै हुए और 30 दिन के 2160 रुपै और बारह माह के तक़रीबन 25920 रुपै हुए , अब किसी मय्यित पर 50 साल की नमाज़े बाक़ी हैं तो फ़िदया अदा करने के लिये 1296000 रुपै खैरात करने होंगे , ज़ाहिर है हर शख्स इतनी रकम खैरात करने की इस्तिताअत (ताकत) नहीं रखता , इस के लिये उ-लमाए किराम رحمهم الله السلام ने शर-ई़ हीला इर्शाद फ़रमाया है , म-सलन वोह 30 दिन की तमाम नमाज़ो के फ़िदये की निय्यत से 2160 रुपै किसी फ़क़ीर (फ़क़ीर और मिस्कीन

की तारीफ सफहा नंबर ८५ पर पर मुलाहज़ा फरमाइए) की मिल्क कर दे , येह 30 दिन की नमाज़ो का फ़िदया अदा हो गया , अब वोह फ़क़ीर येह रकम देने वाले ही को हिबा कर दे (या'नी तोहफे में दे दे) येह कब्ज़ा करने के बाद फिर फ़कीर को 30 दिन की नमाज़ों के फ़िदये की निय्यत से कब्ज़े में दे कर उस का मालिक बना दे , इसी तरह लौट फेर करते रहें यूं सारी नमाज़ो का फ़िदया अदा हो जाएगा , 30 दिन की रकम के जरीए ही हीला करना शर्त नहीं वोह तो समझाने के लिये मिसाल दी है , बिलफ़र्ज़ 50 साल के फ़िदयों की रकम मौजूद हो तो एक ही बार लौट फेर करने में काम हो जाएगा , नीज़ फित्रे की रकम का हिसाब गेहूं के मौजूदा भाव से लगाना होगा , इसी तरह फी रोज़ा भी एक स-द-कए फ़ित्र है , नमाज़ों का फ़िदया अदा करने के बाद रोज़ों का भी इसी तरीके से फ़िदया अदा कर सकते हैं , गरीब व अमीर सभी फ़िदये का हीला कर सकते हैं , अगर वु-रसा अपने मरहूमीन के लिये येह अमल करें तो येह मय्यित की ज़बर दस्त इमदाद होगी , इस तरह मरने वाला भी انشاء اللہ عزوجل फ़र्ज़ के बोझ से आजाद होगा और वु-रसा भी अज्रो सवाब के मुस्तहिक होंगे। बाज़ लोग मस्जिद वगैरा में एक कुरआने पाक का नुस्खा दे कर अपने मन को मना लेते हैं कि हम ने मरहूम की तमाम नमाज़ों का फ़िदया अदा कर दिया येह उन की गलत फहमी है , (तफ़्सील के लिये देखिये : फ़तावा र-ज़विय्या मुखर्रजा, जि. 8, स. 167) याद रखिये ! मरहूम की नमाज़ों का फ़िदया औलाद और दीगर वु-रसा की तरह कोई आम मुसल्मान भी दे सकता है ।

मरहूमा के फ़िदये का एक मस्अला

औ़रत की आदते हैज़ अगर मा'लूम हो तो उस क़दर दिन और न मा'लूम हो तो हर महीने से तीन दिन नौ बरस की उम्र से मुस्तस्ना करें मगर जितनी बार हम्ल रहा हो मुद्दते हम्ल के महीनों से अय्यामे हैज़ का इस्तिस्ना न करें , औ़रत की आदत दरबारए निफ़ास अगर मालूम हो तो हर हम्ल के बा'द उतने दिन मुस्तस्ना करे और न मालूम हो तो कुछ नहीं कि निफ़ास के लिये जानिबे

कुछ तक़दीर नहीं , मुम्किन है कि एक ही मिनट आ कर फ़ौरन पाक हो जाए ।

सादाते किराम को नमाज़ का फ़िदया नहीं दे सकते

मेरे आका आ'ला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान علیہ رحمۃ الرحمن से सय्यिदों और गैर मुस्लिमों को नमाज़ का फ़िदया देने के मु-तअल्लिक़ पूछा गया तो फ़रमाया : येह स-दका (या'नी नमाज़ का फ़िदया) हज़राते सादाते किराम के लाइक नहीं और हुनूद वगैरहुम कुफ़्फ़ारे हिन्द इस स-दके के लाइक नहीं , इन दोनों को देने की अस्लन इजाज़त नहीं , न इन के दिये अदा हो , मुस्लिमीन मसाकीन ज़विल कुर्बा गैरे हाशिमीन (या'नी अपने मिस्कीन मुसल्मान रिश्तेदार गैर हाशिमियों) को देना दूना (या'नी दुगना) अज्र है ।

100 कोड़ों का हीला

हीलए शर-ई का जवाज़ कुरआनो हदीस और फ़िल्हे ह-नफ़ी की मो'तबर कुतुब में मौजूद है । चुनान्चे हज़रते सय्यिदुना अय्यूब علی نبینا و علیہ الصلوۃ و السلام की बीमारी के ज़माने में आप علیہ الصلوۃ و السلام की जौजए मोह-त-रमा رضی اللہ عنہا एक बार ख़िदमते सरापा अ-ज़मत में ताख़ीर से हाज़िर हुई तो आप علیہ الصلوۃ و السلام ने क़सम खाई कि "मैं तन्दुरुस्त हो कर सो कोड़े मारूंगा" सिहहत याब होने पर अल्लाहने उन्हें सो तीलियों की झाड़ू मारने का हुक्म इर्शाद फ़रमाया ।

अल्लाह तबा-र-क व तआ़ला पारह 23 सूरए 3- की आयत नम्बर 44 में इर्शाद फ़रमाता है

وَخُذْ بِیَدِکَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِہٖ وَلَا تَحْنَثْ

तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और फ़रमाया कि अपने हाथ में एक झाड़ू लेकर इस से मार दे और क़सम न तोड़ ।

"आलमगीरी" में हीलों का एक मुस्तकिल बाब है जिस का नाम "किताबुल हियल" है चुनान्चे आलमगीरी “किताबुल हियल" में है : जो हीला किसी का हक़ मारने या उस में शुबा पैदा करने या बातिल से फ़रेब देने के लिये किया जाए वोह मकरूह है और जो हीला इस लिये किया जाए कि आदमी ह़राम से बच जाए या हलाल को हासिल कर ले वोह अच्छा है , इस किस्म के हीलों के जाइज़ होने की दलील अल्लाह عزوجل का येह फ़रमान है : तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और फ़रमाया कि अपने हाथ में एक झाड़ू ले कर इस से मार दे और क़सम न तोड़ ।

कान छेदने का रवाज कब से हुवा ?

हीले के जवाज़ पर एक और दलील मुला-हज़ा फ़रमाइये चुनान्चे हज़रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास رضی اللہ عنہما से रिवायत है कि एक बार हज़रते सय्यि-दतुना सारह और हज़रते सय्यि-दतुना हाजिरा رضی اللہ عنہما में कुछ चप-कलश हो गई , हज़रते सय्यि-दतुना सारह رضی اللہ عنہا ने क़सम खाई कि मुझे अगर काबू मिला तो मैं हाजिरा رضی اللہ عنہا का कोई उज्व काटूंगी , अल्लाह عزوجل ने हज़रते सय्यिदुना जिब्रईल علیہ الصلوۃ و السلام को हज़रते सय्यिदुना इब्राहीम खलीलुल्लाह علیہ الصلوۃ و السلام की ख़िदमत में भेजा कि इन में सुल्ह करवा दें , हज़रते सय्यि-दतुना सारह رضی اللہ عنہا ने अर्ज की : " ما حلیۃ یمینی" या'नी मेरी क़सम का क्या हीला होगा ? तो हज़रते सय्यिदुना इब्राहीम ख़लीलुल्लाह علی نبینا و علیہ الصلوۃ و السلام पर वहय नाज़िल हुई कि (हज़रते) सारह رضی اللہ عنہا को हुक्म दो कि वोह (हज़रते) हाजिरा رضی اللہ عنہا के कान छेद दें , उसी वक़्त से औरतों के कान छेदने का रवाज पड़ा ।

गाय के गोश्त का तोहफा

उम्मुल मुअमिनीन हज़रते सय्यि-दतुना आ़इशा सिद्दीक़ा رضی اللہ عنہا से रिवायत है कि दो जहान के सुल्तान , सरवरे ज़ीशान صلی اللہ علیہ وسلم की

ख़िदमत में गाय का गोश्त हाज़िर किया गया , किसी ने अर्ज की : येह गोश्त हज़रते सय्यि-दतुना बरीरा رضی اللہ عنہا पर स-दका हुवा था , फ़रमाया هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَ لَنَا هَدِيَّةٌ या'नी येह बरीरा के लिये स-दक़ा था हमारे लिये हदिय्या है ।

ज़कात का शर-ई हीला

इस हदीसे पाक से साफ़ ज़ाहिर है कि हज़रते सय्यि-दतुना बरीरा رضی اللہ عنہا जो कि स-दके की हकदार थीं उन को बतौरे स-दका मिला हुवा गाय का गोश्त अगर्चे उन के हक में स-दका ही था मगर उन के कब्ज़ा कर लेने के बाद जब बारगाहे रिसालत में पेश किया गया था तो उस का हुक्म बदल गया था और अब वोह स-दका न रहा था , यूं ही कोई मुस्तहिक शख्स ज़कात अपने कब्ज़े में लेने के बाद किसी भी आदमी को तोहफ़तन दे सकता या मस्जिद वगैरा के लिये पेश कर सकता है कि मज्कूरा मुस्तहिक शख्स का पेश करना अब ज़कात न रहा , हदिय्या या अतिय्या हो गया , फु-कहाए किराम ज़कात का शर-ई हीला करने का तरीक़ा यूं इर्शाद फ़रमाते हैं ज़कात की रकम मुर्दे की तज्हीज़ो तक्फीन या मस्जिद की ता'मीर में सर्फ नहीं कर सकते कि तम्लीके फ़क़ीर (या'नी फ़कीर को मालिक करना) न पाई गई , अगर इन उमूर में खर्च करना चाहें तो इस का तरीक़ा येह है कि फ़कीर को (ज़कात की रकम का) मालिक कर दें और वोह (ता'मीरे मस्जिद वगैरा में) सर्फ करे , इस तरह सवाब दोनों को होगा । (बहारे शरीअ़त, जि. 1, स. 890)

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो !

देखा आप ने ! कफ़न दफ़्न बल्कि ता'मीरे मस्जिद में भी हीलए शर-ई के जरीए ज़कात इस्ति'माल की जा सकती है क्यूं कि कब्ज़ा कर लिया तो अब वोह मालिक हो चुका, जो चाहे करे , हीलए शर-ई की ब-र-कत से देने वाले की ज़कात भी अदा हो गई और फ़कीर भी मस्जिद में दे कर सवाब का हक़दार हो गया , फ़क़ीरे शर-ई को हीले का मस्अला बेशक समझा दिया जाए ।

मश्क़

⁎- फिदिये के हिसाब लगाने का क्या तरीका है ?

⁎- शर-ई हीले का क़ुरआन व हदीस में ज़िक्र है ?

⁎- अगर नमाज़ का कितना फिदिया है ?

⁎- अगर फिदिये की रक़म ज़ियादा हो देने की गुन्जाइश न हो तो क्या करे ?

सबक़ नंबर २१

फ़क़ीर की तारीफ़

फ़कीर वोह है कि जिस के पास कुछ न कुछ हो मगर इतना न हो कि निसाब को पहुंच जाए या म निसाब की क़दर तो हो मगर उस की हाजते अस्लिय्या (या'नी ज़रूरिय्याते जिन्दगी) में मुस्तररक (घिरा हुवा) हो , मसलन रहने का मकान , खानादारी का सामान , सुवारी के जानवर (या स्कूटर या कार) , कारीगरों के औज़ार , पहनने के कपड़े , खिदमत के लिये लौंडी , गुलाम , इल्मी शुग्ल रखने वाले के लिये इस्लामी किताबें जो उस की ज़रूरत से ज़ाइद न हों इसी तरह अगर मदयून (या'नी मक़रूज़) है और दैन (या'नी क़र्ज़ा) निकालने के बा'द निसाब बाक़ी न रहे तो फ़क़ीर है अगर्चे उस के पास एक तो क्या कई निसाबें हों ।

मिस्कीन की तारीफ़

मिस्कीन वोह है जिस के पास कुछ न हो यहां तक कि खाने और बदन छुपाने के लिये इस का मोहताज है कि लोगों से सुवाल करे और इसे सुवाल हलाल है। फ़क़ीर (या'नी जिस के पास कम अज़ कम एक दिन का खाने के लिये और पहनने के लिये मौजूद है उस) को बिगैर ज़रूरत व मजबूरी सुवाल ह़राम है । (बहारे शरीअ़त, जि. 1, स. 924)

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! मा'लूम हुवा जो भिकारी कमाने पर क़ादिर होने के बावजूद बिला ज़रूरत व मजबूरी बतौरे पेशा भीक मांगते हैं गुनाहगार व अज़ाबे नार के हकदार हैं और जो ऐसों के हाल से बा खबर हो उसे उन को देना जाइज़ नहीं ।

सदरुल अफ़ाज़िल हज़रते अल्लामा मौलाना सय्यिद मुहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी علیہ رحمۃ اللہ الھادی फ़रमाते हैं : खौफे कुफ्फार कर के लिये शर्त नहीं ,

हज़रते सय्यिदुना या'ला बिन उमय्या رضی اللہ عنہ ने हज़रते सय्यिदुना उमर फारूके आ'जम رضی اللہ عنہ से अर्ज की , कि हम तो अम्न में हैं , फिर हम क्यूं क़स्र करते हैं ? फरमाया , इस का मुझे भी तअज्जुब हुवा था तो मैं ने सरकारे मदीनए मुनव्वरह صلی اللہ علیہ وسلم से दर्याफ्त किया , हुज़ूरे अकरम , नूरे मुजस्सम , शाहे बनी आदम , रसूले मुहतशम صلی اللہ علیہ وسلم ने इर्शाद फ़रमाया : कि तुम्हारे लिये येह अल्लाह की तरफ से स-दका है तुम उस का स-दका कबूल करो ।

पहले चार नहीं बल्कि दो रकअतें ही फ़र्ज़ की गयी

उम्मुल मुअमिनीन हज़रते सय्यि-दतुना आ़इशा सिद्दीक़ा رضی اللہ عنہا रिवायत फ़रमाती हैं , नमाज़ दो रकअ़त फ़र्ज़ की गई फिर जब सरकारे मदीना صلی اللہ علیہ وسلم ने हिजरत फ़रमाई तो चार फ़र्ज़ की गई और सफ़र की नमाज़ उसी पहले फ़र्ज़ पर छोड़ी गई ।

हज़रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन उमर رضی اللہ عنہما से रिवायत अल्लाह के हबीब, हबीबे लबीब صلی اللہ علیہ وسلم ने नमाज़े सफ़र की दो रकअ़तें मुक़र्रर फ़रमाई और येह पूरी है कम नहीं या'नी अगर्चे ब ज़ाहिर दो रकअ़तें कम हो गई मगर सवाब में दो ही चार के बराबर हैं।

शर-ई सफ़र की मसाफ़त

शरअन मुसाफ़िर वोह शख्स है जो तीन के फ़ासिले तक जाने के इरादे से अपने मकामे इकामत म-सलन शहर या गाउं से बाहर हो गया , खुश्की में सफ़र तीन दिन की मसाफ़त से मुराद साढ़े सत्तावन मील (तक़रीबन 92 किलो मीटर) का फासला है ।

मुसाफ़िर कब होगा ?

महज़ निय्यते सफ़र से मुसाफ़िर न होगा बल्कि मुसाफ़िर का हुक्म उस वक़्त है कि बस्ती की आबादी से बाहर हो जाए शहर में है तो शहर से , गाउं में है तो गाउं से और शहर वाले के लिये येह भी ज़रूरी है कि शहर के आस पास जो आबादी शहर से मुत्तसिल है उस से भी बाहर आ जाए ।

आबादी ख़त्म होने का मतलब

आबादी से बाहर होने से मुराद येह है कि जिधर जा रहा है उस तरफ़ आबादी ख़त्म हो जाए अगर्चे उस की महालात में (या'नी बराबर) दूसरी तरफ़ ख़त्म न हुई हो ।

फ़िनाए शहर की तारीफ़

फिनाए शहर से जो गाउं मुत्तसिल है शहर वाले के लिये उस गाउं से बाहर हो जाना जरूरी नहीं यूंही शहर के मुत्तसिल बाग हों अगर्चे उन के निगहबान और काम करने वाले उन बागात ही में रहते हों , उन बागों से निकल जाना ज़रूरी नहीं , फिनाए शहर से बाहर जो जगह शहर के कामों के लिये हो मसलन कब्रिस्तान , घोडदौड़ का मैदान , कूड़ा फेंकने की जगह अगर येह शहर से मुत्तसिल हों तो इस से बाहर हो जाना ज़रूरी है और अगर शहर व फ़िना के दरमियान फ़ासिला हो तो नहीं ।

मुसाफ़िर बनने के लिये शर्त

सफ़र के लिये येह भी ज़रूरी है कि जहां से चला वहां से तीन दिन की राह (या'नी तक़रीबन 92 किलो मीटर) का इरादा हो और अगर दो दिन की राह (या'नी 92 किलो मीटर से कम) के इरादे से निकला वहां पहुंच कर दूसरी जगह का इरादा हुवा कि वोह भी तीन दिन (92 किलो मीटर) से कम का रास्ता है यूं ही सारी दुन्या घूम कर आए मुसाफ़िर नहीं , येह भी शर्त है कि तीन दिन की राह के सफ़र का मुत्तसिल इरादा हो , अगर यूं इरादा किया कि म-सलन दो

दिन की राह पर पहुंच कर कुछ काम करना है वोह कर के फिर एक दिन की राह जाऊंगा तो येह तीन दिन की राह का मुत्तसिल (या'नी लगातार) इरादा न हुवा मुसाफ़िर न हुवा ।

शर-ई सफ़र की मिक़दार और सिटी सेंटर

ये बात ज़हन में रहे कि शहर की आबादी ख़त्म होने के बाद मसाफ़त (यानी फासले) की मिक़दार देखि जायेगी , आजकल वस्ते शहर फासिले की पेमाइश होती है , जो कि शर-ई सफ़र के लिए काफी है -
मसलन (ता दमे तहरीर २०१७) बाबुल मदीना कराची की पेमाइश सोक सेंटर (city centre) से की जाती है , लिहाज़ा सफ़र करने वालो को चाहिए कि हमेशा मुत्तसिल (या'नी मिली हुई) आबादी के इख्तिताम (End) का लिहाज़ अपने सामने रखें और दो बातें मजीद ज़हन में रखें , एक ये कि ज़रूरी नहीं कि एक मर्तबा सफ़र के दोरान जहा शहर की आबादी ख़त्म हुई थी , तीन साल बाद भी वही हद हो कि बड़ी तेज़ी से आबादी के फैलाव की वजह से तीन साल में ही शहर कहा से कहा पहुच जाता है , दूसरी बात ये कि शहर की जिस संत से निकलना है उसी संत की आबादी का एतिबार होगा मसलन कराची से टोल प्लाज़ा के रस्ते में आबादी का इख्तिताम और जगह होता है जबकि ठठ्ठा की तरफ आबादी का इख्तिताम (End) और जगह होगा कि दोनों सम्तें मुख्तलिफ है ।

मश्क़

*- शरअन मुसाफिर किस को कहते है ?

*- फिनाये शहर की तारीफ क्या है ?

*- फ़क़ीर व मिस्कीन की तारीफ क्या है मद्यून किस को कहते है ?

*- मसाफ़ते सफ़र कितनी है ?

*- फ़क़ीर व मिस्कीन की तारीफ क्या है , मदयून किस को कहते है ?

सबक़ नंबर २२

वतन की किस्में

(1) वतने अस्ली : या'नी वोह जगह जहां इस की पैदाइश हुई है या इस के घर के लोग वहां रहते हैं या वहां सुकूनत कर ली और येह इरादा है कि यहां से न जाएगा ।

(2) वतने इकामत : या'नी वोह जगह कि मुसाफ़िर ने पन्दरह दिन या इस से ज़ियादा ठहरने का वहां इरादा किया हो ।

वतने इक़ामत बातिल होने की सूरतें

वतने इक़ामत दूसरे वतने इक़ामत को बातिल कर देता है या'नी एक जगह पन्दरह दिन के इरादे से ठहरा फिर दूसरी जगह इतने ही दिन के इरादे से ठहरा तो पहली जगह अब वतन न रही , दोनों के दरमियान मसाफ़ते सफ़र हो या न हो। यूं ही वतने इक़ामत वतने अस्ली और सफ़र से बातिल हो जाता है ।

एक मंज़िल के दो रास्ते हो तो ?

किसी जगह जाने के दो रास्ते हैं एक से मसाफ़ते सफ़र है दूसरे से नहीं तो जिस रास्ते से येह जाएगा उस का ए'तिबार है , नज़दीक वाले रास्ते से गया तो मुसाफ़िर नहीं और दूर वाले से गया तो है अगर्चे इस रास्ते के इख्तियार करने में इस की कोई ग-रज़े सह़ीह़ न हो ।

मुसाफ़िर कब तक मुसाफ़िर है

मुसाफ़िर उस वक़्त तक मुसाफ़िर है जब तक अपनी बस्ती में पहुंच न जाए या आबादी में पूरे 15 दिन ठहरने की निय्यत न कर ले येह उस वक़्त है जब पूरे तीन दिन की राह (या'नी तक़रीबन 92 किलो मीटर) चल चुका हो अगर तीन

मन्ज़िल (या'नी तक़रीबन 92 किलो मीटर) पहुंचने से पेश्तर वापसी का इरादा कर लिया तो मुसाफ़िर न रहा अगर्चे जंगल में हो ।

सफ़र ना जाइज़ हो तो?

सफ़र जाइज़ काम के लिये हो या ना जाइज़ काम के लिये बहर हाल मुसाफ़िर के अह़काम जारी होंगे ।

सेठ और नोकर का इकठ्ठा सफ़र

माहाना या सालाना इजारे वाला नोकर अगर अपने सेठ के साथ सफ़र करे तो सेठ के ताबेअ़ है , फ़रमां बरदार बेटा वालिद के ताबेअ़ है , और वोह शागिर्द जिस को उस्ताद से खाना मिलता है वोह उस्ताद के ताबेअ़ है या'नी जो निय्यत मत्बूअ (या'नी जिस के ताबेअ़ है) की है वोही ताबेअ़ की मानी जाएगी ताबेअ़ को चाहिये कि मत्बूअ को सुवाल करे वोह जो जवाब दे उस के ब मूजिब अमल करे , अगर उस ने कुछ भी जवाब न दिया तो देखे कि वोह (या'नी मत्बूअ) मुक़ीम है या मुसाफ़िर , अगर मुक़ीम है तो अपने आप को भी मुक़ीम समझे और अगर मुसाफ़िर है तो मुसाफ़िर , और येह भी मा'लूम नहीं तो तीन दिन की राह (यानी तक़रीबन 92 किलो मीटर) का सफ़र तै करने के बाद कर करे , इस से पहले पूरी पढ़े और अगर सुवाल न कर सका तो वोही हुक्म है कि सुवाल किया और कुछ जवाब न मिला ।

काम हो गया तो चला जाऊंगा !

मुसाफ़िर किसी काम के लिये या अहबाब के इन्तिज़ार में दो चार या तेरह चौदह दिन की निय्यत से ठहरा , या येह इरादा है कि काम हो जाएगा तो चला जाएगा, दोनों सूरतों में अगर आज कल आज कल करते बरसों गुज़र जाएं जब भी मुसाफ़िर ही है , नमाज़ कर पढ़े ।

अ़ौरत के सफर का मस्‌अला

ओ़रत को बिगैर महरम के तीन दिन (तक़रीबन 92 किलो मीटर) या ज़ियादा की राह जाना जाइज़ नहीं , ना बालिग बच्चा या मा'तूह (या'नी नीम पागल) के साथ भी सफ़र नहीं कर सकती , हमराही में बालिग महरम या शोहर का होना ज़रूरी है ।

ओ़रत , मुराहिक़ (करीबुल बुलूग लड़का) महरम (क़ाबिले इत्मीनान) के साथ सफ़र कर सकती है , मुराहिक बालिग के हुक्म में है , महरम के लिये ज़रूरी है कि सख्त फ़ासिक, बेबाक, गैर मामून (या’नी गैर महफ़ूज़) न हो ।

ओ़रत का सुसराल व मयका

ओ़रत बियाह कर सुसराल गई और यहीं रहने सहने लगी तो मयका (या'नी ओ़रत के वालिदैन का घर) इस के लिये वतने अस्ली न रहा या'नी अगर सुसराल तीन मन्ज़िल (तक़रीबन 92 किलो मीटर) पर है वहां से मयके आई और पन्दरह दिन ठहरने की निय्यत न की तो कर पढ़े और अगर मयके रहना नहीं छोड़ा बल्कि सुसराल आरिजी तौर पर गई तो मयके आते ही सफर खत्म हो गया नमाज़ पूरी पढ़े ।

अरब मुमालिक में वीज़ा पर रहने वालों का मस्अला

आज कल कारोबार वगैरा के लिये कई लोग बाल बच्चों समेत अपने मुल्क से दूसरे मुल्क मुन्तकिल हो जाते हैं । उन के पास मख्सूस मुद्दत का VISA होता है , (म-सलन अरब अमारात में ज़ियादा से ज़ियादा तीन साल का रिहाइशी वीज़ा मिलता है) येह वीज़ा आरिज़ी होता है और मख़्सूस रकम अदा कर के हर तीन साल के आखिर में इस की तब्दीद करवानी पड़ती है , चूंकि वीज़ा महदूद मुद्दत के लिये मिलता है लिहाज़ा बाल बच्चे भी अगरचे साथ हों इस की अमारात में मुस्तकिल क़ियाम की निय्यत बेकार है और इस तरह ख्वाह कोई 100 साल तक यहां रहे अमारात उस का वतने अस्ली नहीं हो सकता , येह जब भी सफ़र से लौटेगा और क़ियाम करना चाहे तो इक़ामत की

निय्यत करनी होगी , मसलन दुबई में रहता है और सुन्नतों की तरबिय्यत के लिये दा'वते इस्लामी के म-दनी काफ़िले में आशिकाने रसूल صلی اللہ علیہ وسلم के साथ तक़रीबन 150 किलो मीटर दूर वाक़ेअ़ अमारात के दारुल ख़िलाफ़ा अबू ज़हबी का इस ने सुन्नतों भरा सफ़र इख्तियार किया , अब दोबारा दुबई में आ कर अगर इस को मुक़ीम होना है तो 15 दिन या इस से ज़ाइद क़ियाम की निय्यत करनी होगी वरना मुसाफ़िर के अह़काम जारी होंगे , हाँ अगर ज़ाहिरे हाल येह है कि अब 15 दिन या इस से ज़ियादा अर्सा येह दुबई में ही गुज़ारेगा तो मुकीम हो गया , अगर इस का कारोबार ही इस तरह का है कि मुकम्मल 15 दिन रात येह दुबई में नहीं रहता, वक़्तन फ़ वक़्तन शर-ई सफ़र करता है तो इस तरह अगर्चे बरसों अपने बाल बच्चों के पास दुबई आना जाना रहे येह मुसाफ़िर ही रहेगा इस को नमाज़ कर करना होगी , अपने शहर के बाहर दूर दूर तक माल सप्लाई करने वाले और शहर ब शहर , मुल्क ब मुल्क फैरे लगाने वाले और ड्राइवर साहिबान वगैरा इन अह़काम को जेल में रखें ।

ज़ाइरे मदीना के लिये ज़रूरी मस्अला

जिस ने इकामत की निय्यत की मगर उस की ह़ालत बताती है कि पन्दरह दिन न ठहरेगा तो निय्यत सह़ीह़ नहीं म-सलन हज करने गया और ज़िल हिज्जतिल ह़राम का महीना शुरूअ़ हो जाने के बावजूद पन्दरह दिन मक्कए मुअज्जमा में ठहरने की निय्यत की तो येह निय्यत बेकार है कि जब हज का इरादा किया है तो (15 दिन इस को मिलेंगे ही नहीं कि) 8 ज़िल हिज्जतिल ह़राम मिना शरीफ़ (और 9 को) अ-रफ़ात शरीफ़ को ज़रूर जाएगा फिर इतने दिनों तक (या'नी 15 दिन मुसल्सल) मक्कए मुअज्जमा में क्यूंकर ठहर सकता है ! मिना शरीफ़ से वापस हो कर निय्यत करे तो सह़ीह़ है ।

जब कि वाक़ई 15 या ज़ियादा दिन मक्कए मुअज्जमा में ठहर सकता हो , अगर ज़न्ने गालिब हो कि 15 दिन के अन्दर अन्दर मदीनए मुनव्वरह या वतन के लिये रवाना हो जाएगा तो अब भी मुसाफ़िर है ।

मश्क़

*- वतने असली और वतने इक़ामत की तारीफ क्या है ?

*- औरत का वतने असली कौनसा है , सुसराल या मायका ?

*- सेठ और नोकर का इकठ्ठा सफ़र करें किस की निय्यत मोतबर होगी ?

*- वतने इक़ामत बातिल होने की सूरतें कौनसी है मुसाफिर कब तक मुसाफिर है ?

*- एक मंज़िल के ददो रास्ते हो तो कौनसे रास्ते का एतिबार होगा ?

सबक़ नंबर २३

उमरह के वीज़े पर हज के लिये रुकना कैसा ?

उमरह के वीज़े पर जा कर गैर कानूनी तौर पर हज के लिये रुकने या दुन्या के किसी भी मुल्क में VISA की मुद्दत पूरी होने के बाद गैर कानूनी रहने की जिन की निय्यत हो वोह वीज़े की मुद्दत ख़त्म होते वक़्त जिस शहर या गाउं में मुकीम हों वहां जब तक रहेंगे उन के लिये मुकीम ही के अहकाम होंगे , अगर्चे बरसों पड़े रहें मुक़ीम ही रहेंगे , अलबत्ता एक बार भी अगर 92 किलो मीटर या इस से ज़ियादा फ़ासिले के सफ़र के इरादे से उस शहर या गाउं से चले तो अपनी आबादी से बाहर निकलते ही मुसाफ़िर हो गए और अब उन की इकामत की निय्यत बेकार है , म-सलन कोई शख्स पाकिस्तान से उम्रह के VISA पर मक्कए मुकर्रमा زادها الله شرفا و تعظيما गया , VISA की मुद्दत ख़त्म होते वक़्त भी मक्का शरीफ़ ही में मुकीम है तो उस पर मुकीम के अहकाम हैं , अब अगर म-सलन वहां से मदीनए मुनव्वरह زادها الله شرفا و تعظيما आ गया तो चाहे बरसों गैर कानूनी पड़ा रहे , मगर मुसाफ़िर ही है , यहां तक कि अगर दोबारा मक्कए मुकर्रमा زادها الله شرفا و تعظيما आ जाए फिर भी मुसाफ़िर रहेगा , इस को नमाज़ कर ही अदा करनी होगी। हाँ अगर दोबारा VISA मिल गया तो इक़ामत की निय्यत की जा सकती है , याद रहे ! जिस कानून की खिलाफ़ वर्ज़ी करने पर जिल्लत , रिश्वत और झूट वगैरा आफ़ात में पड़ने का अन्देशा हो उस कानून की खिलाफ वर्ज़ी जाइज़ नहीं , चुनान्चे मेरे आका आ'ला हज़रत इमामे अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान عليہ رحمۃ الرحمن फ़रमाते हैं : मुबाह (या'नी जाइज़) सूरतों में से बा'ज़ (सूरतें) कानूनी तौर पर जुर्म होती हैं इन में मुलव्वस होना (या'नी ऐसे कानून की ख़िलाफ़ वर्ज़ी करना) अपनी जात को अज़िय्यत व जिल्लत के लिये पेश करना है और वोह ना जाइज़ -

लिहाज़ा बिगैर VISA के दुन्या के किसी भी मुल्क में रहना या हज के लिये रुकना जाइज़ नहीं । गैर कानूनी ज़राएअ से हज के लिये रुकने में काम्याबी हासिल करने को معاذ الله عزوجل अल्लाह व रसूल صلى الله عليه وسلم का करम कहना सख्त बेबाक़ी है ।

क़स्र वाजिब है

मुसाफ़िर पर वाजिब है कि नमाज़ में कर करे या'नी चार रकअ़त वाले फ़र्ज़ को दो पढ़े इस के हक़ में दो ही रकअ़तें पूरी नमाज़ है और क़स्दन चार पढ़ी और दो पर क़ा'दह किया तो फ़र्ज़ अदा हो गए और पिछली दो रकअ़तें नफ़्ल हो गई मगर गुनहगार व अज़ाबे नार का हकदार है कि वाजिब तर्क किया लिहाज़ा तौबा करे और दो रकअ़त पर क़ा'दह न किया तो फ़र्ज़ अदा न हुए और वोह नमाज़ नफ़्ल हो गई हाँ अगर तीसरी रकअ़त का सज्दा करने से पेश्तर इक़ामत की निय्यत कर ली तो फ़र्ज़ बातिल न होंगे मगर क़ियाम व रुकूअ़ का इआ़दा करना होगा और तीसरी के सज्दे में निय्यत की तो अब फ़र्ज़ जाते रहे यूंही अगर पहली दो या एक में क़िराअत न की नमाज़ फ़ासिद हो गई ।

क़स्र के बदले चार की निय्यत बांधली तो....?

मुसाफ़िर ने कर के बजाए चार रकअ़त फ़र्ज़ की निय्यत बांध ली फिर याद आने पर दो पर सलाम फैर दिया तो नमाज़ हो जाएगी , इसी तरह मुक़ीम ने चार रकअ़त फ़र्ज़ की जगह दो रकअ़त फ़र्ज की निय्यत की और चार पर सलाम फैरा उस की भी नमाज़ हो गई। फु-कहाए किराम رحمهم الله السلام फ़रमाते हैं ,"निय्यते नमाज़ में ता'दादे रक्आत की ता'यीन या'नी तक़र्रुर करना ज़रूरी नहीं क्यूं कि येह जिम्नन हासिल है। निय्यत में ता'दाद मुअ़य्यन करने में खता नुक्सान देह नहीं ।"

मुसाफ़िर इमाम और मुकीम मुक़्तदी

इक़्तिदा दुरुस्त होने के लिये एक शर्त येह भी है कि इमाम का मुकीम या मुसाफ़िर होना मा'लूम हो ख्वाह नमाज़ शुरूअ़ करते वक़्त मा'लूम हुवा या बाद में, लिहाज़ा इमाम को चाहिये कि शुरूअ़ करते वक़्त अपना मुसाफ़िर होना ज़ाहिर कर दे और शुरूअ़ में न कहा तो बा'दे नमाज़ कह दे कि "मुक़ीम इस्लामी भाई अपनी नमाज़े पूरी कर लें मैं मुसाफ़िर हूं , और शुरूअ़ में ए'लान कर चुका है जब भी बा'द में कह दे कि जो लोग उस वक़्त मौजूद न थे उन्हें भी मालूम हो जाए ।

मुकीम मुक़्तदी और बक़िय्या दो रकअ़तें

क़स्र वाली नमाज़ में मुसाफ़िर इमाम के सलाम फैरने के बाद मुकीम मुक़्तदी जब अपनी बक़िय्या नमाज़ अदा करे तो फ़र्ज की तीसरी और चौथी रकअ़त में सू-रतुल फ़ातिहा पढ़ने के बजाए अन्दाज़न उतनी देर चुप खड़ा रहे ।

क्या मुसाफ़िर को सुन्नतें मुआ़फ़ हैं ?

सुन्नतों में कर नहीं बल्कि पूरी पढ़ी जाएंगी, खौफ़ और रवा रवी (या'नी घबराहट) की ह़ालत में सुन्नतें मुआ़फ़ हैं और अम्न की ह़ालत में पढ़ी जाएंगी ।

"नमाज़" के चार हुरूफ़ की निस्बत से चलती गाड़ी में नफ़्ल पढ़ने के 4 म-दनी फूल

*. बैरूने शहर (बैरूने शत्र से मुराद वोह जगह है जहां से मुसाफ़िर पर कस करना वाजिब होता है) सुवारी पर (म-सलन चलती कार , बस , वेगन में भी नफ़्ल पढ़ सकता है और इस सूरत में इस्तिक्बाले क़िब्ला या'नी क़िब्ला रुख होना) शर्त नहीं बल्कि सुवारी (या गाड़ी) जिस रुख को जा रही हो उधर ही मुंह हो और अगर उधर मुंह न हो तो नमाज़ जाइज़ नहीं और शुरूअ़ करते वक़्त भी क़िब्ले की तरफ़ मुंह होना शर्त नहीं बल्कि सुवारी (या गाड़ी) जिधर जा रही है उसी तरफ़ मुंह हो और रुकूअ़ व सुजूद इशारे से करे और (ज़रूरी है कि) सज्दे

का इशारा ब निस्बत रुकूअ के पस्त हो (या'नी रुकूअ के लिये जिस क़दर झुका, सज्दे के लिये उस से ज़ियादा झुके) , चलती ट्रेन वगैरा ऐसी सुवारी जिस में जगह मिल सकती है उस में क़िब्ला रुख हो कर क़ाइदे के मुताबिक़ नवाफ़िल पढ़ने होंगे * गाउं में रहने वाला जब गाउं से बाहर हुवा तो सुवारी (गाड़ी) पर नफ़्ल पढ़ सकता है * बैरूने शह सुवारी पर नमाज़ शुरूअ की थी और पढ़ते पढ़ते शहर में दाखिल हो गया तो जब तक घर न पहुंचा सुवारी पर पूरी कर सकता है * चलती गाड़ी में बिला उफ़्रे शर ई फ़र्ज व सुन्नते फ़ज व तमाम वाजिबात जैसे वित्र व नज़्र और वोह नफ्ल जिस को तोड़ दिया हो और सज्दए तिलावत जब कि आयते सज्दा ज़मीन पर तिलावत की हो अदा नहीं कर सकता और अगर उ़ज़्र की वज्ह से हो तो इन सब में शर्त येह है कि अगर मुम्किन हो तो क़िब्ला रू खड़ा हो कर अदा करे वरना जैसे भी मुम्किन हो और बाद में नमाज़ का इआ़दा कर लें (या'नी दोबारा पढ़ लें)

मुसाफ़िर तीसरी रकअ़त के लिये खड़ा हो जाए तो...?

अगर मुसाफ़िर कर वाली नमाज़ की तीसरी रकअ़त शुरूअ़ कर दे तो इस की दो सूरतें हैं (1) ब क़दरे तशहहुद क़ा'दए अख़िरह कर चुका था तो जब तक तीसरी रकअ़त का सज्दा न किया हो लौट आए और सज्दए सब कर के सलाम फैर दे अगर न लौटे और खड़े खड़े सलाम फैर दे तो भी नमाज़ हो जाएगी मगर सुन्नत तर्क हुई , अगर तीसरी रकअ़त का सज्दा कर लिया तो एक और रकअ़त मिला कर सज्दए सह्व कर के नमाज़ मुकम्मल करे येह आखिरी दो रकअ़तें नफ़्ल शुमार होंगी (2) क़ा'दए अखीरा किये बिगैर खड़ा गया था तो जब तक तीसरी रकअ़त का सज्दा न किया हो लौट आए और सज्दए सह्व कर के सलाम फैर दे अगर तीसरी रकअ़त का सज्दा कर लिया फ़र्ज़ बातिल हो गए अब एक और रकअ़त मिला कर सज्दए सह्व कर के नमाज़ मुकम्मल करे चारों रकअ़तें नफ़्ल शुमार होंगी - (दो रकअ़त फ़र्ज़ अदा करने अभी ज़िम्मे बाक़ी हैं)

सफ़र में क़ज़ा नमाज़े

हालते इक़ामत में होने वाली क़ज़ा नमाज़े सफ़र में भी पूरी पढ़नी होंगी और सफ़र में क़ज़ा होने वाली कर वाली नमाज़े मुकीम होने के बाद भी कर ही पढ़ी जाएंगी ।

मश्क़

*- उमरे के वीज़ा पर हज के लिए रुकना कैसा ?

*- क्या मुसाफिर को सुन्न्तें मुआ़फ है ?

*- चलती गाड़ी में नमाज़ पढ़ने के अहकाम बयान करें ?

*- मुसाफिर तीसरी रक्अत के लिए खड़ा हो जाये तो ?

*- क़स्र की बदले चार की निय्यत बाँध ली तो ?

*- मुसाफिर को चार पढ़ने के बाद यद् आया कि वो मुसाफिर है तो नमाज़ हो या नहीं ?

सबक़ नंबर २४

नमाज़े जनाज़ा का तरीका (हनफ़ी)

नमाज़े जनाज़ा फर्ज़े किफाया है

नमाज़े जनाज़ा फर्ज़े किफ़ाया है , यानी कोई एक भी अदा कर ले तो बरिउज़्ज़िम्मा हो गए वरना जिन जिन को खबर पहुची थी और नहीं आये वो सब गुनहगार होंगे इस के लिए जमाअत शर्त नहीं , एक शख्स भी पढ़ ले तो क़र्ज़ अदा हो गया , इस की फर्ज़ियत का इन्कार कुफ्र है ।

नमाज़-ए-जनाज़ा में दो रुक्न और तीन सुन्नतें हैं

दो रुकन ये हैं : (१) चार बार “अल्लाहु अकबर "कहना (२) क़य्यूम -
इस में तीन सुन्नते मुअक्कदा ये हैं : (१) सना (२) दुरूद शरीफ़ (३) मय्यित के लिए दुआ ।

नमाज़-ए-जनाज़ा का तरीक़ा (हनफ़ी)

मुक़्तदी इस तरह नीयत करे “ मैं नी्यत करता हूँ इस जनाज़े की नमाज़ की वास्ते अल्लाह عزوجل के , दुआ इस मय्यित के लिए , पीछे इस इमाम के" अब इमाम व मुक़्तदी पहले कानों तक हाथ उठाएं और “अल्लाहु अकबर” कहते हुए फ़ौरन हसबे मा’मूल नाफ़ के नीचे बांध लें और सना पढ़ें । इस में وَتَعَالٰی جَدُّکَ के बाद وَجَلَّ ثَنَاؤُکَ وَلَا اِلٰـهَ غَیْرُکَ "पढ़ें फिर बगैर हाथ उठाए 'अल्लाहु अकबर' कहें , फिर दुरदे इबराहीम पढ़ें , फिर बगैर हाथ उठाए 'अल्लाहु अकबर' कहें और दुआ पढ़ें (इमाम तक्बीरें बुलंद आवाज़ से कहे और मुक़तदी आहिस्ता , बाक़ी तमाम अज़कार इमाम व मुक़्तदी सब आहिस्ता पढ़ें दुआ के बाद फिर 'अल्लाहु अकबर' कहें और हाथ लटका दें फिर दोनों तरफ़ सलाम फेर दें , सलाम में निय्यत और फ़रिश्तों व हाज़िरीन नमाज़ की निय्यत करे , इसी तरह जैसे और नमाज़ों के

सलाम में नीयत की जाती है यहां इतनी बात ज़्यादा है कि निय्यत की भी नीयत करे ।

बालिग मर्द व औ़रत के जनाज़े की दुआ़

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا

इलाही ! बख़्श दे हमारे हर जिन्दा को और हमारे हर फ़ौत शुदा को और हमारे हर हाज़िर को और हमारे हर गाइब को और हमारे हर छोटे को -

وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا ط اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ

और हमारे हर बड़े को और हमारे हर मर्द को और हमारी हर औ़रत को ।
इलाही ! तू हम में से जिस को जिन्दा रखे तो उस को इस्लाम पर -

عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ -

ज़िन्दा रख और हम में से जिस को मौत दे तो उस को ईमान पर मौत दे।

ना बालिग लड़के की दुआ़

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا

इलाही ! इस (लड़के) को हमारे लिये आगे पहुंच कर सामान करने वाला बना दे और इस को हमारे लिये अज (का मूजिब)

وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا

और वक़्त पर काम आने वाला बना दे और इस को हमारी सिफारिश करने वाला बना दे और वोह जिस की सिफ़ारिश मन्ज़ूर हो जाए ।

ना बालिगा लड़की की दुआ़

اَللّٰھُمَّ اجْعَلْھا لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْھا لَنَا اَجْرًا

इलाही ! इस (लड़की) को हमारे लिये आगे पहुंच कर सामान करने वाली बना दे और इस को हमारे लिये अज्र (की मूजिब)

وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْھا لَنَا شَافِعَةً وَّمُشَفَّعَةً -

और वक़्त पर काम आने वाली बना दे और इस को हमारे लिये सिफारिश करने वाली बना दे और वोह जिस की सिफारिश मंज़ूर हो जाए ।

जूते पर खड़े हो कर जनाज़ा पढ़ना

जूता पहन कर अगर नमाज़े जनाज़ा पढ़ें तो जूते और ज़मीन दोनों का पाक होना ज़रूरी है और जूता उतार कर उस पर खड़े हो कर पढ़ें तो जूते के तले और ज़मीन का पाक होना ज़रूरी नहीं। मेरे आका आ'ला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अह़मद रज़ा खान علیہ رحمۃ الرحمن एक सुवाल के जवाब में इर्शाद फ़रमाते हैं : "अगर वोह जगह पेशाब वगैरा से नापाक थी या जिन के जूतों के तले नापाक थे और इस ह़ालत में जूता पहने हुए नमाज़ पढ़ी उन की नमाज़ न हुई , एह़तियात येही है कि जूता उतार कर उस पर पाउं रख कर नमाज़ पढ़ी जाए कि ज़मीन या तला अगर नापाक हो तो नमाज़ में खलल न आए।"

गाइबाना नमाज़े जनाज़ा नहीं हो सकती

मय्यित का सामने होना ज़रूरी है , गाइबाना नमाज़े जनाज़ा नहीं हो सकती , मुस्तह़ब येह है कि इमाम मय्यित के सीने के सामने हो ।

चन्द जनाज़ों की इकट्ठी नमाज़ का तरीक़ा

चन्द जनाज़े एक साथ भी पढ़े जा सकते हैं , इस में इख़्तियार है कि सब को आगे पीछे रखें या'नी सब का सीना इमाम के सामने हो या क़ितार बन्द या'नी एक के पाउं की सीध में दूसरे का सिरहाना और दूसरे के पाउं की सीध में तीसरे का सिरहाना - وعلیٰ هٰذا القیاس (या'नी इसी पर कियास कीजिये) ।

जनाज़े में कितनी सफें हों ?

बेहतर येह है कि जनाज़े में तीन सफें हों कि ह़दीसे पाक में है : "जिस की नमाज़ (जनाज़ा) तीन सफ़ों ने पढ़ी उस की मग्फिरत हो जाएगी ," अगर कुल सात ही आदमी हों तो एक इमाम बन जाए अब पहली सफ़ में तीन खड़े हो जाएं दूसरी में दो और तीसरी में एक , जनाज़े में पिछली सफ़ तमाम सफ़ों से अफ़्ज़ल है ।

जनाज़े की पूरी जमाअ़त न मिले तो ?

मस्बूक़ (या'नी जिस की बा'ज़ तक्बीरें फौत हो गई वोह) अपनी बाक़ी तक्बीरें इमाम के सलाम फेरने के बाद कहे और अगर येह अन्देशा हो कि दुआ़ वगैरा पढ़ेगा तो पूरी करने से क़ब्ल लोग जनाज़े को कन्धे तक उठा लेंगे तो सिर्फ तक्बीरें कह ले दुआ़ वगैरा छोड़ दे , चोथी तक्बीर के बाद जो शख्स आया तो जब तक इमाम ने सलाम नहीं फेरा शामिल हो जायेगा और इमाम के सलाम के बाद तीन बार अल्लाहु अकबर कहे , फिर सलाम फेर दें -

पागल व ख़ुदकुशी वाले का जनाज़ा

जो पैदाइशी पागल हो या बालिग़ होने से पहले पागल हो गया हो और उसी पागल पण में मौत वाक़ेअ़ हुई तो उस की नमाज़े जनाज़ा में नाबालिग की दुआ़ पढेंगे , जिस ने ख़ुदकुशी की उस की नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जाएगी -

मश्क़

*- नमाज़े जनाज़ा में रुक्न और सुन्नतें कितनी है ?

*- जनाज़े की मुकम्मल दुआएं सुनाइए ?

*- चंद जनाज़ो की इकठ्ठी नमाज़ का तरीक़ा क्या है ?

*- जनाज़े की पूरी जमाअत न मिले तो क्या करें ?

*- नमाज़े जनाज़ा का तरीक़ा बयान फरमाइए ?

*- जूते पर खड़े हो हो कर जनाज़ा पढ़ना कैसा ?

*- गाइबाना नमाज़े जनाज़ा जाइज़ है ?

सबक़ नंबर 25

मुर्दा बच्चे के अहकाम

मुस्लमान का बच्चा ज़िंदा पैदा हुआ यानी अक्सर हिस्सा बाहर होने के वक़्त ज़िंदा था फिर मर गया तो इस को गुस्ल व कफ़न देंगे और इस की नमाज़ पढ़ेंगे , वर्ना उसे वैसे ही नहला कर एक कपड़े में लपेट कर दफ़ कर देंगे , उस के लिए सुन्नत के मुताबिक गुसल व कफ़न नहीं है और नमाज़ भी इस की नहीं पढ़ी जाएगी , सर की तरफ़ से अक्सर की मिक़दार सर से ले कर सीने तक है , लिहाज़ा अगर उस का सर बाहर हुआ था और चीख़ता था मगर सीने तक निकलने से पहले ही फ़ौत हो गया तो इस की नमाज़ नहीं पढ़ेंगे , पांव की जानिब से अक्सर की मिक़दार कमर तक है , बच्चा ज़िंदा पैदा हुआ या मुर्दा या कच्चा गिर गया उसका नाम रखा जाये और वो क़ियामत के दिन उठाया जायेगा ।

जनाज़े को कंधा देने का सवाब

हदीसे पाक में है “जो जनाज़े को चालीस क़दम लेकर चले उस के चालीस कबीरा गुनाह मिटा दिए जाएंगे नीज़ हदीस शरीफ़ में है : जो जनाज़े के चारों पाइयों को कंधा दे अल्लाह عزوجل उस की हत्मी (यानी मुस्तकिल मग़फ़िरत फ़रमा देगा ।

जनाज़े को कंधा देने का तरीक़ा

जनाज़े को कंधा देना इबादत है , सुन्नत ये है कि यके बाद दीगरे चारों पाइयों को कंधा दे और हर बार दस दस क़दम चले , पूरी सुन्नत ये है कि पहले सीधे सिरहाने कंधा दे फिर सीधी पायती (यानी सीधे पांव की तरफ़) फिर उलटे सिरहाने फिर उलटी पायती और दस दस क़दम चले तो कुल चालीस क़दम हुए

, बा’ज़ लोग जनाज़े के जुलूस में ऐलान करते रहते हैं, दो दो क़दम चलो उनको चाहीए कि इस तरह ऐलान क्या करें “दस दस क़दम चलो”

बच्चे का जनाज़ा उठाने का तरीक़ा

छोटे बच्चे के जनाज़े को अगर एक शख़्स हाथ पर उठा कर ले चले तो हरज नहीं और यके बाद दीगरे लोग हाथों-हाथ लेते रहें , औरतों को (बच्चा हो या बड़ा किसी के भी) जनाज़े के साथ जाना नाजाइज़ व ममनूअ है -

नमाज़े जनाज़ा के बाद वापसी के मसाइल

जो शख्स जनाज़े के साथ हो उसे बिगैर नमाज़ पढ़े वापस न होना चाहिये और नमाज़ के बाद औलिया ए मय्यित (या’नी मरने वाले के सरपरस्तो) से इजाज़त ले कर वापस हो सकता है और दफ्न के बा'द इजाज़त की ह़ाजत नहीं -

क्या शोहर बीवी के जनाज़े को कन्धा दे सकता है ?

शोहर अपनी बीवी के जनाज़े को कन्धा भी दे सकता है , कब्र में भी उतार सकता है और मुंह भी देख सकता है , सिर्फ गुस्ल देने और बिला हाइल बदन को छूने की मुमा-न-अत है . औ़रत अपने शोहर को गुस्ल दे सकती है -

मुरतद की नमाज़े जनाज़ा का हुक्मे शर-ई़

मुरतद और काफ़िर के जनाज़े का एक ही हुक्म है । मजहब तब्दील कर के ईसाई (क्रिस्चेन) होने वाले का जनाज़ा पढ़ने वाले के बारे में किये गए एक सुवाल का जवाब देते हुए सय्यिदी आ'ला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत , मुजद्दिदे दीनो मिल्लत , हज़रते अल्लामा मौलाना शाह इमाम अह़मद रज़ा खान علیہ رحمۃ الرحمن फतावा र-ज़विय्या जिल्द 9 सफ़हा 170 पर इर्शाद फ़रमाते हैं : अगर ब सुबूते शर-ई़ साबित हो कि मय्यित عِیَاذًا بِاللہِ" (या'नी खुदा की पनाह) तब्दीले मज़हब कर के ईसाई (क्रिस्चेन) हो चुका था तो बेशक उस

के जनाज़े की नमाज़ और मुसल्मानों की तरह इस की तज्हीज़ो तक्फ़ीन सब हरामे कतई थी - قال اللہ تعالی (अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है)

وَلَا تُصَلِّ عَلٰۤى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ

तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और उन में से किसी की मय्यित पर कभी नमाज़ न पढ़ना और न उस की क़ब्र पर खड़े होना , मगर नमाज़ पढ़ने वाले अगर उस की नसरानिय्यत (या'नी क्रिस्चेन होने) पर मुत्तलअ न थे और बर बिनाए इल्मे साबिक़ (या'नी पिछली मा'लूमात के सबब) उसे मुसल्मान समझते थे न उस की तज्हीज़ो तक्फ़ीन व नमाज़ तक उन के नज़्दीक उस शख़्स का नसरानी (या'नी क्रिस्चेन) हो जाना साबित हुवा , तो इन अफ़आ़ल में वोह अब भी मा'ज़ूर व बेकसूर हैं कि जब उन की दानिस्त (या'नी मा'लूमात) में वोह मुसल्मान था , उन पर येह अफ़आ़ल बजा लाने ब ज़ो'मे खुद शरअन लाज़िम थे , हाँ अगर येह भी उस की ईसाइय्यत से ख़बरदार थे फिर नमाज़ व तज्हीज़ो तक्फ़ीन के मुर-तकिब हुए क़त्अन सख़्त गुनहगार और वबाले कबीरा में गिरिफ्तार हुए , जब तक तौबा न करें नमाज़ उन के पीछे मकरूह , मगर मुआ़म-लए मुरतद्दीन फिर भी बरतना जाइज़ नहीं कि येह लोग भी इस गुनाह से काफ़िर न होंगे , हमारी शर-ए मुतहहरा सिराते मुस्तकीम है , इफ़रात व तफरीत (या'नी हुदूदे ए'तिदाल से बढ़ाना घटाना) किसी बात में पसन्द नहीं फ़रमाती , अलबत्ता अगर साबित हो जाए कि उन्हों ने उसे नसरानी जान कर न सिर्फ ब वज्हे हमाकत व जहालत किसी ग-रज़े दुन्यवी की निय्यत से बल्कि खुद इसे ब वज्हे नसरानिय्यत मुस्तहिक़्क़े ता'जीम व क़ाबिले तज्हीज़ो तक्फीन व नमाज़े जनाज़ा तसव्वुर किया तो बेशक जिस जिस का ऐसा खयाल होगा वोह सब भी काफ़िर व मुरतद हैं और उन से वोही मुआ़मला बरतना वाजिब जो मुरतद्दीन से बरता जाए ।

अल्लाह तबा-र-क व तआ़ला पारह 10 सू-रतुत्तौबह की आयत नम्बर 84 में इर्शाद फ़रमाता है :

وَلَا تُصَلِّ عَلٰٓى اَحَدٍ مِّنۡهُمۡ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمۡ عَلٰى قَبۡرِهٖ ؕ اِنَّهُمۡ كَفَرُوۡا بِاللّٰهِ وَرَسُوۡلِهٖ وَمَاتُوۡا وَهُمۡ فٰسِقُوۡنَ

तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और उन में से किसी की मय्यित पर कभी नमाज़ न पढ़ना और न उस की कब्र पर खड़े होना बेशक वोह अल्लाह व रसूल से मुन्किर हुए और फ़िस्क (कुफ्र) ही में मर गए।

सदरुल अफ़ाज़िल हज़रते अल्लामा मौलाना सय्यद मुहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी علیہ رحمۃ اللہ الھادی इस आयत के तहत फ़रमाते हैं : इस आयत से साबित हुवा कि काफ़िर के जनाज़े की नमाज़ किसी हाल में जाइज़ नहीं और काफ़िर की कब्र पर दफ़्न व ज़ियारत के लिये खड़े होना भी ममनूअ है - हज़रते सय्यिदुना जाबिर बिन अब्दुल्लाह رضی اللہ عنہما से रिवायत है कि सरदारे मक्कए मुकर्रमा , सरकारे मदीनए मुनव्वरह صلی اللہ علیہ وسلم ने इर्शाद फ़रमाया : अगर वोह बीमार पड़ें तो पूछने न जाओ , मर जाएं तो जनाज़े में हाज़िर न हो ।

"मदीना" के पांच हुरूफ की निस्बत से जनाज़े के मु-तअ़ल्लिक़ पांच म-दनी फूल

"फुलां मेरी नमाज़ पढ़ाए" ऐसी वसिय्यत का हुक्म

(१) मय्यित ने वसिय्यत की थी कि मेरी नमाज़ फुलां पढ़ाए या मुझे फुलां शख्स गुस्ल दे तो येह वसिय्यत बातिल है या'नी इस वसिय्यत से (मरने वाले के) वली (या'नी सर परस्त) का हक़ जाता न रहेगा , हाँ वली को इख्तियार है कि खुद न पढ़ाए उस से पढ़वा दे , अगर किसी मुत्तकी बुजुर्ग या आ़लिम के बारे में वसिय्यत की हो तो वु-रसा को चाहिये कि इस पर अमल करें ।

इमाम मय्यित के सीने की सीध में खड़ा हो

(2) मुस्तहब येह है कि मय्यित के सीने के सामने इमाम खड़ा हो और मय्यित से दूर न हो मय्यित ख्वाह मर्द हो या औ़रत बालिग हो या ना बालिग , येह उस वक़्त है कि एक ही मय्यित की नमाज़ पढ़ानी हो और अगर चन्द हों तो एक के सीने के मुकाबिल (या'नी सामने) और क़रीब खड़ा हो -

नमाज़े जनाज़ा पढ़े बिगैर दफ़्ना दिया तो ?

(3) मय्यित को बिगैर नमाज़ पढ़े दफ्न कर दिया और मिट्टी भी दे दी गई तो अब उस की कब्र पर नमाज़ पढ़ें जब तक फटने का गुमान न हो , और मिट्टी न दी गई हो तो निकालें और नमाज़ पढ़ कर दफ्न करें , और क़ब्र पर नमाज़ पढ़ने में दिनों की कोई ता'दाद मुक़र्रर नहीं कि कितने दिन तक पढ़ी जाए कि येह मौसिम और ज़मीन और मय्यित के जिस्म व मरज़ के इख़्तिलाफ़ से मुख्तलिफ़ है , गरमी में जल्द फटेगा और जाड़े (या'नी सर्दी) में ब-देर (या'नी देर में), तर (या'नी गीली) या शोर (या'नी खारी) ज़मीन में जल्द , खुश्क और गैरे शोर में ब-देर , फ़र्बा (या'नी मोटा) जिस्म जल्द , लागर (या'नी दुबला पतला) देर में ।

मकान में दबे हुए की नमाज़े जनाज़ा

(4) कुंएं में गिर कर मर गया या उस के ऊपर मकान गिर पड़ा और मुर्दा निकाला न जा सका तो उसी जगह उस की नमाज़ पढ़ें , और दरिया में डूब गया और निकाला न जा सका तो उस की नमाज़ नहीं हो सकती कि मय्यित का मुसल्ली (या'नी नमाज़ पढ़ने वाले) के आगे होना मा'लूम नहीं ।

नमाज़े जनाज़ा में ता'दाद बढ़ाने के लिये ताख़ीर

(5) जुमुआ़ के दिन किसी का इन्तिक़ाल हुवा तो अगर जुमुआ़ से पहले तज्हीज़ो तक्फ़ीन हो सके तो पहले ही कर लें , इस ख़याल से रोक रखना कि जुमुआ़ के जुमआ बा'द मज्मअ ज़ियादह होगा मकरूह है ।

मश्क़

⁕- जनाज़े को कन्धा देने का क्या तरीक़ा है ?

⁕- मुरतद की नमाज़े जनाज़ा पढ़ना कैसा ?

⁕- बच्चे का जनाज़ा उठाने का तरीक़ा क्या है ?

⁕- किसी काफ़िर का बच्चा जिंदा पैदा हुआ , घंटे बा'द मर गया , जनाज़ा पढ़ा जायेगा या नहीं ?

⁕- नमाज़े जनाज़ा में ता'दाद के लिए ताखीर करना कैसा है ?

⁕- नमाज़े जनाज़ा पढ़े बगैर दफना दिया तो ?

⁕- क्या शोहर बीवी के जनाज़े को कन्धा दे सकता है ?